Par. 8. 17. 1 20-52
285

अंक १

संख्या २०

शुक्रवार

१३ जून १९५२

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

(First Session)

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग १२३१—१२७५]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग १२७५—१३०६]

(मूल्य ४ आने)

332 P.S.D.

लोक सभा

शुक्रवार, १३ जून, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

जाली डालर नोट

*७९८. **श्री वैलायुधन:** क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हाल ही में बम्बई में जाली डालर नोटों के कितने मामलों का पता लगाया गया था ;

(ख) क्या यह सत्य है कि भारत में इस सम्बन्ध में बड़े पैमाने पर कोई कार्यवाही हो रही है ; तथा

(ग) इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या निरोधक प्रयत्न किये हैं ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) इस समय तक बम्बई में जाली डालर नोटों का केवल एक मामला ज्ञात हुआ है ।

(ख) भारत सरकार के पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) (ख) में बतलाई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए किन्हीं विशेष निरोधक उपायों की आवश्यकता नहीं है । बम्बई के एकमात्र मामले से सम्बन्धित संस्था को तोड़ दिया गया है और भावी खरीदारों को चेतावनी देने के लिए समाचारपत्रों में काफी प्रचार कर दिया गया है ।

श्री वैलायुधन: क्या सरकार यह पता लगा सकी थी कि यह जाली नोट कहां से जारी हुए थे ?

डा० काटजू : हमारे पास पूरी जानकारी है और मेरे विचार से यह मामला न्यायालय में जायेगा ।

श्री वैलायुधन: मैं जान सकता हूं कि यह नोट कितनी धन राशि के हैं ।

डा० काटजू: जाली नोटों के बारे में धन राशि का कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है । यह नोट तो रद्दी के टुकड़े हैं ।

श्री वैलायुधन : परन्तु यह चल रहे हैं । इस लिये मैं जानना चाहता हूं कि इन की धन राशि क्या है ।

डा० काटजू: जिन नोटों का पता लगाया गया है उन की संख्या ५३ है ।

सहारनपुर प्रशिक्षण केन्द्र

*७९९. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सब प्रशिक्षणार्थियों को, सहारनपुर प्रशिक्षण केन्द्र में अपना कोर्स समाप्त करने के पश्चात्, डाक और तार विभाग की सेवा में ले लिया गया है ;

(ख) ३१ मार्च, सन् १९५२ तक कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया ; तथा

(ग) क्या किसी अन्य स्थान पर एक और प्रशिशण केन्द्र जारी करने का कोई प्रस्ताव है ।

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी हां।

(ख) ५९० ।

(ग) जी हां, दो केन्द्र और हैं ; एक हैदराबाद में और दूसरा छोटा नागपुर में ।

सरदार हुक्म सिंह: इस संस्था को जारी करने से पूर्व इन क्लर्कों और सार्टरों के प्रशिक्षण के क्या प्रबन्ध थे ?

श्री राज बहादुर : इन्हें डाक घरों और आर० ऐम० ऐस० विभागों द्वारा आयोजित कक्षाओं में प्रशिक्षित किया जाता था।

सरदार हुक्म सिंह: क्या इस संस्था में कोई विशेष बातें चलाई गई हैं ?

श्री राज बहादुर : जी हां । अब यहां प्रत्येक वर्ग के लिए एक संक्षिप्त कोर्स होता है और हम सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक प्रशिक्षण देते हैं ।

सरदार हुक्म सिंह: क्या वहां केवल कलर्कों और सार्टरों को प्रशिक्षित किया जाता है या पदाधिकारियों को भी प्रशिक्षित किया जाता है ?

श्री राज बहादुर: यह संस्था केवल डाकघर के कलर्कों और आर० ऐम० ऐस० सार्टरों के लिये है ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि छोटा नागपुर में यह केन्द्र किस स्थान पर खोला जायेगा ?

श्री राज बहादुर : स्थान अभी निश्चित नहीं किया गया है । यह रांची या कोई अन्य उपयुक्त स्थान हो सकता है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इस संस्था में, सामाजिक दिशा में अर्थात् जनता के साथ शिष्टता और नम्रता का व्यवहार करने की कोई शिक्षा दी जाती है ?

श्री राज बहादुर : यह तो इस में निहित है । प्रत्येक डाक कर्मचारी से आदर्श रूप से नम्र होने की आशा की जाती है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सत्य नहीं है कि सहारनपुर में इस प्रकार की संस्थाओं में श्रेणी १ के डाकपदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता था ?

श्री राज बहादुर : मेरे विचार से ऐसा नहीं है । यह डाक विभाग के कलर्कों और आर० ऐम० ऐस० के सार्टरों के लिये है।

सोशल गाइडस

*८००. **सरदार हुक्म सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि महत्वपूर्ण रेलवेस्टेशनों पर यात्री मार्गदर्शकों (सोशल गाइडस) की संख्या कम कर दी गई है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो किन कारणों से ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र): (क) तथा (ख) बदलो हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर यह संख्या कम कर दी गई है ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या अगस्त १९४८ से विभिन्न रेलवेज पर जारी किये गये इस प्रयोग से जनता को कोई लाभ हुआ है ?

श्री सतीश चन्द्र : बहुत दूर दूर तक भ्रमण करने के पश्चात् श्री सन्थानम ने यह अनुभव किया था कि जनता को अपेक्षित सहायता नहीं मिल रही थी और इन मार्ग दर्शकों (सोशल गाइड्स) की संख्या बहुत अधिक थी ।

सरदार हुक्म सिंह : इन मार्ग दर्शकों की संख्या में कितनी कमी की गई है ?

श्री सतीश चन्द्र : आरम्भ में इन की संख्या २७७ थी । अब इन की संख्या घटा कर १५२ कर दी गई है ।

श्रीमती ए० काले : मैं जान सकती हूं कि क्या कोई महिलायें भी यात्री मार्ग दर्शकों (सोशल गाइड्स) का काम कर रही हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : मुझे कहना पड़ेगा कि मुझे अच्छी तरह विदित नहीं है ।

श्री बादशाह गुप्त : मैं जान सकता हूं कि इन की संख्या में कमी कर देने से कितनी बचत हुई है ?

श्री सतीश चन्द्र : मैं ठीक ठीक आंकड़े अभी तो नहीं बतला सकता, परन्तु उन व्यक्तियों को, जिनकी छंटनी की गई है, रेलवे सेनाओं में लगा लिया गया है कुछ मामलों में उन्होंने रेलवे सेवाओं में सम्मिलित होना स्वीकार नहीं किया है क्योंकि वह प्रधानतः समाज सेवी ही थे ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या यह सत्य है कि तीन वर्षों की सेवा के बाद सब को सूचना दे दी गई थी और उन में से केवल ५० प्रति शत को पहले से आधे वेतन पर सेवा में पुनः सम्मिलित किया गया है ?

श्री सतीश चन्द्र : मेरे पास जो जानकारी है उस के अनुसार उन सब को, जो सम्मिलित होना चाहते थे, सम्मिलित कर लिया गया है ।

खड़गपुर रेलवे कर्मचारी (सुविधायें)

***८०१. श्री एस० सी० सामन्त :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२-५३ में खड़गपुर में रेलवे कर्मचारी वृन्द की सुविधाओं पर कितनी धन राशि व्यय की जायेगी ?

(ख) व्यय की विभिन्न मदें क्या हैं और उन की मात्रायें क्या हैं ?

(ग) क्या खड़गपुर में चतुर्थ श्रेणी के उन क्वार्टरों को, जिन्हें रद्दी घोषित किया जा चुका है, इस वर्ष गिरा दिया जायेगा ।

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) १२,९४,००० रुपये ।

(ख) प्रस्तावित व्यय का वितरण इस प्रकार है :

	रुपये
कर्मचारियों के नये क्वार्टर	४,४४,०००
वर्तमान क्वार्टरों में सुधार	६,८५,०००
चिकित्सा सुविधायें	५४,०००
विविध सुविधायें	१,११,०००
योग	१२,९४,०००

(ग) इस समय खड़गपुर में किन्हीं चतुर्थ श्रेणी के स्टाक क्वार्टरों को गिराने का प्रस्ताव नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री को खड़गपुर के कर्मचारियों से वहां के रेलवे स्कूलों में विद्यार्थियों के लिये स्थानाभाव होने के सम्बन्ध में बार बार अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री एस० सी० सामन्त : माननीय मंत्री ने कहा था कि कुछ धन चिकित्सा सुविधाओं के लिये आवंटित की गई है । मैं जान सकता हूं कि क्या स्थानों को बढ़ाने के कोई प्रबन्ध किये गये हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : ५४,००० रुपये चिकित्सा सुविधाओं पर व्यय किये जाने हैं । मुख्य मदें यह हैं :—(१) खड़गपुर अस्पताल में एक प्रसूति गृह का निर्माण ; (२) यातायात बस्ती में एक औषधालय और कर्मचारियों के क्वार्टर; तथा (३) मुख्य औषधालय का विस्तार तथा अपेक्षित परिवर्तन ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि खड़गपुर रेलवे स्कूल के अहाते में रात को कोढ़ी इकट्ठे हो जाते हैं, और यदि ज्ञात है तो क्या कोढ़ियों से छुटकारा पाने के लिये उस स्कूल के चारों ओर एक दीवार बनाने का विचार है ?

श्री सतीश चन्द्र : रेलवे मंत्रालय इस मामले की जांच करने के लिये तैयार है ।

खाद्य मंत्रालय के पदाधिकारी की गिरफ्तारी

*८०३. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि खाद्य मंत्रालय के एक पदाधिकारी, श्री सी० बी० स्वामी को, हाल ही में कथित घूस लेने के अभियोग में गिरफ्तार कर लिया गया है ; तथा

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्य गिरफ्तारियां भी की गई हैं ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) तथा (ख) । श्री सी० ऐस० डी० स्वामी को, जो कि पहले खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में एक पदाधिकारी थे, तीन अन्य व्यक्तियों के साथ भ्रष्टाचार अभियोग के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया है ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जान सकता हूं कि मामला क्या था ?

श्री बी० शिवा राव: श्रीमान् औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है और क्या माननीय सदस्य का प्रश्न पूछना नियमानकूल है ?

अध्यक्ष महोदय: पहले उन्हें प्रश्न पूछ लेने दीजिय । उन का प्रश्न सुन लेने के बाद हम देखेंगे कि क्या यह औचित्य प्रश्न उत्पन्न होता है या नहीं ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जान सकता हूं कि मामला क्या था ?

डा० काटजू: खाद्य के संभरण के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जान सकता हूं कि इस भ्रष्टाचार के कारण सरकार की कितनी हानि हुई है ?

डा० काटजू: कई लाख रुपये की । मामले की जांच की जा रही है ।

श्री दामोदर मेनन : श्री स्वामी के साथ गिरफ्तार किये गये अन्य व्यक्ति कौन हैं ?

डा० काटजू : एक और पदाधिकारी श्री कृष्णास्वामी और इनके अतिरिक्त दो और व्यक्ति हैं: श्री रतिलाल नानावती और श्री एन० के० साहनी ।

श्री दामोदर मेनन: क्या पुलिस ने जांच समाप्त कर ली है ?

डा० काटजू: जांच अभी जारी है ।

डा० राम सुभग सिंह: मैं जान सकता हूं कि क्या श्री रतिलाल और श्री साहनी उस मंत्रालय से सम्बन्धित हैं ?

डा० काटजू: वह पदाधिकारी नहीं हैं, किन्तु व्यापारी हैं । इन तीन व्यक्तियों में से केवल एक, श्री कृष्णास्वामी पदाधिकारी हैं ।

"अधिक अन्न उपजाओ" योजनायें (अर्थसाहाय्य)

*८०४. **डा० राम सुभग सिंह** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की

कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन के सम्बन्ध में विकास परियोजनाओं के लिये राज्य सरकारों द्वारा कृषकों को दिया गया अर्थ साहाय्य साधारणतया कुल व्यय के एक-चौथाई से अधिक नहीं होना चाहिये ?

(ख) यदि ऐसा है, तो इस के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) भारत सरकार ने निर्णय किया है कि छोटे सिंचाई कार्यों के लिये, कृषकों के दिये जाने वाले अर्थ-साहाय्यों में उस का अपना अंशदान कार्य के व्यय का २५ प्रति शत होगा । किन्तु राज्य सरकारें अपने संसाधनों में से अर्थ-साहाय्य की दर बढ़ा सकती है ।

(ख) यह 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के लिये उपलब्ध धन का अधिकतम उपयोग करने का प्रश्न है । अधिक अर्थ-साहाय्य से दुरुपयोग होने की सम्भावना बनी रहती है और लाभहीन कार्यों को प्रोत्साहन मिलता है । अतः अर्थ-साहाय्यों के स्थान पर ऋणों द्वारा इस प्रकार के कार्यों का अर्थ वहन करने से उपलब्ध धन का सर्वोत्तम प्रयोग होने की आशा है ।

डा० राम सुभग सिंह: इस निर्णय से पहले कृषकों को छोटे सिंचाई कार्यों के लिये कितना अर्थ साहाय्य दिया गया था ?

श्री करमरकर : मैं नहीं कह सकता कि यह राशि कितनी है । इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जान सकता हूं कि राज्य सरकारों द्वारा कृषकों को दिये गये अर्थ-साहाय्य का कितना प्रति शत भाग भारत सरकार देती है ?

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से यह २५ प्रति शत देती है ।

श्री करमरकर : श्रीमान् पहले यह ५० प्रतिशत था । इस बात का ध्यान रखने के लिये कि उपलब्ध धन को सर्वोत्तम रीति से वितरित किया जाये, इसे घटा कर २५ प्रति शत कर दिया गया है ।

डा० राम सुभग सिंह: मैं यह जानना चाहता हूं कि २५ प्रति शत राज्य सरकारों द्वारा दिया जाता है या भारत सरकार भी इस का कुछ भाग देती है ।

श्री करमरकर : हमारा अर्थ-साहाय्य २५ प्रति शत है । राज्य सरकारों द्वारा दिया गया अर्थ-साहाय्य भी कम से कम २५ प्रति शत होता है । परन्तु यदि वह चाहें तो इसे बढ़ा सकती हैं ।

श्री बादशाह गुप्त: मैं जान सकता हूं कि यह देखने के लिये कि अधिकांश व्यक्तियों को दिये गये अर्थ-साहाय्य वास्तविक रूप से कृषि कार्यों के लिये उपयोग किये जाते हैं और किसी अन्य कार्यों के लिये नहीं, क्या सरकार ने कोई व्यवस्था की है ?

श्री करमरकर : यह प्रधानतः राज्य सरकारों का मामला है । राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में खर्चा करती हैं और हम 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन की सहायता के लिये २५ प्रति शत खर्चा देते हैं । यह व्यवस्था साधारणतया राज्यों द्वारा की जाती है और पृथक रूप से नहीं ।

सेठ गोविन्द दास: इस सम्बन्ध में किन किन स्टेटों (राज्यों) को कितना रुपया दिया गया है और कहां कहां पर खर्चा किया गया है ? क्या इस बारे में स्टेटों (राज्यों) की सरकारों ने कोई रिपोर्ट दी है ?

श्री करमरकर : इन चीजों के बारे में कि उन्हें कितना दिया जाता है और कितना

उपयोग किया जाता है, हमें प्रत्येक वर्ष रिपोर्टें प्राप्त होती हैं ।

सेठ गोविन्द दास: किन किन स्टेटों (राज्यों) को कितना रुपया दिया गया ?

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से यह विस्तृत ब्यौरे का मामला है ।

तिलहन का उत्पादन

*८०८. **श्री एस० एन० दास :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सन् १९५१-५२ में तिलहन के उत्पादन का अन्तिम प्राक्कलन पूरा किया जा चुका है ?

(ख) यदि किया जा चुका है, तो विभिन्न राज्यों के उत्पादन के आंकड़े क्या हैं ?

(ग) क्या निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) जी हां, केवल मूंगफली तिल और अरेंडी के सम्बन्ध में ।

(ख) मूंगफली, सरसों और अरेंडी के सम्बन्ध में एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३५]**

(ग) तिलहन के अतिरिक्त उत्पादन के वार्षिक लक्ष्य अभी तक निर्धारित नहीं किये गये हैं ।

श्री एस० एन० दास: मैं जान सकता हूं कि यह प्राक्कलन पिछले वर्ष के प्राक्कलन की तुलना में कैसा है ?

श्री करमरकर : यह उस से उत्तम है । गत तीन वर्षों में तिलहन के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हुई है ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि यह वृद्धि कितनी हुई है ?

श्री करमरकर: मेरे पास एकड़ों के आंकड़े हैं । यह वृद्धि ६,२५,००० एकड़, १,०२,००० एकड़ और ४५,००० एकड़ है मेरे पहले उत्तर में थोड़े से संशोधन की आवश्यकता है । सन् १९४९-५० और १९५०-५१ की तुलना में मूंगफली और तिल के उत्पादन में थोड़ी सी कमी हुई है । अरंडी के बारे में जानकारी नहीं है ।

श्री एस० एन० दास: मैं जान सकता हूं कि क्या प्रति एकड़ उपज में कोई वृद्धि हुई है ?

श्री करमरकर: मुझे इस प्रश्न के लिये पूर्वसूचना चाहिये, क्योंकि कुल उत्पादन पिछले वर्ष के उत्पादन से कुछ कम है । मेरे पास इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है कि यह कमी समान रूप से हुई थी या इस के कोई असाधारण कारण थे ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार: क्या सरकार को विदित है कि कुछ स्थानों पर, जहां खाद्य फ़सलें बोई जाती थीं, खाद्य फ़सलों के स्थान पर व्यापारिक फ़सलें बोई गई हैं ?

श्री करमरकर: जी हां, कुछ कुछ ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि खाद्य उत्पादन मुख्य उद्देश्य है, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार यह ध्यान रखेगी कि खाद्य उत्पादन के हित में इस प्रकार फ़सलों को बदला न जाये ?

श्री करमरकर: हम खाद्य उत्पादन तथा तिलहन उत्पादन पर समान ध्यान देते हैं ।

श्री के० जी० देशमुख: मैं जान सकता हूं कि मूंगफली के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है ?

श्री करमरकर: मैं जांच करूंगा कि इस का श्रेय किस को मिलना चाहिये ।

श्री वैलायुधन: मैं जान सकता हूं कि क्या 'तिलहन' में नारियल भी सम्मिलित होगा ?

सरदार हुक्म सिंह : कोचीन का नारियल ?

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से मंत्री महोदय को इस बात पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है ।

बाबू रामनारायणसिंह: देश में जितनी तिलहन की चीज़ें पैदा होती हैं उस में से कौन सा अंश विदेशों को भेजा जाता है ? अगर भेजा जाता है तो क्या लाभ उस से होता है ? और अगर नहीं भेजा जाता है तो क्या हानि देश को होती है ?

श्री करमरकर : जितनी तिलहन की ज़रूरत इस देश में होती है उस को छोड़ कर जो बच जाता है वह विदेशों को भेजा जाता है । इस के भेजने से विदेशों से फारेन एक्सचेंज (विदेशी मुद्रा) भारत को प्राप्त होता है और इस से देश को लाभ होता है ।

तिलहन की कृषि

*८०९. **श्री बर्मन:** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५०-५१ और १९५१-५२ में कितनी भूमि में तिहलन की खेती की गई है ?

(ख) मार्च, १९५२ से अपस्फीतिकारी प्रवृत्ति से तिलहन की खेती पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

(ग) जहां तक तिलहन की खेती का सम्बन्ध है, भारत के विभिन्न राज्यों में प्रकीर्ण कृषि योजनायें कितनी सफल रही हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) (१) **ख़रीफ़ तिलहन:** (मूंगफली, तिल· तथा अरेंडी)--सन् १९५१-५२ में १८६·१ लाख एकड़ और १९५०-५१ में १८१·४ लाख एकड़ ।

(२) **रबी तिलहन:** (तोरिया, सरसों और अलसी)--सन् १९५१-५२ के अन्तिम प्राक्कलन अभी उपलब्ध नहीं हैं । दूसरे प्राक्कलनों के अनुसार, १९५१-५२ में ४२·८ लाख एकड़ों में इन तिलहनों की खेती की गई है और १९५०-५१ के दूसरे प्राक्कलन में ४४·८ लाख एकड़ों में, सन् १९५०-५१ में अन्तिम प्राक्कलन अवस्था पर ९०·१ लाख एकड़ों में ।

(ख) इस अवस्था पर कोई अनुमान लगाना भी समय से पूर्व की बात है, क्योंकि सन् १९५२-५३ की ख़रीफ़ की बुवाई अभी अभी शुरू हुई है ।

(ग) अधिकांश योजनायें अभी हाल में ही मंज़ूर की गई हैं और उन के परिणाम अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

श्री बर्मन: मैं जान सकता हूं कि मार्च १९५२ में प्रचलित मूल्य क्या थे और उस समय मूल्य क्या थे जब सरकार को अन्तिम बार सूचना दी गई थी ?

श्री करमरकर: मुझे इस के लिये पूर्व-सूचना चाहियें किन्तु मूल्य लगभग वही हैं ।

श्री एस० एन० दास: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारतीय तिलहन समिति द्वारा तैयार की गई योजनायें, जिन में अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग भी सम्मिलित था, सफल सिद्ध हुई हैं ?

श्री करमरकर : जी हां, श्रीमान् । बढ़िया क़िस्म के बीजों से सफलता मिली है ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि तिलहन में इस समय जो गिरावट आ रही है उस को

रोकने के लिये सरकार कोई कार्यवाही कर रही है या नहीं ?

श्री करमरकर: इस के लिये कुछ उपाय नहीं किये जा रहे हैं । सरकार को यह लगता है कि इस समय तिलहन में जो गिरावट आ रही है वह देश के हित के लिये ठीक है ।

श्री टी० एन० सिंह: माननीय मंत्री ने तिलहन की फ़सलों के क्षेत्र के आंकड़े बतलाये हैं । चूंकि तिलहन (तिल, सरसों और तोरिया) अन्य रबी फसलों के साथ उगाया जाता है, मैं जान सकता हूं कि उन्होंने क्षेत्र के आंकड़े की गणना कैसे की है ?

श्री करमरकर: इस समय मैं इस से कुछ अधिक नहीं कह सकता ।

श्री बी० एस० मूर्ति: मैं जान सकता हूं कि तिलहन की प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री करमरकर: मुख्यतः अधिक अच्छे बीज देने का विचार है ।

आस्ट्रेलिया द्वारा आटे का दान

*८११. **डा० राम सुभग सिंह:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भारत को भेजा हुआ आस्ट्रेलियन आटे का चलान, लगभग तीन मासों से **'मिल्डूरा'** जहाज़ पर सिडनी बन्दरगाह में रुका पड़ा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): जी हां, श्रीमान् ।

डा० राम सुभग सिंह: मैं जान सकता हूं कि इस आस्ट्रेलिया से आने वाले आटे का परिमाण क्या है ?

श्री करमरकर: मैं इस का मूल्य बतला सकता हूं । यह लगभग २,४०,००० आस्ट्रेलियन पौण्ड था और यह ३७० लाख पौण्ड में से, जो कि कोलम्बो योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न के संभरण के लिये अलग रखा गया था, लिया गया था ।

डा० राम सुभग सिंह: मैं जान सकता हूं कि क्या इस आटे को सड़ने या ख़राब होने दिया गया था किन्तु बेचने नहीं दिया गया था ?

श्री करमरकर: जी हां, श्रीमान् । यह ख़राब हो गया था और हम ने आस्ट्रेलियन सरकार को प्राधिकृत कर दिया था कि जिस मूल्य पर भी उसे बेचा जा सके, बेच दिया जाये ।

डा० राम सुभग सिंह: मैं जान सकता हूं कि इस दान के आटे को इतनी देर तक सड़ने क्यों दिया गया था ?

श्री करमरकर: आटे को सड़ने देने की कोई आज्ञा नहीं दी गई थी, किन्तु वास्तव में निर्यातक बदल गये थे, और यह हमारे बस की बात नहीं थी । अतः वह आटा बहुत समय तक पड़ा रहा । इस के इतने समय तक वहां रुके रहने की आशा नहीं थी । स्वाभाविकतः यह सड़ गया और हम ने आस्ट्रेलियन सरकार से प्रार्थना की कि हमारी ओर से इसे बेच दिया जाये ।

जनता एक्सप्रेस

*८१२. **श्री जांगड़े:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि नागपुर और कलकत्ता के बीच एक जनता एक्सप्रेस चलाने का प्रश्न विचाराधीन रह चुका है ; तथा

(ख) उस लाइन पर किस तिथि से जनता एक्सप्रैस के चलने की आशा है ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र): (क) जी नहीं ।

(ख) यद्यपि यातायात को ध्यान में रखते हुये इस की आवश्यकता है, तथापि लाइन की क्षमता की कमी के कारण और डब्बों तथा इंजनों की कमी के कारण इस प्रकार की गाड़ी के शीघ्र जारी किये जाने की कोई सम्भावना नहीं है ।

श्री जांगड़े: क्या मैं जान सकता हूं कि गत वर्ष श्री सन्थानम ने नागपुर से कलकत्ता तक एक एक्सप्रैस गाड़ी चलाने का जो विचार प्रकट किया था, उस के बारे में क्या हो रहा है ?

श्री सतीश चन्द्र: श्री सन्थानम ने ६ अक्टूबर को यह नहीं कहा था कि नागपुर से कलकत्ता तक ट्रेन चलाने का विचार है, बल्कि बम्बई से कलकत्ता तक एक ट्रेन चलाने को कहा था और वह अभी भी हमारा विचार है और वह ट्रेन इलाहाबाद हो कर चलाई जायगी ।

श्री जांगड़े: क्या मैं जान सकता हूं कि युद्ध के पहले नागपुर से बिलासपुर तक जो लोकल ट्रेन चलती थी क्या उस ट्रेन को फिर से चालू करने का विचार है ?

श्री सतीश चन्द्र: मैं नागपुर से बिलासपुर तक की तो नहीं कह सकता, लेकिन यह नागपुर से कलकत्ता तक नहीं चल सकती ।

श्री जांगड़े: लोकल ट्रेन्स के बारे में जानना चाहता हूं ।

श्री सतीश चन्द्र: मुझे इसके बारे में कोई सूचना नहीं है ।

श्री जांगड़े: क्या मैं जान सकता हूं कि नागपुर से कलकत्ता तक बंगाल नागपुर रलवे की जो मेन लाइन थी, उस में कितनी गाड़ियां....

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति । वह पिछले दिनों की गई रेलवे सम्बन्धी सभी कार्यवाही के बारे में पूछ रहे हैं । प्रश्न तो केवल एक ही विषय तक सीमित है ।

रेल डब्बे और माल के डब्बे

*८१३. **पंडित एम० बी० भार्गव**: क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में डब्बों और माल के डब्बों के लिये किसी विदेशी फर्म को आर्डर दिया गया था ;

(ख) यदि दिया गया था, तो यह आर्डर कितने डब्बों के लिये था और कितने मूल्य का था और इस आर्डर के अनुसार यह कब तक पहुंच जायेंगे ;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में भारत के विभिन्न कारख़ानों में जो डब्बे और माल के डब्बे बनाये जा रहे हैं उनकी संख्या तथा मूल्य क्या है ; तथा

(घ) वह कब तक लाइन पर चलने लगेंगे ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है ।

(ग) लगभग ८ करोड़ रुपये के मूल्य के १२०० डब्बे और लगभग ९.९ करोड़ रुपये के मूल्य के ८,९०३ माल के डब्बे ।

(घ) लगभग ८०० डब्बों और ६,७९० माल के डब्बों के चालू वित्तीय वर्ष में और चलने लगने की आशा है और शेष अगले वर्ष में चलेंगे ।

पंडित एम० बी० भार्गव: क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हर रेलवे पर कितनी कोचेज और वैगन्स की आवश्यकता है ?

श्री सतीश चन्द्र: इसके लिये पूर्वसूचना चाहिये ।

पंडित एम० बी० भार्गव: यह जो कोचेज बनाई जा रही हैं, इन में तीसरे दर्जे की कितनी हैं और दूसरे दर्जे की कितनी हैं ?

श्री सतीश चन्द्र: जो हिन्दुस्तान ऐयर-क्राफ्ट लिमिटेड में इस वक्त कोचेज बन रही हैं, उन में ३१७ तीसरे दर्जे की हैं, जर्मनी को २८० वैगन्स का जो इस वक्त आर्डर है, वह सब तीसरे दर्जे के लिये है और इनके अलावा बेलजियम और यूनाइ-टेड किंगडम से मोटरगेज की जो सौ गाड़ियां बनवाई जा रही हैं, वह भी तीसरे दर्जे की हैं ।

पंडित एम० बी० भार्गव : क्या माननीय मंत्री यह बतलायेंगे कि पहले दर्जे की कितनी गाड़ियां देश में और बाहर बनवाई जा रही हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : पहले दर्जों की गाड़ियों की गिनती बहुत कम है और उन की संख्या इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

पंडित एम० बी० भार्गव: क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जैसा मंत्री महोदय ने बतलाया कि पहला दर्जा खत्म किया जा रहा है, तो ऐसी हालत में पहले दर्जे की और कोचेज क्यों बनवाई जा रही हैं ।

श्री सतीश चन्द्र : जैसा कि मैं ने कहा है, इस समय पहले दर्जे के डब्बों के बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है ।

श्री नम्बियार: मैं जान सकता हूं कि क्या हिन्दुस्तान में बनाये जाने वाले डब्बे और माल के डब्बे पूरी तरह बनाये जाते हैं या केवल उन के पुर्जों को यहां जोड़ा जाता है ?

श्री सतीश चन्द्र: कुछ माल तो आयात किया हुआ होता है, किन्तु इन का निर्माण इस देश में होता है ।

श्री एस० जी० पारिख : भरतपुर और औरवां के माल डब्बो की फ़ैक्टरियों के बारे में क्या सूचना है और क्या उन में निर्माण-कार्य शुरू हो गया है ?

श्री सतीश चन्द्र: मुझे इन के बारे में ठीक ठीक सूचना नहीं है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं पूछ सकता हूं कि जब अपने देश में ही यह डब्बे बनाये जाते हैं तो इन को बाहर से मंगाने की क्यों आवश्यकता हुई ?

श्री सतीश चन्द्र: जितने डब्बे हमारे यहां बनते हैं वह हमारे लिये काफ़ी नहीं हैं और उन से हमारा काम नहीं चलता है।

श्री एम० एल० द्विवेदी: क्या माननीय मंत्री ने यह जानना चाहा...

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति । अब हमें अगले प्रश्न को लेना चाहिये ।

तृतीय श्रेणी के यात्री (रिज़र्वेशन)

***८१४. पंडित एम० बी० भार्गव:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंग कि क्या तीसरी श्रेणी के यात्रियों को लम्बे सफ़र के लिये रिजर्वेशन कराने की कोई सुविधा दी जाती है और यदि दी जाती है, तो किन स्टेशनों पर और किन शर्तों पर ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : जी हां । एक विवरण जिस में विस्तृत अपेक्षित जानकारी दी हुई है, सदन, पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३६]**.

पंडित एम० बी० भार्गव: क्या माननीय मंत्री थर्ड क्लास पर भी रिजर्वेशन फ़ेसिलि-

टीज (सुविधायें) लागू करना चाहते हैं और ऐसा कब तक कर सकेंगे ?

श्री सतीश चन्द्र: रेलवे मिनिस्ट्री (मंत्रालय) की यह कोशिश है कि इस को जल्द से जल्द लागू किया जाये और इस के अलावा (अतिरिक्त) दूसरी और सहूलियतें भी बढ़ाने का विचार है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि लम्बी यात्राओं के लिये तीसरी श्रेणी के यात्रियों को सोने का स्थान देने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सतीश चन्द्र: हमारी गाड़ियों में पहले ही से बहुत भीड़ होती है और सोने का स्थान देने के बारे में इस अवस्था पर विचार नहीं किया जा सकता ।

श्री नामधारी : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि रेलवे प्रशासन ने तीसरे दर्जे के डब्बों में पंखों के संग्रह में से एक तिहाई से अधिक पंखे लगा देने का प्रशंसनीय कार्य किया है, क्या सरकार शेष पंखों को जल्दी से जल्दी लगाने की कृपा करेगी ?

अध्यक्ष महोदय: यह केवल एक सुझाव है ।

श्री के० जी० देशमुख : क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने मील के प्रवासियों के लिये रिज़र्वेशन किया जाता है और रिज़र्वेशन के चार्जेज (व्यय) क्या हैं ?

श्री सतीश चन्द्र: रिजर्वेशन के लिये चार आने लिये जाते हैं और मील का तो मालूम नहीं ।

अध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न ।

रेलगाड़ियों में हत्यायें

*८१५. **श्री धूसिया:** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९४९, १९५० और १९५१ में दिल्ली और बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता, बम्बई और मद्रास और मद्रास और कलकत्ता के बीच चलने वाली गाड़ियों में कितनी हत्यायें हुईं ?

(ख) इस प्रकार की हत्याओं को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र): (क) सन् १९४९ में मद्रास और कलकत्ता के बीच गाड़ी में एक हत्या हुई थी और दिल्ली और कलकत्ता के बीच एक और हत्या हुई थी । सन् १९५० में, सदस्य द्वारा उल्लिखित विभागों में किसी भी गाड़ी में कोई हत्यायें नहीं हुईं । किन्तु सन् १९५१ में हत्याओं की तीन घटनायें हुईं और यह सब दिल्ली और कलकत्ता के बीच हुई थीं ।

(ख) जो कार्यवाहियां की गई हैं, उन में से कुछ यह हैं: सरकारी रेलवे पुलिस या रेलवे सुरक्षा पुलिस के दस्तों द्वारा महत्वपूर्ण गाड़ियों की रक्षा, सब दर्जों के डब्बों की सावधानी से देख भाल ताकि यात्रियों की सुरक्षा के लिये लगाये गये उपकरणों को उचित रूप से ठीक रखा जा सके, और ऊंचे दर्जे के डब्बों में तथा इन्टर और तीसरे दर्जे के जनाने डब्बों में खिड़कियों में सलाखें लगाना ।

श्री धूसिया : मैं जान सकता हूं कि क्या रेलवे की सरकारी जांच के अनुसार गाड़ियों में हुई हत्याओं के कुछ विशेष कारण हैं ? यदि हैं, तो वह क्या हैं ?

श्री सतीश चन्द्र: कोई विशेष कारण तो हो नहीं सकता है । सामान्यतया उद्देश्य यह होता है कि यात्रियों की बहुमूल्य वस्तुयें लूट ली जायें ।

श्री घूसिया : उपरोक्त वर्षों में कितने अपराधियों का पता लगाया गया और उन पर अभियोग चलाया गया ?

श्री सतीश चन्द्र : मेरे पास यह जानकारी नहीं है । यह मामला विधि की साधारण प्रक्रिया के अनुसार निपटाये जाते हैं और अभियोग राज्य सरकारों द्वारा चलाये जाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रत्यक्षतः इस मामले पर अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है । यह अधिक तर विधान और सुव्यवस्था का प्रश्न है । अन्तर केवल यह है कि अपराध रेलवे क्षेत्राधिकार में होता है । रेलवे को अभियोग चलाये जाने के प्रश्न में जाने का अधिकार नहीं है ।

श्री घूसिया : क्या इस प्रकार के मामलों का पता लगाने में कभी किसी रेलवे पदाधिकारी का हाथ था ?

श्री सतीश चन्द्र : मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

श्री वेंकटारमन : क्या यह तथ्य है कि ऊंचे दरजे के डब्बों में लगाई गई सलाखें बाहर से डब्बों में घुसने वालों को पर्याप्त रूप स नहीं रोक सकती हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : यदि उन का अवैध दुरुपयोग न किया जाये, तो इन सलाखों से यात्रियों की काफ़ी रक्षा होती है ।

फ़्रंटियर मेल में श्री अब्दुल अली की हत्या

*८१६. **श्री घूसिया** (क) क्या रेल मंत्री यह बतालने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि फ़रवरी, १९५२ के चौथे सप्ताह में, दिल्ली जंकशन पर फ़्रंटियर मेल के एक पहले दर्जे के डब्बे के शौचालय में श्री अब्दुल अली नाम का एक व्यक्ति मृत पाया गया था ?

(ख) वह गाड़ी दिल्ली जंकशन पर किस समय पहुंची थी और शव को कितने घंटे बाद देखा गया था ?

(ग) क्या रेलवे पुलिस ने शव की तलाशी ली थी, यदि ली थी, तो कौन से पत्र तथा कितना धन मिला था ?

(घ) क्या इस सम्बन्ध में अब तक कोई गिरफ्तारी की गई है ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी हां ।

(ख) यह गाड़ी दिल्ली जंकशन पर शाम को लगभग ७·४५ पर पहुंची थी और शव को ८ और ८·१० के बीच देखा गया था ।

(ग) जी हां । कोई धन नहीं पाया गया था, किन्तु कुछ पत्र तथा अन्य वस्तुयें, जिन की एक सूची सदन पटल पर रखी जाती है, मृतक के शरीर पर पाई गई थी । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३७**].

(घ) जी नहीं ।

अध्यक्ष महोदय। अगला प्रश्न ।

श्री बी० शिवा राव : ८१७ ।

वाणिज्य तथा उद्योग, उपमंत्री (श्री करमरकर) : संभवतः प्रश्न संख्या ८२६ को भी इस के साथ ले लिया जाये । वह एक ही विषय, मीन क्षेत्रों के सम्बन्ध में हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, ८१७ और ८२६ ।

मीन क्षेत्र

*८१७. **श्री बी० शिवा राव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे : (क) सन् १९४९-५०, १९५०-५१ और १९५१-५२ में भारत में कितनी मछली पकड़ी गई ?

(ख) क्या गहरे समुद्र के मीन क्षेत्रों के विकास की कोई योजनायें हैं।

(ग) तटों से देश के अन्तर्देशीय केन्द्रों तक मछली पहुंचाने के लिये क्या सुविधायें देने का विचार है; तथा

(घ) क्या उस मछली को, जो तत्काल नहीं खाई जाती है, डिब्बों में भरने का उद्योग स्थापित करने के कोई प्रस्ताव हैं?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) समुद्री मछली तथा अन्तर्देशीय विक्रय मछली के अतिरेक के परिगणित आंकड़े इस प्रकार हैं :—

	टन
१९४९	५,४९,३०७
१९५०	७,९८,९३८
१९५१	७,३४,२७८

(ख) जी हां, एक विवरण जिसमें इस प्रकार की योजनायें दी हुई हैं सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३८]**

(ग) समुद्र तट से अन्तर्देशीय केन्द्रों तक मछली पहुंचाने के लिये सुविधायें देना मुख्यतः राज्य सरकारों का काम है। तथापि भारत सरकार ने यह सुविधायें दे कर इस विषय में सहायता की है :—

(१) अधिकांश भारतीय रेलों में मछली के लदानों के लिये कम दरें।

(२) सन् १९५०-५१ में मद्रास सरकार को मोटर यातायात की सुविधायें देने के हेतु एक अधिक अन्न उपजाओ योजना के लिये २९,१५८ रुपये की वित्तीय सहायता।

भारत सरकार तथा संयुक्त राज्य अमेरीका के मध्य टेक्निकल सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत, समुद्रीय मीनक्षेत्र विस्तार तथा आधुनिकीकरण योजना में, तटीय क्षेत्रों से अन्तर्देशीय केन्द्रों तक जल्दी मछली ले जाने के लिये भी सुविधायें देने का विचार है।

(घ) जी नहीं

मीनक्षेत्र (अर्थ साहाय्य)

*८२६. **श्री मादिया गौडा**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या राज्यों में मीन क्षेत्रों के विकास के लिये राज्यों को अर्थ साहाय्य के रूप में कोई धन दिया जाता है,

(ख) यदि दिया जाता है, तो सन् १९५१-५२ में प्रत्येक राज्य को कितनी राशि दी गई है; तथा,

(ग) यदि मैसूर को कोई धन राशि नहीं दी जाती है, तो इस का कारण क्या है।

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) जी हां।

(ख) एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३९]**

(ग) मैसूर की सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं मांगी गई थी।

भाग (ख) के अन्तर्गत मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ऋण के रूप में मंजूर की गई कुल राशि १२,८६,००० रुपये है और अनुदान के रूप में मंजूर की गई राशि ९,५१,९४८ रुपये हैं।

श्री बी० शिवा राव: खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के मत्स्य-विषयक परामर्शदाता ने हाल ही में इस देश में अमरीकन पदाधिकारियों और विशेषज्ञों की सहायता से मीन-क्षेत्र विकास की संभावना पर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। क्या वह प्रतिवेदन

मंत्रालय को प्राप्त हो चुका है और क्या माननीय मंत्री इसे सदन पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री करमरकर : मैं इस की जांच करूंगा और यदि संभव हुआ तो मैं इसे सदन पटल पर रख दूंगा ।

श्री मादिया गौडा : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मैसूर सरकार ने कोई सहायता मांगी थी और उसे देना अस्वीकार कर दिया गया था ।

श्री करमरकर : मैं समझता हूं कि मैसूर सरकार ने कोई सहायता नहीं मांगी थी । यदि मांगी जायेगी तो हम इस विषय पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे ।

श्री मादिया गौडा : क्या सरकार को विदित है कि मैसूर राज्य में मीनक्षेत्रों के विकास के लिये बहुत उत्तम सुविधायें हैं और क्या सरकार इन्हें विकसित करने में रुचि लेगी ?

श्री करमरकर : हमें सदा अत्यधिक रुचि रही है । यदि मैसूर सरकार मामले को प्रस्तुत करेगी, तो हम अवश्य उस पर विचार करेंगे ।

श्री बी० शिवा राव : मेरे प्रश्न के भाग (ग) के सम्बन्ध में ,जो कि मछली के परिवहन के लिये दी गई सुविधाओं के बारे में था, क्या रेल मंत्रालय के सात शीत-संग्रह माल डब्बों के दिये जाने के प्रश्न पर पत्र-व्यवहार किया गया है ?

श्री करमरकर : मैं निश्चित रूप से नहीं जानता । मैं जांच करूंगा ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या अन्तर्देशीय मीनक्षेत्रों के विकास की कोई योजना है ?

श्री करमरकर : जी हां ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : वह योजनायें क्या हैं ?

श्री करमरकर : मुझे पूर्वसूचना चाहिये । मुझे पूर्ण विश्वास है कि अन्तर्देशीय मीनक्षेत्रों और गहरे समुद्र के मीनक्षेत्रों दोनों को विकसित किया जा रहा है ।

श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन : भाग (घ) की ओर निर्देश करते हुये, क्या सरकार को विदित है कि एक विशिष्ट क्षेत्र में बहुत सी मछली फेंक देनी पड़ी थी, क्योंकि वहां डब्बों में भरने का कोई उद्योग नहीं थीं । मेरा अभिप्राय मालाबार, पश्चिमी तट से है ।

श्री करमरकर : मैं ने देखा है कि डब्बों में बन्द मछली इस देश में अधिक लोकप्रिय नहीं है । हो सकता है कि ऐसा हुआ हो ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि मैसूर सरकार ने विशेष नस्लों की अमरीकन मछलियां और जापानी मछलियां आयात की थीं और क्या अमरीकन मछलियां हमारे तालाबों में मैसूर की मछली और जापानी मछली दोनो को खा रही हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति ।

श्री बेली राम दास : मैं जान सकता हूं कि क्या मीनक्षेत्रों को विकसित करने के लिये मछुओं को आर्थिक सहायता देने का कोई उपबन्ध है ?

श्री करमरकर : मैं इस के बारे में जांच करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं अगला प्रश्न लेता हूं ।

वन्य भूमि

*८१८. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में कुल वन्य क्षेत्र कितना है ?

(ख) क्या सन् १९४७ से इस क्षेत्र में वृद्धि हुई है या कमी हुई है और कितनी ?

(ग) वनों के विस्तार, संरक्षण, वर्गीकरण तथा उपयोग के बारे में सरकार की नई नीति क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख) । एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४०]**

(ग) राष्ट्रीय वन नीति सम्बन्धी सरकारी संकल्प संख्या १३-१-५२ च, दिनांक १२-५-५२ की प्रतिलिपियां सदन के पुस्तकालय से मिल सकती हैं ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: गत दो वर्षों में कितने वन्य क्षेत्र को कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया है ?

श्री करमरकर: मैं पूर्वसूचना चाहता हूं ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: इस समय कितने प्रकार के वन हैं ? इस वर्गीकरण का आधार क्या है ?

श्री करमरकर: नीति विवरण प्रकाशित हो चुकी है और सदन के पुस्तकालय से मिल सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या विवरण सदन पटल पर रख दिया गया है ?

श्री करमरकर : इसे पहले ही पुस्तकालय में रख दिया गया है ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : इस समय दियासलाई बनाने की लकड़ी के वन का क्षेत्रफल कितना है ?

श्री करमरकर: मुझे इस के लिये सूर्वसूचना चाहिये ।

श्री नानादास : उन वनों के बारे में, जिन में कुछ वनस्पति नहीं होती है, सरकार की नीति क्या है ?

अध्यक्ष महोदय: यह एक बहुत सामान्य तथा अस्पष्ट प्रश्न है और यह सारे भारतीय संघ के बारे में है ।

श्री नानादास: सुरक्षित वन ?

श्री एस० एन० दास: क्या मैं जान सकता हूं प्रति वर्ष जैसे वन महोत्सव मनाया जाता था वैसे ही क्या इस वर्ष भी तीसरा वन महोत्सव मनाया जायेगा या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति ; मैं इस प्रश्न के पूछे जाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: खाली भूमियों में वन लगाने के कार्य को प्रोत्साहित करने के लिये क्या विशेष कार्यवाहियां की गई है ?

श्री करमरकर: मुझे पूर्वसूचना चाहिये । हम जो कुछ करना चाहते हैं, वह नीति विवरण में बतलाया गया है ।

श्री दामोदर मेनन: क्या सरकार के पास निजी वनों का राष्ट्रीयकरण करने की कोई योजना है ?

श्री करमरकर: जो कुछ भी कहने योग्य है, वह नीति विवरण में बतलाया गया है ।

मध्य भारत में सड़कें और पुल

***८१९. श्री आर० सी० शर्मा:** (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५१-५२ में, मध्य भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़कें तथा पुल बनाने के लिये, केन्द्रीय सड़क निधि में से यदि कोई धन राशि व्यय की गई थी, तो वह कितनी थी ?

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य भारत में बनायी जाने

वाली सड़कों तथा पुलों की क्या कोई सूची है ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव : (श्री सतीश चन्द्र) : सड़क निधि में से कुछ नहीं किन्तु राष्ट्रीय राजमार्ग अनुदानों में से अनुमानतः १.२५ लाख रुपये ।

(ख) एक कार्यक्रम है, जिसके अनुसार चम्बल नदी पर एक पुल बनाया जायेगा और जिस पर सन् १९५३ में कार्य शुरू होगा और उन सड़कों के कुछ मीलों पर, जिन्हें अभी अन्तिम रूप से चुना जाना है, कोलतार डाला जायेगा ।

श्री आर० सी० शर्मा : क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस चम्बल ब्रिज (पुल) के अतिरिक्त कोई अन्य ब्रिज भी मध्य भारत में निर्माण होने वाला है ?

श्री सतीश चन्द्र: चम्बल ब्रिज नैशनल हाईवे (राष्ट्रीय राजमार्ग) पर एक ही पुल है जो बनने वाला है ।

श्री आर० सी० शर्मा : क्या मध्य भारत से हो कर गुजरने वाला और कोई नैशनल हाईवे नहीं है ?

श्री सतीश चन्द्र : मध्य भारत से हो कर गुजरने वाला और कोई नैशनल हाईवे नहीं है ।

श्री आर० सी० शर्मा : क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रोड फ़ण्ड (सड़क निधि) में से प्रान्तों को जो धन दिया जाता है वह किस आधार पर और किस अनुपात से दिया जाता है ?

श्री सतीश चन्द्र : यह कहना तो मेरे लिये कठिन है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं आवश्यकतानुसार दिया जाता होगा ।

श्री नम्बियार : श्रीमान्, प्रश्न संख्या ८२१ का उत्तर दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : इस की बारी अन्त में आयेगी । क्या आप के पास लिखित प्राधिकार है ?

श्री नम्बियार: श्रीमान्, उन्होंने मौखिक प्राधिकार दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों के हित में, मैं यह कहना चाहूंगा कि जब तक किसी विशिष्ट दिन को, विशिष्ट प्रश्नों के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट लिखित प्राधिकार न दिया जाये, इस प्रकार का कोई सामान्य प्राधिकार स्वीकार नहीं किया जायेगा

बिहार में कुओं की खुदाई :

***८२३. श्री झूलन सिन्हा** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि बिहार में कुओं की खुदाई के लिये अर्थ साहाय्य का दिया जाना बन्द कर दिया गया है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि इस के फलस्वरूप बिहार में कुओं की खुदाई बिल्कुल बन्द हो गई थी और बिहार विधान सभा के बहुत से सदस्यों के अभ्यावेदन पर ही सरकार ने व्यय के २५ प्रतिशत तक की सहायता केवल १००० कुओं के लिये देना स्वीकार किया था ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख) । जी नहीं । भारत सरकार की नीति यह है कि घनी कृषि के संकेन्द्रित क्षेत्रों में कुओं के लिये अर्थ साहाय्य दिया जाये । इस आधार पर कुएं खोदने के लिये बिहार सरकार का प्रस्ताव केवल उन कुओं के विषय में अस्वीकार किया गया था, जिन्हें बिना घनी कृषि वाले क्षेत्रों में बनाया जाना था । वास्तव में सन् १९५१-५२ में, कुओं की खुदाई के लिये सहायता देने के हेतु बिहार सरकार को, घनी कृषि वाले क्षेत्रों में कुओं की कुल

लागत की ५० प्रतिशत की दर से। १२.२५ लाख रुपये के अनुदान की मंजूरी दी गई थी। सन् १९५२-५३ से कुएं खोदने के लिये कुल साहाय्य सारे देश के लिये ५० प्रतिशत से २५ प्रतिशत कर दिया गया है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, हमें ज्ञात हुआ है कि सन् १९५०-५१ में बिहार सरकार ने बिना घनी कृषि वाले क्षेत्रों में, कुछ कुओं के लिये अपने धन में से अर्थ साहाय्य दी थी। अपने धन में से अर्थ साहायता देने के कार्य को वह अब भी जारी रख सकती है।

श्री झूलन सिन्हा: श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुये कि बिहार के दूरस्थित क्षेत्रों में इन कुओं का बहुत महत्व है, क्या सरकार का विचार इस अर्थ साहाय्य को पुनः जारी करने का है ?

श्री करमरकर: कोई प्रस्ताव नहीं है। हम समझते हैं कि जिस अर्थ साहाय्य को देने का हमारा विचार है वह बहुत युक्ति-युक्त है।

शोरानूर-निलाम्बुर रेलवे लाइन

*८२५. **श्री एन० पी० दामोदरन**: क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) शोरानूर-निलाम्बुर रेलवे लाइन को, जो कि द्वितीय विश्वयुद्ध में बन्द कर दी गई थी, पुनः बिछाने का काम कब शुरू होगा; तथा

(ख) यदि काम अभी शुरू नहीं हुआ है, तो विलम्ब होने के कारण क्या हैं ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र): (क) प्रारम्भिक कार्य पहले ही प्रारम्भ किया जा चुका है और अपेक्षित सामान को इकट्ठा करने का काम जारी है। प्रारम्भिक कार्य समाप्त होने के बाद वास्तविक निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

दक्षिणी रेलवे में माल डब्बों की कमी

*८२८. **श्री विश्वनाथ रेड्डी**: क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या दक्षिणी रेलवे में माल डब्बों की चिरस्थायी कमी है;

(ख) क्या गुन्टूर और कृष्णा जिलों से रायलासीमा को निश्शुल्क दिया हुआ अनाज और चारा पहुंचाने के लिये भी डब्बों की कमी अनुभव की गई थी; तथा

(ग) क्या इस बात के विषय में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि डब्बों का संचालन ठीक तरह से नहीं किया जाता है, और यदि हुई है, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार कर रही है ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र): (क) भारतीय रेलवे में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये माल डब्बों की सामान्य कमी है, दक्षिणी रेलवे पर डब्बों की मांग सामर्थ्य से अधिक है।

(ख) जी नहीं। गुन्टूर और कृष्णा जिलों से सारा अनाज और चारा समय पर भेज दिया जाता है।

(ग) जी नहीं। किन्तु वाणिज्य मंडल, त्रिचूर से हाल ही में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था और इस का उत्तर दे दिया गया है। इस सम्बन्ध में ५ जून, १९५२ के तारांकित प्रश्न संख्या ५३८ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

श्री विश्वनाथ रेड्डी: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या रायलासीमा में माल डब्बों के अभाव के कारण गत तीन मासों से खनिज पदार्थों के ढेर के ढेर प्लेट-फार्मों पर पड़े हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : इस रेलवे पर पहले से पंजीकृत माल पड़ा हुआ है और जितना भी माल ले जाया जा सकता है, ले जाया जा रहा है और पिछले कुछ मासों में डब्बों के लदान में सुधार हुआ है ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या अब इस रेलवे में माल के डब्बों की संख्या को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा प्रतीत होता है कि उन का अभिप्राय यह है कि रायलासीमा की असाधारण स्थिति को ध्यान में रखते हुये, क्या अनाज के लिये डब्बे देने में कोई विशेष पूर्वता देने का विचार है ?

श्री सतीश चन्द्र : जहां तक अनाज का सम्बन्ध है, वह सब का सब ले जाया जा रहा है और कोई अनाज शेष नहीं रहता है ।

श्रीमती ए० काले : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि माल डब्बों के मामले में बहुत चालाकी होती है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । यह प्रश्न तो अनुमान पर आधारित है ।

श्री नम्बियार : क्या सरकार को विदित है कि माल डब्बों की कमी के कारण तंजोर के प्लैटफार्मों पर रायलासीमा को भेजे जाने वाले धान तथा चावल की सैकड़ों बोरियां बहुत देर से रुकी पड़ी हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : मेरे पास इस विषय में कोई जानकारी नहीं है । मैं केवल यह कह सकता हूं कि अनाज के यातायात को बहुत प्राथमिकता दी जाती है ।

श्री इश्वर रेड्डी : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को विदित है कि अनाज तथा चारे के ले जाये जाने के लिये अब भी प्राथमिकता सुविधायें नहीं दी जा रही हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या उन का आशय यह है कि रायलासीमा के लिये ?

श्री सतीश चन्द्र : श्रीमान्, यह एक न एक रूप में उसी प्रश्न की पुनरावृत्ति है । मेरी जानकारी के अनुसार अनाज और चारा भेजा जा रहा है ।

अमरावती रेलवे स्टेशन के पास ऊपर का पुल

*८२९. **श्री के० जी० देशमुख** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय रेलवे पर अमरावती रेलवे स्टेशन के पास रेलवे लाइनों के ऊपर पुल बनाने के विषय में कोई जांच की गई थी;

(ख) यदि की गई थी, तो जांच का प्रतिवेदन क्या था; तथा

(ग) क्या रेलवे स्टेशन की इमारत के, जो कि अब बनाई जा रही है, पुनर्निर्माण की योजना में उक्त पुल के निर्माण के लिये कोई उपबन्ध है ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) तथा (ख) इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश राज्य सरकार से पूछा गया था । उस ने अमरावती पर एक सड़क का पुल बनाने के लिये अपने हिस्से का खर्च देना मान लिया है, किन्तु फाटकों के स्थान पर सड़क का पुल बनाने के लिये, अपनी प्राथमिकताओं की सूची में, उस ने इसे चौथा स्थान दिया है ।

(ग) जी नहीं ।

श्री के० जी० देशमुख : : क्या इस के निर्माण के लिये कोई कालावधि निश्चित है ।

श्री सतीश चन्द्र : कालावधि नहीं हो सकती । तीन पुलों के समाप्त होने पर, इस चौथे पुल पर विचार किया जायेगा ।

श्री के० जी० देशमुख : क्या इस वर्ष इस के लिये व्यवस्था है ?

श्री सतीश चन्द्र : इस वर्ष संभवतः कोई व्यवस्था नहीं है ।

घी और वनस्पति

*८३०. **श्री झूलन सिन्हा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में घी और बनस्पति की वार्षिक खपत के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं: तथा

(ख) घी तथा खाद्य तेलों की प्रति व्यक्ति प्रति दिन की वार्षिक आवश्यकता के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) वार्षिक खपत के लिये उपबन्ध घी अनुमानतः लगभग ४ लाख टन है और बनस्पति १.७ लाख टन हैं ।

(ख) प्रति व्यक्ति प्रति दिन वार्षिक आवश्यकता का अर्थ स्पष्ट नहीं है । आहार-पोषण परामर्शदात्री समिति के अनुसार, सन्तुलित आहार में बनस्पति घी इत्यादि का अंश प्रति उपभोग इकाई प्रति दिन दो औंस होना चाहिये ।

श्री झूलन सिन्हा : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या देश में घी तथा बनस्पति का कुल उत्पादन घी की वार्षिक आवश्यकता के बराबर है, जैसा कि सूत्र में दिया गया है ।

श्री करमरकर : मंडियों से आने वाली सूचनाओं से पता चलता है कि बनस्पति का उत्पादन काफी है किन्तु घी की कमी है ।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री को यह बात मालूम है कि घी की जितनी यहां आवश्यकता है और जो सूचना अभी माननीय मंत्री ने यहां बतलाई उस के अनुसार घी यहां पर मिलना असंभव ही है और जो मिलता है उस में भी मिलावट होती है ?

श्री करमरकर : सरकार जानती है कि घी जितना चाहिये उतना नहीं मिलता है और उस के संवर्द्धन के लिये उपाय कर रही है ।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री को यह बात मालूम है कि जो उपाय किये जा रहे हैं उन से घी की मिलावट नहीं रुक रही है ?

श्री करमरकर : मिलावट से क्या मतलब है ?

अध्यक्ष महोदय : वह सरकार के विचारार्थ जानकारी दे रहे हैं । इसे ध्यान में रखा जाना चाहिये ।

सहजनवा—बढ़नी रेलवे लाइनें

*८३१. **श्री यू० एस० दुबे :** क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) ओ० टी० रेलवे पर, बखीरा, मैढ़ावाला और बांसी के रास्ते से, सहजनवा और बढ़नी को मिलाने की और कलवाड़ी को बढ़नी से मिलाने की क्या कोई मांग है; तथा

(ख) यदि है, तो क्या सरकार का विचार इन में किन्हीं लाइनों के निकट भविष्य में खोले जाने की संभाव्यता पर विचार करने का है ?

प्रधान मंत्री के सभासचिव : (श्री सतीश चन्द्र) : (क) तथा (ख) उत्तर प्रदेश की सरकार ने खंडसारी, पथरा बाजार, बांसी, रुधौली और बस्ती के रास्ते से बढ़नी और कलबाड़ी के बीच और उत्रौला, डोमरियागंज, पथरा बाजार बांसी मेंढ़ावाला और खलीलाबाद के रास्ते से बलरामपुर और सहजनवा के बीच रेलवे लाइनें बनाने की सिफ़ारिश की थी । केन्द्रीय यातायात पर्षद् की २८ जलाई, १९४८ की बैठक में इन दोनों परियोजनाओं पर विचार किया गया था और इन्हें इसी कारण रद्द कर दिया था

कि इन क्षेत्रों की आवश्यकतायें सड़कों द्वारा पर्याप्त रूप से पूरी की जा सकती हैं।

श्री यू० एस० दुबे : क्या सरकार ने यह भी देखा है कि जो सड़के वहां हैं वह वहां की जरूरियात को पूरा नहीं कर सकती हैं ?

श्री सतीश चन्द्र: वहां काफी सड़कें हैं। और अगर और ज्यादा सड़कों की जरूरत है तो यह स्टेट गवर्नमेंट (राज्य सरकार) का काम है।

श्री यू० एस० दुबे : क्या सरकार को मालुम है कि सड़कें कच्ची हैं या पक्की हैं या सीमेंटेड हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : कुछ सड़कों पर खास खास जगहों पर ट्रक्स वगैरह चलती हैं। लेकिन खराब सड़कों को ठीक करने का काम जैसा मैं ने कहा, स्टेट गवर्नमेंट का है।

सीजन टिकट

*८३२. **श्री एस० जी० पारिख**: क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि बम्बई के उपनगरों तथा अन्य स्थानों के लिए त्रैमासिक सीज़न टिकट बन्द किये जाने वाले हैं ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र): त्रैमासिक उपनगर सीजन टिकटों को जारी करने के बारे में वर्तमान प्रक्रिया में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

श्री बी० एस० मूर्ति: श्रीमन् मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार क्रिसमस तथा अन्य त्योहारों के लिए सीज़न टिकट पुनः जारी करने वाली है ?

अध्यक्ष महोदय: क्या माननीय सदस्य सामान्यतः सब रेलों के बारे में पूछते हैं ?

श्री एस० जी० पारिख: मुख्य प्रश्न 'बम्बई के उप नगरों तथा अन्य स्थानों' के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय: प्रत्यक्षतः प्रश्न से यह प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य का निर्देश केवल बम्बई की ओर ही था। तथापि यदि वह इस का सामान्य अर्थ करते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री बी० एस० मूर्ति: मैं जान सकता हूं कि क्या मुख्य स्थानों और उन के उपनगरों में अन्य त्योहारों के लिए भी सीज़न टिकट जारी किये जायेंगे।

श्री सतीश चन्द्र: अनुमानतः माननीय सदस्य वापसी सफर के उन रियायती टिकटों की ओर निर्देश कर रहे हैं, जिन्हें त्योहार के अवसर पर जारी किया जाता था। यह प्रश्न उन सीज़न टिकटों के बारे में है, जिन्हें बम्बई के उपनगरों तथा अन्य स्थानों में जारी किया जाता है। मैं ने समझा था कि यह मद्रास या कलकत्ता के उपनगरों की ओर भी निर्देश करता है ?

श्री एस० जी० पारिख: मेरा आशय अन्य स्टेशनों से भी था।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सभा सचिव का अनुमान ठीक है। मैं ने भी आरम्भ में यही समझा था। प्रश्न पहले से ही स्पष्ट होना चाहिये था।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: क्या और रेलवेज़ में भी ऐसे टिकट जारी किये जाने की योजना है ?

श्री सतीश चन्द्र: मैं समझता हूं कि इस समय तो और नहीं है।

मनीपुर और त्रिपुरा में क्षय रोग

*८३४. **श्री एल० जे० सिंह**: क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी :

(क) क्या यह सत्य है कि मनीपुर और त्रिपुरा के स्कूल तथा कालेज के विद्यार्थियों में क्षय रोग काफी बढ़ गया है ; तथा

(ख) बी० सी० जी० टीका लगाने वाली संस्था के नवीनतम प्रतिवेदन के अनुसार, मनीपुर और त्रिपुरा के स्कूल तथा कालेज के विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत के क्षय रोगी होने की आशंका है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) तथा (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होने पर सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री एल० जे० सिंह: मैं जान सकता हूं कि क्या इन दो राज्यों में क्षय रोग के कोई अस्पताल हैं :.....?

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि जानकारी इकट्ठी की जा रही है और इस के सदन पटल पर रखे जाने के पश्चात् माननीय सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं ।

ढोरों का निर्यात

*८३५. **श्री एल० जे० सिंह**: क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) ढोरों के निर्यात पर से प्रतिबन्ध हटाने के बाद से मनीपुर से कितने ढोरों का निर्यात हुआ है ; तथा

(ख) क्या यह सत्य है कि ढोरों के निर्यात पर से प्रतिबन्ध हटाने के बाद से, ढोरों की काफ़ी कमी हो गई है, जिससे कि कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और ढोरों की चोरी बढ़ रही है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) एक जून, १९५१ से ३१ मई, १९५२ तक की अवधि में २१,६३८ ढोर मनीपुर से आसाम को निर्यात किये गये थे ।

(ख) यह कहना सत्य नहीं है कि जब से निर्यात पर से प्रतिबन्ध हटाया गया है, ढोरों की कमी हो गई है और कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । ढोरों की चोरी की सूचित घटनाओं में थोड़ी सी वृद्धि हुई है किन्तु यह प्रतिबन्ध हटाने के कारण नहीं हुई है । इस का कारण संभवतः यह है कि प्रशासन स्थिर हो गया है और अधिक पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं जिस के फलस्वरूप पुलिस को अधिकाधिक चोरियों की सूचना मिलती है ।

श्री एल० जे० सिंह: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने बैलों तथा अन्य ढोरों के मूल्यों में जो कि ढोरों की कमी के कारण असामान्य रूप से बढ़ते जारहे हैं, वृद्धि को रोकने की क्या कोई व्यवस्था की है ?

डा० काटजू: यदि माननीय सदस्य ने स्वंय प्रश्न में ही इस बात को उठाया होता तो मैं जानकारी प्राप्त कर लेता, किन्तु वर्तमान स्थिति में मुझे ज्ञात नहीं है कि मूल्य बढ़ रहे हैं या नहीं ।

सेठ गोविन्द दास: मनीपुर से यह जो जानवरों का निर्यात होता है वह किस स्थान के लिए होता है और जहां पर जाते हैं वहां उन का क्या किया जाता है ?

डा० काटजू: आसाम में जाते हैं और वहां गायों का दूध निकाला जाता है और बैलों को चलाया जाता है ।

सेठ गोविन्द दास: मैं यह जानना चाहता था कि वह वध के निमित्त तो नहीं जाते हैं ?

डा० काटजू: आशा तो नहीं है ।

श्री एल० जे० सिंह: ढोरों की कमी को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार का विचार इस समय ढोरों का निर्यात बन्द करने का है ?

डा० काटजू: बन्द करने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि हमारी जानकारी के अनुसार, कृषि सम्बन्धी अर्थ व्यवस्था में वस्तुतः कोई गड़बड़ नहीं हुई है । मैं यहां यह भी बतला देना चाहूंगा कि जहां पिछले वर्ष अर्थात् सन् १९५०-५१ में ढोरों की चोरी

की केवल १० घटनायें हुई थीं, सूचनाओं के अनुसार यह सन् १९५१-५२ में ३५ तक बढ़ गई हैं।

बम्बई-कन्या कुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग

*८३६. **श्री एन० पी० दामोदरन :** क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बम्बई से कन्या कुमारी तक एक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जा रहा है;

(ख) यदि (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो अब काम किस अवस्था पर है;

(ग) इस सड़क के कब तक बन कर पूर्ण हो जाने की आशा है ;

(घ) इस के बनाने पर क्या लागत आयेगी ;

(ङ) क्या इस राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच आने वाली सब नदियों पर पुल बनाये जायेंगे ;

(च) सब नदियों पर पुल बनाने में कितना समय लगेगा ; तथा

(छ) उन स्थानों पर, जहां सड़क रेलवे लाइन के समानान्तर चलती है, क्या रेलवे पुलों को सड़क-रेल पुलों में परिवर्तित करने की सम्भाव्यता पर, जैसा कि कनानोर के समीप बालियापटम रेल पुल को हाल में सड़क-रेल पुल में परिवर्तित किया गया है विचार किया गया है ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) राष्ट्रीय राजपथ ३, ४ और ७, हुबली, बंगलौर और मदुरा से हो कर बम्बई को कन्या कुमारी से मिलाते हैं। अनुमानतः माननीय सदस्य पश्चिमी तट सड़क (वेस्ट कोस्ट रोड) नाम की एक और सड़क के निर्माण की योजना की ओर निर्देश कर रहे हैं, जो हुबली से एक शाखा के रूप में, मंगलौर और त्रिचूर हो कर जायेगी। यह सड़क वर्तमान प्रस्तावित राष्ट्रीय राजपथ योजना में सम्मिलित नहीं है किन्तु केन्द्र से सहायता प्राप्त निर्माण कार्य इस पर जारी है ।

(ख) जारी कार्यों तथा उन कार्यों का जिन्हें शीघ्र जारी करने का विचार है, एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४१]**

(ग) से (च). एक ऐसी सड़क बनाने में, जिस पर सब पुल हों, १० से १५ तक वर्ष लगेंगे और इस पर लगभग पांच करोड़ रुपये लागत आयेगी ।

(छ) जी हां ।

श्री वैलायुधन : मैं जान सकता हूं कि क्या हुबली को, पश्चिमी तट से हो कर, कन्या कुमारी से मिलाने की किसी योजना पर पहले विचार किया गया था, और क्या इसे इस वर्ष छोड़ दिया जायेगा ?

श्री सतीश चन्द्र : मैं ने अभी कहा है कि काम शुरू हो चुका है और जारी है । मैं उसी सड़क के बारे में कह रहा हूं जो माननीय सदस्य के ध्यान में है ।

श्री वैलायुधन : क्या यह एक राष्ट्रीय राजपथ है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सभा सचिव ने अभी कहा है कि नहीं । माननीय सदस्य ने सम्भवतः उत्तर पर ध्यान नहीं दिया । मैं ने स्वयं मुख्य प्रश्न के उत्तर में सुना था कि यह राष्ट्रीय राजपथ नहीं है ।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में सरकार को पश्चिमी तट निवासियों से बार बार अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं कि पश्चिमी तट पर इस प्रकार की सड़क के निर्माण की योजना आवश्यक है ?

श्री सतीश चन्द्र : श्रीमान, मैं ने अभी कहा है कि उक्त सड़क पर काम जारी है ।

श्री नम्बियार: माननीय सभा सचिव ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न का उत्तर पूर्णतः दिया जा चुका है। यदि माननीय सदस्य ने उत्तर को समझने की चेष्टा की होती, तो उन को उन के प्रश्न का उत्तर मिल गया होता। अभी बतलाया गया है कि कुछ सहायता दे कर यह सड़क बनाई जा रही है। अतः इसे ठीक ठीक एक राष्ट्रीय राजपथ नहीं कहा जा सकता।

श्री नम्बियार: किन्तु सड़क तो नहीं बनाई जा रही है। सम्भव है इस में पन्द्रह वर्ष लग जायें।

श्री सतीश चन्द्र: यदि माननीय सदस्य सन्तुष्ट नहीं हुये हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता।

श्री अच्युतन: मैं जान सकता हूं कि उक्त योजना के लिये केन्द्रीय सरकार किस प्रकार व्यय करती है?

श्री सतीश चन्द्र: संघीय वित्तीय एकीकरण योजना के अन्तर्गत सड़क के उस भाग के विकास तथा संधारण का खर्च, जो कि त्रावनकोर-कोचीन राज्य में है, केन्द्रीय सरकार उठाती है, किन्तु सड़क के उन भागों का खर्च, जो कि बम्बई और मद्रास राज्यों में आते हैं, आधा केन्द्र उठायेगा और आधा बम्बई तथा मद्रास को सरकारें उठायेंगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मीनक्षेत्रों का विकास

*८०२. **कुमारी ऑनी मस्करीन**: (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पंच वर्षीय योजना में मीनक्षेत्रों के विकास के लिये कितनी धन राशि रखी गई है?

(ख) क्या भारत में मीनक्षेत्रों के विकास की कोई योजनायें हैं;

(ग) यदि है, तो इन योजनाओं को कहां चलाया जायेगा?

(घ) प्रत्येक राज्य के लिये कितनी धन राशि आवंटित की गई है?

(ङ) क्या यह योजनायें किसी कम्पनी या अभिकर्त्ताओं को सौंपी गई हैं और यदि ऐसा है, तो वह कौन हैं?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) पंचवर्षीय योजना में मीनक्षेत्रों के विकास के लिये कुल ४.३९ करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था की गई है।

(ख) से (घ)। एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४२**]

(ङ) जी नहीं। मीनक्षेत्र योजनायें विभागीय रूप से चलाई जाती हैं और कभी कभी मछुओं की सहायता ली जाती है।

खाद्य अर्थ साहाय्य

*८०५. **डा० पी० एस० देशमुख**: (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि अपवाद रूप में कुछ अर्थ साहाय्य अब भी दी जाती हैं?

(ख) यदि ऐसा है, तो यह किन राज्यों को दी जाती है और इस की राशि क्या है?

(ग) यह अपवाद किस आधार पर किये जाते हैं?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) तथा (ख)। जी हां; त्रावनकोर-कोचीन राज्य को ३ करोड़ रुपये की पिंड राशि का तदर्थ अर्थ साहाय्य दिया जाता है।

(ग) त्रावनकोर-कोचीन के मामले में अपवाद इसलिये किया गया था क्योंकि यह बहुत कमी वाला क्षेत्र है और इसे आयात

खाद्यान्न, विशेषकर चावल पर, जो कि बहुत महंगा है, निर्भर रहना पड़ता है और इस तरफ़ आन्तरिक अतिरेक नहीं पहुंच सकते हैं ।

चीनी

*८०६. **डा० पी० एस० देशमुख:** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि हैदराबाद में तैयार की गई चीनी उपयोग के लिये बहुत समय तक मद्रास भेजी जाती रही थी और मद्रास में तैयार की गई चीनी हैदराबाद भेजी जाती थी ?

(ख) क्या इस मामले की जांच की गई है ?

(ग) यदि की गई है, तो क्या इसे बन्द कर दिया गया है और कब ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) एक कमी वाले राज्य से दूसरे कमी वाले राज्य में चीनी को लाने ले जाने की आज्ञा नहीं है। परन्तु सन् १९५१ में हैदराबाद में एक नये संयंत्र के चालू हो जाने और राज्य के अनुमानित उपभोग की अपेक्षा उत्पादन में वृद्धि हो जाने के कारण ऋतु के आरम्भ में कुछ चीनी हैदराबाद से मद्रास भेजे जाने के लिए आवंटित की गई थी। बाद में सम्पूर्ण भारत के उत्पादन में असाधारण वृद्धि हो जाने और इस के फलस्वरूप हैदराबाद राज्य के उपभोग कोटा में वृद्धि हो जाने के कारण, कुछ चीनी मद्रास और बम्बई से हैदराबाद को वापस देनी पड़ी थी।

अगरतला के समीप वायुयान दुर्घटना

*८०७. **श्री ए० सी० गुहा:** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १० अप्रैल, १९५२ को कालिंग एयरवेज का एक सामान वाहक वायुयान अगरतला में गिर कर टूट गया था ;

(ख) क्षति के कारण और स्वरूप क्या थे ;

(ग) क्या गत दो वर्षों में इस कम्पनी के वायुयानों के साथ और भी कोई दुर्घटनायें हुई थीं ; तथा

(घ) क्या इस दुर्घटना की कोई जांच की गई है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी हां।

(ख) क्षति विमान के गिरने और उससे आग लग जाने के कारण हुई थी। वायुयान तथा उस में रखा हुआ माल ४,८९० पौंड तिल और २,८५६ पौंड रुई, पूर्णत: आग से नष्ट हो गया था। चार वायुयान चालक मरे वायुयान में कोई यात्री नहीं था।

(ग) जी हां। एक और डकाटो वायुयान जो कि अपनी नियमित माल वाहक उड़ान पर जा रहा था, ३१ दिसम्बर, १९५१ को डम डम के समीप गिरा था ।

(घ) जी हां, श्रीमान्।

चीनी मिलें

*८१०. **डा० पी० एस० देशमुख: क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री सदन पटल पर एक विवरण रखने को कृपा करेंगे जिस में यह चीजें दी गई हों :—

(क) भारत की चीनी मिलों के नाम ;

(ख) उन की स्थापना का वर्ष ;

(ग) उन की स्थिति; तथा

(घ) प्रत्येक मिल का प्रति वर्ष का उत्पादन ?

वाणिज्य तथा उद्योग उप मंत्री (श्री करमरकर) : (क), (ग) तथा (घ) एक विवरण जिस में चीनी मिलों के नाम,

उनकी स्थिति और सन् १९४९-५०, १९५०-५१ और १९५१-५२ (३१ मई, १९५२ तक) में उन का प्रत्येक वर्ष का उत्पादन बतलाया गया है सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४३**]

इस वर्ष से पूर्व के वर्षों के सम्बन्ध में प्रत्येक मिल के उत्पादन आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं।

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है ।

त्रिपुरा के सब-पोस्टमास्टर द्वारा टैलीग्रामों का रोका जाना

*८२०. **श्री बीरेन दत्त:** (क) क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या त्रिपुरा के संसद् सदस्यों द्वारा भारत के प्रधान मंत्री को भेजा गया एक टैलीग्राम अगरताला के सब-पोस्टमास्टर ने रोक लिया था ?

(ख) क्या ऐसा त्रिपुरा के मुख्यआयुक्त के आदेश से किया गया था ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) तथा (ख) । इस विषय में वर्तमान आदेशों का ज्ञान न होने से इस प्रकार के दो टैलीग्रामों को कुछ दिनों तक इसलिये रोक रखा गया था, क्योंकि इन्हें आपत्तिजनक समझा गया था । किन्तु बाद में इन्हें जारी कर दिया था ।

श्री मैकविन्नी को प्रवासाज्ञा देने से इन्कार

*८२१. **श्री ए० के० गोपालन:** (क) क्या गृहकार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या एक ब्रिटिश नागरिक और कार्मिक संघों के विश्व संघ (वर्ड फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियन्स) के नेता, श्री मैकविन्नी को भारत में प्रवेश करने के लिए प्रवासाज्ञा देने से इन्कार कर दिया गया था, और यदि हां तो क्यों ?

(ख) गत तीन वर्षों में स्वतंत्र कार्मिक संघों के अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंधान के कितने पदाधिकारियों को भारत में प्रवेश करने की आज्ञा दी गई है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) जी हां, लोक हित में ।

(ख) ५ ।

कुछ ग्रामों का बम्बई से हैदराबाद को हस्तान्तरण

*८२२. **श्री पाटसकर:** क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या २५ जनवरी, १९५० को बम्बई राज्य के कुछ ग्रामों को हैदराबाद राज्य को हस्तांन्तरित करने से पूर्व उन के निवासियों की इच्छाएं जान ली गई थीं ;

(ख) क्या इन ग्रामों के निवासियों ने इस हस्तान्तरण के विरुद्ध अभ्यावेदन किया है ?

(ग) क्या इस हस्तान्तरण के फलस्वरूप इन ग्रामों के निवासियों को कष्ट उठाना पड़ा है क्योंकि इन दो राज्यों का आर्थिक, राजनैतिक तथा प्रशासनिक ढांचा भिन्न भिन्न है ;

(घ) क्या यह सत्य है कि सीमा-शुल्क, शिक्षा संस्थाओं आदि के विषय में जनता को आरम्भ में दी गई सुविधाएं हैदराबाद सरकार ने वापस ले ली हैं ; तथा

(ङ) क्या जनता की कठिनाइयों तथा कष्टों को दूर करने के लिए कोई कार्य-वाहियां की जा रही हैं ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) प्रशासन सम्बन्धी सुविधा के लिए और सीमाओं का वैज्ञानिकन करने के लिए

सारे भारत में सम्बन्धित राज्यों की सरकारों की पारस्परिक सहमति से, समावृत्त ग्रामों को एक राज्य से दूसरे राज्य को हस्तान्तरित कर दिया गया था। बम्बई के समावृत्त ग्रामों का हैदराबाद को हस्तान्तरण इस सामान्य योजना का एक भाग था।

(ख) जी हां।

(ग) तथा (घ)। इन ग्रामों की जनता की दो मुख्य शिकायतें थीं; एक सीमा-शुल्क सम्बन्धी छूट के बारे में थी और दूसरी स्कूलों, ग्राम्य अभिलेखों, पंचायतों आदि सम्बन्धी उन विभिन्न सुविधाओं को जारी रखने के बारे में थी, जिन से वह बम्बई के अन्तर्गत लाभ उठाते थे। पहली शिकायत के बारे में, सीमाशुल्क की वह रियायतें जो पहले दी गई थी, ३१ जुलाई, १९५१ को हैदराबाद सरकार ने वापस ले ली थीं क्योंकि ग्रामीण जनता निरन्तर इस विशेषाधिकार का दुरुपयोग कर रहे थे और बड़े पैमाने पर माल का चौर्यानिन करते थे। इन शुल्कों का आरोपण, हर हालत में अप्रैल, १९५४ से हटा दिया जाना है।

(ङ) जी हां। जनता की कठिनाइयों और समुचित शिकायतों को यथासम्भव दूर करने के लिये हैदराबाद सरकार उपाय कर रही है।

मलनाद विकास योजना

*८२४. **श्री कैलप्पन:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) मलनाद विकास योजना में कितनी प्रगति की गई है; तथा

(ख) इस योजना में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित हैं?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) भारत सरकार ने मल-नाद प्रदेश के विकास के लिये कोई योजना नहीं बनाई है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

त्रिपुरा में चेचक का प्रकोप

*८२७. **श्री बीरेन दत्त:** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी:

(क) क्या त्रिपुरा के पहाड़ी क्षेत्रों में चेचक की महामारी की रोकथाम करने के लिये कोई प्रबन्ध किये गये हैं; तथा

(ख) इस राज्य के खोवी क्षेत्रों में पिछली बार चेचक फैलने से कितने लोग मरे थे?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) जी हां। जिन क्षेत्रों में चेचक का प्रकोप हुआ है, उन में बड़े पैमाने पर लोगों को टीका लगाने और पुनः टीका लगाने के प्रबन्ध किये गये हैं।

(ख) १७।

रेल दुर्घटनायें

*८३७. **श्री बी० एन० राय:** क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) सन् १९५०-५१ और १९५१-५२ में उत्तर पूर्वी रेलवे में कितनी रेल दुर्घटनायें हुईं;

(ख) इन में कितने व्यक्ति मरे और कितने घायल हुये; तथा

(ग) दी गई क्षतिपूर्ति की राशि क्या है?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र): (क) सन् १९५०-५१ में यात्री गाड़ियों की चार भीषण दुर्घटनायें हुईं और सन् १९५१-५२ में ६ दुर्घटनायें हुईं।

(ख) सन् १९५०-५१ में ३६ व्यक्ति मरे और १७० घायल हुये और सन् १९५१-५२ में २६ व्यक्ति मरे और ९४ घायल हुये ।

(ग) सन् १९५०-५१ में १४,९०४ रुपये और १९५१-५२ में ६४,८७७ रुपये।

गंडक पर रेल का पुल

*८३८. **श्री बी० एन० राय:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या उत्तर पूर्व रेलवे में, उत्तर प्रदेश में छितौनी घाट रेलवे स्टेशन और बिहार में बगहा स्टेशन के समीप, गंडक पर कहीं रेल का पुल बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि है, तो क्या यह उस स्थान पर बनाया जायेगा जहां पुराना पुल था ; तथा

(ग) इसे बनाने में विलम्ब होने के कारण क्या हैं ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र): (क) जी हां ।

(ख) नये पुल का स्थान अभी निश्चित नहीं किया गया है ।

(ग) नया पुल बनाने का प्रस्ताव सरकार की अर्थोपाय स्थिति में सुधार हो जाने के बाद लिया जायेगा ।

छोटा-उदयपुर रेलवे लाइन

*८३९. **श्री एम० एम० गांधी:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विगत काल में बड़ौदा राज्य को छोटा-उदयपुर, इन्दौर और रतलाम से मिलाने का, जिस से कि बड़ौदा, मध्य भारत और बम्बई से मिल जायगा, कोई प्रस्ताव था; तथा

(ख) यदि था, तो क्या सरकार बड़ौदा राज्य द्वारा, जो कि अब बम्बई राज्य में विलीन हो गया है, प्रस्तावित योजना पर विचार करेगी ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र): (क) सरकार को इस प्रकार के किसी प्रस्ताव का कोई ज्ञान नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

काश्मीर में डाक-झौंपड़ियां

*८४०. **श्री ग़ुलाम क़ादिर:** क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि काश्मीर में सोनमर्ग और कारगिल के मध्य जो डाक-झौंपड़ियां आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दी गई थीं, वह अभी तक पुनः नहीं बनाई गई हैं ;

(ख) क्या सरकार को विदित है कि जाड़ों में इन क्षेत्रों को जाने वाली डाक को प्रायः देर हो जाती है ; तथा

(ग) सरकार का विचार कब इन झौपड़ियों को पुनः बनाने का है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) तथा (ग)। उस क्षेत्र की वर्तमान स्थितियों में, हरकारों का रात को जाना बन्द कर दिया गया है । अतः हरकारों के विश्राम के लिये झौंपड़ियों की आवश्यकता नहीं रही है, क्योंकि वह रात अपने घरों में ही व्यतीत करते हैं। तथापि दिन के समय हरकारों के विश्राम के लिये पुनः झौंपड़ियां बनाने के आदेश दे दिये गये हैं ।

(ख) जाड़ों में डाक को झौपड़ियों के अभाव के कारण नहीं, अपितु कड़ी सरदी पड़नें के कारण देर हो जाती है ।

टैलीग्राफ़ लाइन को लद्दाख से आगे बढ़ाना

*८४१. **श्री ग़ुलाम क़ादिर :** क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या टैलीग्राफ़ लाइन को लद्दाख से आगे बढ़ाने के लिए, ताकि इसे नबरा-पेनामिक और सीमान्त क्षेत्रों से मिलाया जा सके, कोई कार्यवाही की गई है; तथा

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो सरकार का विचार इस विषय में क्या कार्यवाही करने का है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं।

(ख) इस समय टैलीग्राफ़ लाइन को लद्दाख से आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पठानकोट—उधमपुर रेलवे लाइन

*८४२. **श्री ग़ुलाम क़ादिर :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पठानकोट से उधमपुर और जम्मू तक रेलवे लाइन बनाने के लिए कोई परिमापन किया गया है या किया जा रहा है ;

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार का विचार कब रेलवे लाइन बनाने का कार्य शुरू करने का है।

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो इसके कारण क्या है ?

प्रधान मंत्री के सभा (सचिव श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी नहीं।

(ख) भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(ग) कारण यह है कि आर्थिक स्थिति बहुत विषम है और इस के साथ यह भी बात है कि उच्च प्राथमिकता-प्राप्त परियोजनाओं की, जो कि केन्द्रिय यातायात पर्षद् द्वारा अनुमोदित है, एक लम्बी सूची पहले से ही मौजूद है।

भूतपूर्व-निजाम स्टेट रेलवे

*८४३. **श्री विठ्ठल राव :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भूतपूर्व ऐन० ऐस० रेलवे पर अधिनिर्णायक के पंचाट को किस हद तक और कर्मचारी-वृन्द के किन वर्गों के सम्बन्ध में लागू किया गया है;

(ख) कर्मचारी-वृन्द के वह वर्ग कौन से हैं जो पंचाट के अन्तर्गत आते हैं किन्तु जिन पर अधिनिर्णायक का पंचाट लागू नहीं किया गया है ; तथा

(ग) पंचाट के लागू न करने से रेलवे प्रशासन ने कितनी बचत की है ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) कार्य के घंटों के विनियमन सम्बन्धी सुविधायें, जैसा कि यह अधिनिर्णायक के पंचाट द्वारा संशोधित किये गये हैं, पूर्ण रूप से भूतपूर्व ऐन० ऐस० रेलवे के इंजीनियरिंग यन्त्रीय, संग्रह तथा लेखा विभागों में सब वर्गों के कर्मचारियों को और डाक्टरी तथा परिवहन विभागों के श्रेणी ४ के कर्मचारियों को दे दी गई है, वाणिज्यक विभाग और परिवहन तथा डाक्टरी विभागों के श्रेणी ३ के कर्मचारियों को यह सुविधायें दी जा रही हैं और अनुमान लगाया गया है कि इस कार्य में ५० प्रति शत प्रगति हुई है।

(ख) पंचाट की सुविधायें अभी तक गाड़ी के साथ चलने वाले कर्मचारियों, और टिकट देखने वालों, माल तोलनेवालों और लगभग ५० प्रति शत सहायक स्टेशन मास्टरों

और गाड़ी निरीक्षक कर्मचारियों को नहीं दी गई हैं। पंचाट की सुविधायें पूरी तरह दिये जाने के लिए अपेक्षित आठ में से पांच पद डाक्टरी विभाग में भरे जा चुके हैं।

(ग) पंचाट को पूरी तरह कार्यान्वित करने में स्वाभाविक रूप से समय लगेगा और प्रशासन द्वारा कोई बचत किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

राजस्थान और मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों के लिये रेलवे लाइन

*८४४. **श्री डामर** : क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने पहले कभी बी० बी० एण्ड सी० आई० की बड़ी लाइन के आर पार उत्तर से सुदूर दक्षिण तक जाने वाली एक ऐसी रेल लाइन निकालने के लिये कोई योजना बनाई थी, जो राजस्थान और मध्य भारत के आदिवासियों के क्षेत्र में से हो कर जाये ;

(ख) यदि बनाई थी तो उस सम्बन्ध में निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ किया जाने वाला है ; तथा

(ग) यदि नहीं बनाई थी, तो क्या हाल में कोई योजना बनाई गई है ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) राजस्थान और मध्य-भारत में यह उत्तर-दक्षिण रेल शाखायें विचाराधीन रही हैं :—

(१) अजमेर-कोटा, तथा (२) भुसावल तराना रोड।

(ख) पहली परियोजना पर केन्द्रिय यातायात पर्षद ने विचार किया था और इसे छोड़ दिया गया था। दूसरा प्रस्ताव मध्य भारत सरकार की राये जानने के लिये भेजा गया है। सरकार इस अवस्था पर यह नहीं कह सकती कि यदि निर्माण कार्य आरम्भ किया गया, तो कब किया जायेगा।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

अहमदाबाद-खेरवाड़ा राष्ट्रीय राजपथ

*८४५. **श्री भीखा भाई** : क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अहमदाबाद-खेरवाड़ा राष्ट्रीय राजपथ संख्या ८ का निर्माण शुरू कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां तो इस सड़क परियोजना पर अब तक कितनी प्रगति हुई है ; तथा

(ग) यह कार्य कब तक समाप्त हो जायेगा ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) तथा (ख) निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं किया गया है परन्तु एक उपयुक्त सड़क बनाने और कार्य की योजनायें तथा आंकड़े तैयार करने के लिए पर्यालोकन किये जा रहे है।

(ग) आशा है कि सड़क निर्माणका कार्य १९५७-५८ तक समाप्त हो जायेगा।

परला की मेडी लाइट रेलवे

*८४६. **श्री संगण्णा** : क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या परलाकीमेडी लाइट रेलवे (बी० ऐन० रेलवे) को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव है ; तथा

(ख) यदि है तो इसे कब हाथ में लिया जायेगा ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी हां।

(ख) इस अवस्था पर यह बतलाना संभव नहीं है कि यदि परलाकीमेडी लाइट रेलवे को परिवर्तित करने का कार्य वस्तुतः प्रारम्भ किया गया तो कब किया जायेगा।

आंगोल-हैदराबाद रेलवे लाइन

*८४७. **श्री कंडास्वामी:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सत्य है कि संसद् में कम्भूम से हो कर, आंगोल से हैदराबाद तक रेलवे लाइन बनाने का सुझाव दिया गया था जिस से कि गंटूर, नलगोंडा-करीमनगर और आदिलाबाद के ज़िले यातायात के लिये खुल जायें; तथा

(ख) क्या सरकार का विचार इस परियोजना की जांच कराने का है और यदि है, तो कब ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र): (क) इस मामले की जांच की जा रही है और एक विवरण यथासमय सदन पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ख) केन्द्रीय यातायात पर्षद् द्वारा अनुमोदित बहुत सी परियोजनायें पहले से ही हैं, जिन्हें कार्यान्वित करने में कई वर्ष लगेंगे क्योंकि आर्थिक स्थिति विषम है । अतः इस अवस्था पर आंगोल-हदराबाद लाइन के लिये कोई जांच करने से कोई लाभ होने की सम्भावना नहीं है, क्योंकि यदि कोई परिमापन कार्य किया गया तो यह कुछ वर्षों के बाद पुराना हो जायेगा ।

केन्द्रीय रेलवे परमार्शदात्री पर्षद्

*८४८. **श्री कंडास्वामी:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या केन्द्रीय रेलवे परामर्शदात्री पर्षद् को जारी रखा जायगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या संसद् के दोनों सदनों से प्रतिनिधियों की एक समान संख्या चुनने के लिये कहा जायेगा ;

(ग) यदि ऐसा है, तो नये पर्षद् का संगठन कब किया जायेगा ;

(घ) पुनर्वर्गीकरण के प्रकाश में, स्थानीय रेलवे परामर्शदात्री परिषदों को किस तरह पुनर्गठित किया जायेगा; तथा

(ङ) संसद् के दोनों सदनों के स्थानीय सदस्यों को इन परिषदों से सम्बद्ध करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र): (क) से (ग) । यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

(घ) तथा (ङ) । इन परामर्शदात्री निकायों को पुनर्गठित करने का मामला सरकार के विचाराधीन है ।

मध्य प्रदेश में चावल का समाहार

*८४९. **श्री किरोलिकर:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) १ मई, १९५२ तक मध्य प्रदेश राज्य के चावल पैदा करने वाले ज़िलों से और दुर्ग ज़िले से चावल का कितना समाहार किया गया है ;

(ख) चावल किन राज्यों को भेजा गया है और कितनी मात्रा में ; तथा

(ग) दुर्ग ज़िले से त्रावनकोर-कोचीन राज्य को कितना चावल भेजा गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) १-११-५१ से ३०-४-५२ तक की अवधि में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा १,८३,८१२ टन चावल समाहृत किया गया था । इस आकड़े में १८,५०० टन वह चावल भी सम्मिलित है, जो दुर्ग ज़िले से समाहृत किया गया था ।

(ख) १-११-५१ से २६-४-५२ तक की अवधि में मध्य प्रदेश सरकार ने ८,८५३ टन चावल बम्बई को, ८,९७५ टन चावल मद्रास को और ५,५१६ टन चावल त्रावनकोर-कोचीन को भेजा

(ग) ३-५-५२ को समाप्त होने वाले इन दो सप्ताहों में, मध्य प्रदेश के दुर्ग ज़िले से २,००० टन चावल त्रावनकोर-कोचीन को भेजा गया था ।

पलनी-साम्राज्यनगर रलवे लाइन

*८५०. **श्री बालकृष्णनन :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दारापुरम तथा सत्यमंगलम के रास्ते, पलनी (मद्रास राज्य) से साम्राज्य नगर तक एक रेलवे लाइन बनाने का प्रस्ताव था ;

(ख) क्या यह सत्य है कि कुछ वर्ष पूर्व इस लाइन का परिमापन किया गया था ; तथा

(ग) यदि हां, तो इस परिमापन का क्या परिणाम निकला ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : क कोयम्बटूर-सत्यमंगलम-छामराज-नगर परियोजना के एक भाग के रूप में, पलनी और छामराजनगर के बीच एक रेलवे पर दो भागों में (१) त्रिप्पुर और धारापुरम के रास्ते पलनी से सत्यमंगलम तक और (२) सत्यमंगलम से छामराजनगर तक, विचार किया गया था ।

(ख) पलनी-सत्यमंगलम परियोजना का परिमापन अन्तिम बार सन् १९२६-२७ में किया गया था । छामराजनगर-कोयम्बटूर परियोजना का परिमापन सन् १९४८-४९ में किया गया था ।

(ग) सत्यमंगलम-पलनी रेलवे परियोजना आर्थिक दृष्टि से अलाभप्रद पाई गई थी । अतः इसे छोड़ दिया गया था । छामराजनगर-सत्यमंगलम कोयम्बटूर रेलवे परियोजना केन्द्रीय यातायात पर्षद् द्वारा अनुमोदित कर दी गई है और इस का निर्माण सन् १९५४-५५ और १९५५-५६ में आरम्भ करने का विचार है ।

अन्तरिक्षीय यंत्र

१६५. **श्री एस० सी० सामन्त : क्या संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में उन कारखानों के नाम क्या हैं जहां अन्तरिक्षीय विभाग के दैनिक कार्य के लिये अन्तरिक्षीय तथा भूकम्प दर्शक यंत्र बनाये जाते हैं ; तथा

(ख) वह कौन से यंत्र हैं जो भारत में नहीं बनाये जाते हैं अपितु आयात किये जाते हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) अन्तरिक्षीय और भूकम्प दर्शक यंत्रों के सम्बन्ध में, भारतीय अन्तरिक्षीय विभाग की आवश्यकताओं का अधिकांश भाग, विभाग की अपनी दिल्ली और पूना की कर्मशालाओं में बनाये गये यंत्रों द्वारा पूरा किया जाता है । मैं भारत में उन अन्य संस्थाओं का, जहां से यंत्र लिये जाते हैं, एक विवरण सदन पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४४]**

(ख) एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४५]**

खाद्यान्नों का समाहार

१६६. **श्री एस० एन० दास :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२ में विभिन्न राज्यों के लिये खाद्यान्न समाहार के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री करमरकर) : एक विवरण, जिसमें विभिन्न राज्यों के सन् १९५२ के समाहार लक्ष्य बतलाये गये हैं, सदन पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

भारत में विभिन्न राज्यों के सन् १९५२ के खाद्यान्नों के समाहार लक्ष्य

राज्य	मात्रा टनों में
आसाम	७०,०००
बिहार	४१,०००
बम्बई	२५०,०००
मध्य प्रदेश	४६०,०००
मद्रास	८५०,०००
उड़ीसा	२४४,५००
पंजाब	२८५,०००
उत्तर प्रदेश	५१७,०००
पश्चिमी बंगाल	२५०,०००
हैदराबाद	१७५,०००
जम्मू व काश्मीर	४३,६१६
मध्य भारत	५७,०००
मैसूर	७२,०००
पैप्सू	११०,५८०
राजस्थान	८०,०००
सौराष्ट्र	१६,०००
त्रावनकोर-कोचीन	८०,८००
कुर्ग	११,०००
हिमाचल प्रदेश	१,८००
कच्छ	१,०००
मनीपुर	२,५७१
त्रिपुरा	१,१००
विन्ध्य प्रदेश	२५,७१९
अण्डमान	३००
योग	३,६४५,९८६

चीनी

१६७. **श्री एस० एन० दास:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५१-५२ में भारत में उत्पादित कुल चीनी के राज्यवार आंकड़े क्या हैं;

(ख) उसी अवधि में कुल कितनी खंडसारी चीनी का उत्पादन हुआ ;

(ग) उसी अवधि में कुल कितने गुड़ का उत्पादन हुआ; तथा

(घ) इन वस्तुओं के उत्पादन, वितरण, विक्रय और परिवहन पर से किस सीमा तक नियंत्रण हटाया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) एक विवरण, जिस में सन् १९५१-५२ में २२ मई, १९५२ तक चीनी का उत्पादन बतलाया गया है, सदन पटल पर रखा जाता है ।

(ख) एक लाख टन (अनुमानित)

(ग) २७.५ लाख टन (अनुमानित)

(घ) चीनी के उत्पादन पर कोई नियंत्रण नहीं है और एक राज्य से दूसरे राज्य में चीनी लाने ले जाने पर भी सब प्रतिबन्ध हटा लिये गये हैं और राशनिंग समाप्त कर दिया गया है । किन्तु मिलों से निकासी पर नियंत्रण रखा गया है और नियंत्रित वितरण के लिये दी गई चीनी निश्चित मूल्यों पर बेची जाती है ।

गुड़ और खंडसारी के मूल्य निर्धारित अधिकतम मूल्यों से बहुत कम हैं और उन के उत्पादन, वितरण और परिवहन पर कोई नियंत्रण नहीं है ।

विवरण

सन् १९५१-५२ में २२ मई को अन्त होने वाले सप्ताह तक चीनी का उत्पादन

	१९५१-५२
उत्तर प्रदेश	८,०१,८९८
बिहार	२,२४,३१९
पश्चिमी बंगाल	७,१५७
पंजाब	१६,८७२
उड़ीसा	२,५९६
मद्रास	८८,९७८
राजस्थान	७,३९८
त्रावनकोर	४,३७६
बम्बई	१,५४,३२९
भोपाल	३,६५६
मैसूर	२३,८००
पैप्सू	२७,५७५
हैदराबाद	३७,६७२
मध्य भारत	१८,२१७
अजमेर-मारवाड़	७८९
योग	१४,२१,६६२

इन में आयरा तथा महोली चीनी मिलों के २२-५-५२ को अन्त होने वाले सप्ताह तक के उत्पादन आंकड़े सम्मिलित नहीं है ।

यात्री डब्बे तथा माल के डब्बे

१६८. पंडित एम० बी० भार्गव: क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) सन् १९५१-५२ में भारत में बाहर से आयात किये गये प्रत्येक दर्जे के डब्बों की पृथक् पृथक् संख्या तथा मूल्य और तीनों प्रकार की रेलवे लाइनों के माल डब्बों की संख्या तथा मूल्य ;

(ख) सन् १९५१-५२ में भारत के विभिन्न कारखानों में निर्मित प्रत्येक दर्जे के डब्बों की पृथक् पृथक् संख्या तथा मूल्य ;

(ग) उन रेलवे लाइनों के नाम तथा प्रकार जिन पर सन् १९५१ में उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) में उल्लिखित डब्बे तथा माल डब्बे चालू किये गये ;

(घ) तीनों गेजों के डब्बों तथा माल डब्बों की संख्या जिन्हें सन् १९५१-५२ में विभिन्न रेलवे लाइनों पर बदला जाना था ;

(ङ) तीनों गेजों के डब्बों तथा माल डब्बों की संख्या जिन्हें बदलने की तुरन्त आवश्यकता है ;

(च) तीनों गेजों पर प्रति वर्ष कितने डब्बों तथा माल डब्बों को बदलने की आवश्यकता होती है और भारत में निर्मित तथा बाहर से आयात किये गये डब्बों तथा माल डब्बों की औसत संख्या तथा मूल्य ; तथा

(छ) तीनों गेजों के उन डब्बों तथा माल डब्बों की संख्या जिन को भारत के विभिन्न कारखानों में मरम्मत की जा रही है ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र): (क) **यात्री डब्बे–**

(१) बम्बई उपनगरीय सर्विस के लिये ब्रिटेन से ब्राड गेज के बिजली से चलने वाले एक से अधिक एककों वाले ९६ (६४ केन्द्रीय रेलवे के लिये और ३२ पश्चिमी रेलवे के लिये), मूल्य लगभग ३.१४ करोड़ रुपये ।

(२) स्विटजरलैंड से ब्राड गेज के २ सैम्पल डब्बे, जिन का मूल्य लगभग ५ लाख रुपये है ।

माल डब्बे—

सन् १९५१-५२ में भारत में आयात किये गये विभिन्न गेजों के माल डब्बों की संख्या तथा मूल्य इस प्रकार है:

गेज	आयात की गई संख्या	लगभग मूल्य
		रुपये
ब्राड	८६	१९,३८,०५६
मीटर	१९६६	१९२,८०,२२२
नैरो	—	—

सभी डब्बों के लिये भारतीय रेलवे की ओर से आर्डर दिया जाता है और इन्हें प्रयोग के लिये सामान्य डब्बा संग्रह में सम्मिलित किया जाता है । विदेशों से आयात किये गये मीटर गेज के माल डब्बों में १८ दक्षिणी संग्रह में चालू किये गये और १९४८ उत्तरी संग्रह के लिये हैं ।

(ख) **यात्री डब्बे—**

सूचना निम्न प्रकार है :—

	ऊंचे दर्जे के	निचले दर्जे के	बिना यात्री वाले	योग
ब्राड गेज				
रेलवे वर्कशाप	३१	१०८	३९	१७८
हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट	—	१००	—	१००
डब्बों के इस्पात के ढांचे, जो रेलवे वर्कशापों में बनाये गये।	—	१३१	—	१३१
मीटर गेज				
रेलवे वर्कशाप	५४	१८५	३८	२७७

	कुल लागत हजारों में	वितरण	
	रुपये		
ब्राड गेज—			
रेलवे वर्कशाप	१७,८००	पश्चिमी	२६
		पूर्वी	७४
		केन्द्रीय	३२
		दक्षिणी	४६
			१७८
हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट	१०,०००	उत्तरीय	३३
		पश्चिमी	२६
		केन्द्रीय	२६
		पूर्वी	१५
			१००
डब्बों के इस्पात के ढांचे, जो रेलवे वर्कशापों में बनाये गये।	१३,१००	पूर्वी	१३१
मीटर गेज —			
रेलवे वर्कशाप	२०,७७५	केन्द्रीय	२१
		उत्तरी	५२
		उत्तर-पूर्वी	५३
		दक्षिणी	६९
		पश्चिमी	८२
			२७७

माल डब्बे —

अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४६**]

(ग) **यात्री डब्बे तथा माल डब्बे —**

अपेक्षित जानकारी ऊपर भाग (क) तथा (ख) में दी गई है ।

(घ) **यात्री डब्बे—**

उन चालू यात्री डब्बों की संख्या जिन्हें, ३० वर्ष की आयु सीमा के आधार पर ३१-३-५१ को बदला जाना था यह है :—

ब्राड गेज	२,२५३
मीटर गेज	२,७१५
नैरो गेज	५३६
	५,५०४

माल डब्बे —

उन चालू माल डब्बों की संख्या, जिन्हें ४० वर्ष की आयु सीमा के आधार पर ३१-३-१९५१ को बदला जाना था यह है :—

ब्राड गेज	८,५८०
मीटर गेज	११,३०२
नैरो गेज	७७७
	२०,६५९

(ङ) सन् १९५१-५२ में बदले जाने वाले डब्बों की संख्या—

यात्री डब्बे—

ब्राड गेज	२४९
मीटर गेज	१४१
नैरो गेज	२१
	४११

माल डब्बे—

ब्राड गेज	१,७८०
मीटर गेज	९१५
नैरो गेज	१५४
	२,८४९

(च) प्रति वर्ष तीनों गेजों पर बदलने के लिये अपेक्षित यात्री डब्बों तथा माल डब्बों की औसत संख्या :—

	यात्री डब्बे	माल डब्बे
ब्राड गेज	३६१	३,७८७
मीटर गेज	२५४	१,०८८
नैरो गेज	३४	१०२
योग	६४९	४,९७७

उन यात्री डब्बों तथा माल डब्बों की जो भारत में बनाये जायेंगे और विदेशों से आयात किये जायेंगे, औसत वार्षिक संख्या और सन् १९५१-५२ से ५ वर्ष की अवधि के लिये कार्यक्रमों के प्राक्कलन के अनुसार उन का मूल्य—

भारत

९५० डब्बे अनुमानित व्यय ८,२३ लाख रुपये ।

६,५०० माल डब्बे अनुमानित व्यय, ७ ८० लाख रुपये ।

विदेशों से

२०० डब्बे अनुमानित व्यय २,९२ लाख रुपये ।

३,००० माल डब्बे अनुमानित व्यय ३,६६ लाख रुपये ।

(छ) यह जानकारी रेलवे पर्षद् के सन् १९५०–५१ के प्रतिवेदन के अंक २ के विवरण संख्या २६(क) में दी गई है। इस की एक प्रतिलिपि सदन के पुस्तकालय से मिल सकती है ।

अण्डेमान के लिये प्रशासनिक परिषद

१६९. **डा० राम सुभग सिंह:** (क) क्या **गृहकार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि अण्मान संस्था ने भारत सरकारको एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिस में, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों के लिये, मुख्य आयुक्त द्वारा मनोनीत वर्तमान परामर्शदात्री परिषद् के स्थान पर तत्काल ही एक निर्वाचित प्रशासनिक परिषद् स्थापित किये जाने की मांग की गई है ?

(ख) यदि किया है, तो सरकार का इसे ज्ञापन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) तथा (ख) । मैं ने उस ज्ञापन को, जो कि अण्डमान भारतीय संस्था ने संसद् सदस्यों में परिचालित किया है एक प्रतिलिपि पढ़ी है । इस ज्ञापन में ३० प्रश्न उठाये गये हैं, जिन में वर्तमान परामर्शदात्री परिषद् के स्थान पर एक निर्वाचित प्रशासनिक परिषद् स्थापित करने का प्रश्न भी सम्मिलित है । इन सब बातों पर विचार किया जा रहा है ।

डाक और तार विभाग, उत्तर प्रदेश

१७०. **श्री धूसिया :** (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के डाक और तार विभाग में स्थायी तथा अस्थायी क्लर्कों की कुल संख्या कितनी है ?

(ख) स्थायी तथा अस्थायी सेवाओं में क्रमशः अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ?

(ग) क्या सेवाओं में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों को सरकार द्वारा दिये गये रक्षण के अनुसार, पूरा प्रतिनिधित्व दिया गया है, और यदि नहीं, तो इस के कारण क्या हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर):

(क)	स्थायी	५,५४७
	अस्थायी	१,२९५ ।
(ख)	स्थायी	८९
	अस्थायी	९५ ।

(ग) जी नहीं । कारण यह है कि वह पर्याप्त संख्या में भर्ती की परीक्षा में बैठते नहीं हैं या परीक्षा में सफल नहीं होते हैं ।

आसाम में राष्ट्रीय राजपथ

१७१. **श्री सरमा:** (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने का कृपा करेंगे कि क्या आसाम राज्य में ऐसा कोई राष्ट्रीय राजपथ है या हैं, जिसके संधारण या सुधार के लिये भारत सरकार वित्तीय अंशदान देती है या पूरा व्यय देती है ?

(ख) यदि हैं, तो इन सड़कों के नाम क्या हैं, वह क्रमशः कितने मील लम्बी हैं, और उन की अवस्था क्या है, क्या वह एस्फ़ाल्ट की बनी हुई हैं, या पक्की या कच्चा हैं और सन् १९४७-४८, १९४८-४९, १९४९-५० और १९५१-५२ में भारत सरकार ने प्रत्येक के लिये क्रमशः कितना रुपया दिया था ?

(ग) इन चार वर्षों में कितनी राशि व्यय की गई और कितनी न व्यय करने के कारण वापस हो गई ?

(घ) उन सड़क या सड़कों के, जिन के लिये भारत सरकार रुपया देती है, संधारण का कार्य किस के द्वारा किया जाता है ?

(ङ) क्या आसाम ट्रंक रोड आसाम की उन सड़कों में से एक है जिन के संधारण के लिये भारत सरकार रुपया देता है ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी हां, लगभग ८०० मील लम्बी सड़कें, जिन्हें अस्थायी रूप से राष्ट्रीय राजपथ की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है ।

(ख) तथा (ग) । अपेक्षित जानकारी सम्बन्धी दो विवरण संलग्न हैं । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४७]**

(घ) आसाम जन वास्तु विभाग ।

(ङ) जी हां ।

तीसरी श्रेणी के डब्बे

१७२. श्री के० जी० देशमुख: क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय महाखंड में रेल गाड़ियों के कितने तीसरी श्रेणी के डब्बों में पंखे लगे हुये हैं ; तथा

(ख) उस महाखंड में इस प्रकार के तीसरी श्रेणी के डब्बे कुल डब्बों के कितने प्रति शत हैं ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) १८८ डब्बे ।

(ख) ५४ प्रति शत डब्बों में पंखे लगाये जाने हैं ।

अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी

१७३. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) डाक और तार विभाग में कुल कितने अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी हैं; तथा

(ख) उन की वेतन श्रेणियां क्या हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ३० अप्रैल, १९५२ को ५६,४६० ।

(ख) एक विवरण जिसमें अपेक्षित सूचना दी हुई है सदन पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

कर्मचारियों की उत्संज्ञा	मूल भत्ता
(१) अतिरिक्त विभागीय सब पोस्टमास्टर और अतिरिक्त विभागीय सार्टर ।	४० रुपये तक
(२) अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर ।	१० रुपये से २५ रुपये तक
(३) अतिरिक्त विभागीय डाक वितरक ।	१५ रुपये तक
(४) अतिरिक्त विभागीय टिकट विक्रेता ।	३५ रुपये तक
(५) अतिरिक्त विभागीय डाकिये तथा अन्य अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी ।	३० रुपये तक

मनीपुर और त्रिपुरा के लिये सड़क विकास योजनायें

१७४. श्री एल० जे० सिंह: क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मनीपुर और त्रिपुरा के लिये कौनसी सड़क विकास योजनायें हैं ; तथा

(ख) इन योजनाओं के लिये आवंटित राशियां क्या हैं ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) मनीपुर तथा त्रिपुरा की सड़क विकास योजनाओं को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, किन्तु इन में कुछ कार्य सम्मिलित हैं जो जारी हैं और विचाराधीन हैं ।

इन का उल्लेख यातायात मंत्रालय के सन १९५१-५२ के प्रत्याधेदन के भाग २, परिशिष्ट ८ के पैरा ३२ में किया गया है, जो सब सदस्यों को दे दिया गया है और पुस्तकालय से मिल सकता है ।

(ख) पंच-वर्षीय योजना के प्रारूप में सन् १९५५-५६ में अन्त होने वाली चालू पांच वर्ष की अवधि में मनीपुर और त्रिपुरा में सड़कों के विकास के लिये अधिकतम निश्चित राशियां क्रमशः ८१·२६ लाख रुपये और १·०० करोड़ रुपये हैं । त्रिपुरा राज्य योजना के १·०० करोड़ रुपये में अगरतला-आसाम सीमान्त सड़क का व्यय सम्मिलित नहीं है, जो केन्द्र द्वारा पृथक् रूप से दिया जा रहा है ।

भारत और पाकिस्तान के बीच गेहूं-चावल विनिमय

१७५. **डा० राम सुभग सिंह:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य प्रस्तावित गेहूं-चावल विनिमय सौदा असफल रहा है;

(ख) यदि ऐसा है, तो इस के कारण क्या हैं; तथा

(ग) क्या भारत को आने वाले गेहूं के जहाज कराची की ओर भुला दिये गये थे ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमन्त्री (श्री करमरकर): (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित शर्तें पाकिस्तान को स्वीकार नहीं थीं ।

(ग) किन्हीं खाद्यान्नों के जहाजों को पाकिस्तान नहीं भेजा गया था ।

बिहार में चावल स्थिति

१७६. **पंडित डी० एन० तिवारी:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को खाद्यान्नों की संग्रह स्थिति के बारे में राज्यों से मासिक या त्रैमासिक सूचनायें प्राप्त होती हैं ; तथा

(ख) यदि होती हैं, तो ३१ मार्च, १९५२ को अन्त होने वाली तिमाही में बिहार में चावल की स्थिति क्या थी ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) भारत सरकार को खाद्यान्नों की संग्रह स्थिति के बारे में राज्यों से साप्ताहिक सूचनायें प्राप्त होती हैं ।

(ख) २९ मार्च, १९५२ को बिहार में चावल का संग्रह २१,३२४ टन था ।

Friday, 13 June 1952

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

(First Session)

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

शुक्रवार, १३ जून, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९–१५ म० पू०

विशेषाधिकार का प्रश्न

श्री दशरथ देव की गिरफ्तारी

अध्यक्ष महोदय: मुझे श्री के० आनन्द नम्बियार से एक संवाद प्राप्त हुआ है कि इस संसद् के एक माननीय सदस्य श्री दशरथ देव १२ जून, १९५२ को अग्रताला में त्रिपुरा राज्य में वहां की पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिये गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि स्थिति वास्तव में क्या है। क्या वह हिरासत में हैं ? वह कब गिरफ्तार कर लिये गये हैं ?

श्री नम्बियार (मयूरम) : उन्हें कल दंडाधीश अथवा अन्य किसी व्यक्ति के आदेश द्वारा अग्रताला में गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके विरुद्ध पहले निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत एक वारन्ट जारी हुआ था किन्तु माननीय गृह कार्य मंत्री के कथनानुसार उसे निरसित कर दिया गया था ; उसी आश्वासन के आधार पर वह वहां गये थे।

अध्यक्ष महोदय: क्या माननीय मंत्री स्थिति पर प्रकाश डालेंगे ?

गृह-कार्य मंत्री (डा० काटजू) : उन के विरुद्ध अधिपत्र वापिस ले लिया गया है। किन्तु मुझे यह ज्ञात नहीं कि क्या वह सचमुच गिरफ्तार कर लिये गये हैं अथवा नहीं। कुछ भी हो मैं इसकी पूछ ताछ कराऊंगा। एक बात स्मरणीय है कि अग्रताला में धारा १४४ के अन्तर्गत एक आदेश जारी किया गया है। इन दोनों बातों को एक साथ लेते हुये हो सकता है कि यह उस आदेश की अवज्ञा की घटना हो।

अध्यक्ष महोदय: हमें तथ्यों का पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिये, तभी मैं यह मामला बिशेषाधिकार समिति को सौंपने की बात पर विचार कर सकता हूं।

श्री नम्बियार: स्थिति यह है कि वह गिरफ्तार कर लिये गये हैं। यह मुझे एक तार प्राप्त हुआ है.....

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये। यदि सरकार द्वारा विशेषाधिकारों का उल्लंघन हुआ होगा तो प्रत्येक सदस्य इस में समान रूप से दिलचस्पी रखता है। किन्तु हमें तथ्यों के सम्बन्ध में स्पष्ट रहना चाहिये।

श्री नम्बियार: क्या यह काम कल हो सकता है ?

अध्यक्ष महोदय: ज्यों ही उन्हें रिपोर्ट प्राप्त होगी ।

डा० काटजू: मैं इस १४ तारीख तक अथवा इस से पहले ही प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय: मामला कल तक स्थगित होता है । माननीय मंत्री कल स्थिति पर प्रकाश डालेंगे ।

श्री नम्बियार: अगली बैठक पर ?

अध्यक्ष महोदय: जी हां, अगली बैठक पर ।

सामान्य आयव्ययक अनुदानों की मांगें

मांग संख्या १७—शिक्षा मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव यह है :

"३१ मार्च १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में 'शिक्षा मंत्रालय' के निमित्त जो व्यय होगा उस की पूर्ति के लिये राष्ट्रपति को भारत की संचित निधि में से २३,६३,००० रुपये तक की राशि दी जाये ।"

मांग संख्या १८—पुरातत्व

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव यह है:

"३१ मार्च, १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में 'पुरातत्व' के निमित्त जो व्यय होगा उसके लिये राष्ट्रपति को भारत की संचित निधि में से २५,७५,००० रुपये तक की राशि दी जाये ।"

मांग संख्या १९—अन्य वैज्ञानिक विभाग

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव यह है:

"३१ मार्च, १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में 'अन्य वैज्ञानिक विभागों' के निमित्त जो व्यय होगा उसके लिये राष्ट्रपति को भारत की संचित निधि में से १,१३,४१,००० रुपये तक की राशि दी जाये।"

मांग संख्या २०—शिक्षा

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव यह है:

"३१ मार्च, १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में 'शिक्षा' के निमित्त जो व्यय होगा उसके लिये राष्ट्रपति को भारत की संचित निधि में से २,४६,३१,००० रुपये तक की राशि दी जाये ।"

मांग संख्या २१—शिक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत विविध विभाग तथा व्यय

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव यह है:

"३१ मार्च, १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में 'शिक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत विविध विभाग तथा व्यय' के निमित्त जो व्यय होगा उसके लिये राष्ट्रपति को भारत की संचित निधि में से १८,१६,००० रुपये तक की राशि दी जाये ।"

मांग संख्या ७०—प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव यह है :

"३१ मार्च, १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में 'प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय' के निमित्त जो व्यय होगा उसके लिये राष्ट्रपति को भारत की संचित निधि में से ७,५४,००० रुपये तक की राशि दी जाये ।"

मांग संख्या ७२—भूतत्वीय परिमाप

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव यह है:

"३१ मार्च, १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में 'भूतत्वीय परि-

माप' के निमित्त जो व्यय होगा उसके लिये राष्ट्रपति को भारत की संचित निधि में से ४२,३८,००० रुपये तक की राशि दी जाये ।"

मांग संख्या ७३---खानें

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है:

"३१ मार्च, १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में 'खानों' के निमित्त जो व्यय होगा उसके लिये राष्ट्रपति को भारत की संचित निधि में से १२,९३,००० रुपये तक की राशि दी जाये ।"

मांग संख्या ७४---वैज्ञानिक अनुसन्धान

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है :

"३१ मार्च, १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में "वैज्ञानिक अनुसंधान' के निमित्त जो व्यय होगा उसके लिये राष्ट्रपति को भारत की संचित निधि में १,६०,०६,००० रुपये तक की राशि दी जाये ।"

मांग संख्या १२४—प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मांत्रालय के अन्य पूंजी व्यय

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है :

"३१ मार्च, १९५३ को समाप्त होने वाले बर्ष में 'प्राकृतिक ससाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय के अन्य पूंजी व्ययों' के निमित्त जो व्यय होगा उसके लिये राष्ट्रपति को भारत की संचित निधि में से ५४,३५,००० रुपये तक की राशि दी जाये ।"

अब हमें इस बात का निश्चय करना है कि कितना समय आवंटित किया जाय ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : परिचालित पत्रों में समय पहले ही आवंटित किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : साढ़े ग्यारह बजे तक, जिस में कि माननीय मंत्री के उत्तर का समय भी शामिल होगा, शिक्षा मंत्रालय के सम्बन्ध में चर्चा होगी और फिर हम.....

मौलाना आजाद : नैचुरल रिसोर्सेज़ ऐंड साइन्टिफिक रिसर्च (प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान) के लिये बहुत कम वक्त रह जायगा ।

अध्यक्ष महोदय : क्या टाइम बढ़ावें ?

मौलाना आजाद : बहरहाल जवाब के लिये कुछ वक्त बढ़ना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : आप आध घंटा जवाब के लिये ले लें और यह ११ बजे तक चले ।

श्रीमती रेणु चक्रवती (बसीरहाट) : क्या हम जान सकते हैं कि अन्तिम निश्चय क्या हुआ है ? क्या हम ग्यारह बजे तक चर्चा करें जब कि माननीय मंत्री को उत्तर के लिये आध घंटा दिया जायगा ; तथा इसके पश्चात् हम दूसरे मंत्रालय पर चर्चा करेंगे ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मेरे सहयोगी शिक्षा मंत्री आज दो बार बोलने के स्थान पर एक ही बार बोल सकते हैं---हो सकता है कि यह संयुक्त उत्तर हो । यह उनके लिये तथा इस सदन के लिये आसान होगा तथा सम्भवतः कुछ समय भी बच जायगा क्योंकि भाषण भिन्न होते हुये भी किसी हद तक अतिछादी होंगे । वह बीच में बोलने तथा फिर अन्त में दोबारा बोलने के स्थान पर केवल एक ही बार अन्त में ४५ मिनट तक बोलेंगे ।

श्रीमती रेणु चक्रवती : हमें यह स्वीकार है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्यों को स्वीकार है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं ।

तो शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक अनुसन्धान के सम्बन्ध में सम्पूर्ण मांगें एक ही समय प्रस्तुत होंगी । सभी कटौती प्रस्ताव भी एक साथ प्रस्तुत किये जाने चाहियें तथा उन पर एक साथ ही चर्चा होनी चाहिये । माननीय मंत्री दो बार बोलने के बजाय अन्त में एक ही बार बोलेंगे । वह अपना भाषण १२–१५ म० प० को शुरू करेंगे ।

अब हम कटौती प्रस्तावों को ले लेते हैं । समय सीमा १५ मिनट होगी ।

नीति

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"शिक्षा मंत्रालय सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

शिक्षा प्रणाली तथा जन शिक्षा

श्री वल्लातरास (पुदुकोटै) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"शिक्षा मंत्रालय सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

नीति

श्री मेघनाथ साहा (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"शिक्षा मंत्रालय सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

विश्वविद्यालय आयोग की सिपारिशें

श्री मेघनाथ साहा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"शिक्षा मंत्रालय सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

अनुसूचित जातियों को विदेशी छात्रवृत्तियां

श्री पी० एन० राजभोज : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"शिक्षा मंत्रालय सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

इगलैंड में व्यय, यूनेस्को, अमरीका स्थित सम्पर्क अधिकारी

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"शिक्षा मंत्रालय सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

शारीरिक शिक्षा तथा व्यायाम सम्बन्धी गतिविधियां

श्री खर्डेकर (कोल्हापुर व सतारा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"शिक्षा मंत्रालय सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिये राज्यों को अनुदान

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"शिक्षा मंत्रालय सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

स्त्री शिक्षा

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"शिक्षा मंत्रालय सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

विदेशों में शिक्षा प्राप्ति के लिये अनुसूचित जातीय छात्रों को सुविधायें

श्री पी० एन० राजभोज : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"शिक्षा मंत्रालय सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय का कार्यभार संभालना

श्री बाघमारे (परभणी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"'शिक्षा मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये" ।

हैदराबाद में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

श्री बाघमारे : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"'शिक्षा मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

पिछड़ी हुई जातियों की शिक्षा

श्री जाटव-वीर : (भरतपुर-सवाई माधोपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"'शिक्षा मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा

श्री पोकर साहेब : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"'शिक्षा मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

उर्दू भाषा

श्री पोकर साहेब : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"'शिक्षा मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

खनिज सम्पत्ति का विकास

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नैलोर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"'शिक्षा मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

खानों का राष्ट्रीयकरण

श्री आर० एन० एस० देव : (कालाहांडी-बोलनगिर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"'शिक्षा मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय ।"

खनिज संसाधन, विशेषकर दक्षिण में

श्री पोकर साहेब : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"'शिक्षा मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय ।"

श्री ए० के० चन्दा (वीरभूम) : श्रीमान्, मैं आपकी अनुमति से उन सभी कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूं जो कि विरोधी पक्षों द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं। किन्तु इस का अर्थ यह नहीं कि मैं शिक्षा सम्बन्धी आयव्ययक से सन्तुष्ट हूं अथवा यह कहता हूं कि शिक्षा के सम्बन्ध में जो कुछ यहां किया जा रहा है वह पर्याप्त है। किसी भी सभ्य देश में शिक्षा के लिये जितना कुछ किया जाये वह कम ही है। मुझे अत्यन्त ही खेद है कि शिक्षा के लिये जितना धन निश्चित किया गया है वह अपर्याप्त है। किन्तु इस के साथ ही हमें स्मरण रखना होगा कि हमारी आवश्यकतायें विशेष कर सुरक्षा के सम्बन्ध में बहुत हैं। हमें अन्न चाहिये, धन चाहिये, सभी कुछ चाहिये। किन्त इन सभी चीजों से पहले हमें इस देश की जो कि दो सौ वर्षों की गुलामी के बाद आजाद हुआ है, सुरक्षा का प्रबन्ध करना होगा तथा इस के लिये त्याग करना होगा।

यदि हमारे वह मित्र जो सामने के बैंचों को सुशोभित किये हुये हैं देश में अपनी गतिविधियों को कुछ कम करते तो शायद

[श्री ए० के० चन्दा]

हमारा पुलिस का खर्चा भी कुछ घट जाता और यदि विदेशों में रहने वाले उनके दोस्त भारत को जवाहरलाल नेहरू के चंगुल से मुक्त करने की बातें कम करते तो सुरक्षा पर हमारा जो खर्चा होता है वह भी अवश्य ही कम हो जाता। ऐसा करने के बाद यदि वह यहां शिकायतें करने लगेंगे कि राष्ट्र निर्माण कार्यों पर सरकार कम खर्च करती है, तो यह उचित नहीं होगा। हमारी आवश्यकतायें बहुत हैं तथा हमें जागरूक हो के काम करना होगा। मुझे आशा है कि पंच वर्षीय योजना को क्रियान्वित किये जाने से केन्द्र तथा राज्यों में दोनों में शिक्षा पर अधिक से अधिक धन व्यय किया जायगा।

मैं अपने विश्वविद्यालयों की दयनीय दशा के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं। अधिकांश विश्वविद्यालय धनाभाव के कारण लगभग दिवालिया होने वाले हैं। १९४९-५० में इंगलैंड ने भी अपने विश्वविद्यालयों को अनुदान खर्चे के ३५·८ प्रतिशत से बढ़ा कर ६३·९ प्रतिशत कर दिया। श्रीमान्, मुझे आशा है कि विश्वविद्यालय अनुदान समिति शीघ्र ही अपना कार्य शुरू करेगी तथा उसके अनुग्रह से कठिनाई में पड़े विश्वविद्यालयों को सहायता मिलेगी।

देश में प्राथमिक शिक्षा प्रणाली की बड़ी दुर्दशा है। मैं इस पर पूर्ण रूप से प्रकाश नहीं डालता हूं क्योंकि यह राज्यों के क्षेत्र से सम्बन्ध रखता है। फिर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को प्राथमिक शिक्षा के अध्यापकों का मामला अपने हाथ में लेना चाहिये और उसे राज्य सरकारों को निदेश भेजने चाहिये कि इन के साथ कुछ अच्छा व्यवहार होना चाहिये। मुझे आशा है कि हमारे अध्यापकों को कम से कम उतना वेतन दिया जायगा जितना कि हमारे कार्यालयों में निम्नतम वेतन पाने वाले कर्मचारी प्राप्त करते हैं।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसे पढ़ कर मैं ने देखा कि दो सार्वजनिक स्कूलों—लारेंस स्कूल लोवडेल तथा लारेंस स्कूल सनावर—को ६९९ छात्रों तथा छात्राओं की शिक्षा दीक्षा के लिये साढे चौदह लाख रुपया प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह है कि वहां प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति व्यय २००० रुपये है। इतना हमारे बहुत से कालिजों के अध्यापकों को भी नहीं मिलता है। मुझे आशा है कि मौलाना साहेब अपने भाषण में इस रहस्य पर प्रकाश डालेंगे कि इन्हें किस कारण से इतना रुपया मिलता है?

इसी तरह से मुझे आशा है कि विभिन्न मदों के बीच धन उचित रूप से बांटा जायगा। कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय के रख रखाब तथा पोषण के लिये १,७५,००० रुपये का उपबन्ध रख गया है। इस में से केवल १५,००० रुपये ही पुस्तकों तथा पुस्तिकाओं के क्रय के लिये निश्चित किये गये हैं। यह बहुत ही अपर्याप्त है।

मेरा एक सुझाव राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय (नैशनल कैडिट कोर) के सम्बन्ध में है। छात्रों के लिये राष्ट्रीय छात्र सेना में काम करना अनिवार्य होना चाहिये। कोई भी छात्र तब तक उपाधि प्राप्त करने का हकदार नहीं होना चाहिये जब तक कि वह राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय से प्रमाण पत्र प्राप्त न करे। इसी तरह किसी भी कालिज अथवा विद्यालय को तब तक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध नहीं करना चाहिये जब तक कि यह वहां छात्र सैना का एक यूनिट न रखे। यह अनिवार्य होना चाहिये तथा

छात्रों के लिये एक प्रकार की जबरी भर्ती होनी चाहिये । यदि कोई शस्त्रों में प्रशिक्षा प्राप्त करना पसन्द न करे तो उसे समाज सेवा का प्रमाण पत्र पेश करना चाहिये ।

मेरा दूसरा सुझाव यात्रा द्वारा शिक्षा देने से सम्बन्ध रखता है । एक समय था जब कि जर्मनी तथा इटली में छात्रों को रेल किराये का केवल २५ प्रति शत देना पड़ता था तथा वह अपने अपने देशों की यात्रा कर सकते थे । मैं चाहता हूं कि इस प्रणाली को भारत में भी प्रचलित किया जाय । भारत एक बहुत ही विस्तृत देश है । यदि हमारे छात्रों तथा छात्राओं को इस प्रकार की यात्रा करने का मौक़ा दिया जाय तो प्रान्तीयता, प्रादेशिकता आदि की भावनायें समाप्त हो जायंगी । छात्र कहीं इस सुविधा का दुरुपयोग न करें, इसके लिये आप यह बन्धन लगा सकते हैं कि उन्हें अपने राज्य में यात्रा के लिये यह सुविधायें न दी जायं । जब वह दूसरे राज्य में यात्रा करेंगे तो यह सुविधा प्राप्त होनी चाहिये ।

मेरा अन्तिम सुझाव हमारे सब से छोटे विश्वविद्यालय शांति निकेतन से सम्बन्ध रखता है । गत वर्ष ही सरकार ने इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया । मुझे आशा है कि सरकार इसे आवश्यक धन देने में संकोच नहीं करेगी, जिस से कि यह अपने उद्देश्य की पूर्ति भली भांति कर सकेगा । गत वर्ष इसे ७.५ लाख रुपये का अनुदान दिया गया था, किन्तु दुर्भाग्यवश, यह घटा कर केवल ६ लाख रुपये कर दिया गाया है । हम ने मौलाना साहेब से बार बार अपील की है तथा अब भी करते हैं कि जब उन्होंने हमें यह दर्जा दिया तो हमें अपना कार्य निभाने के लिये धन भी मिलना चाहिये । तभी हम अच्छे परिणाम दिखा सकते हैं । मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि जो कुछ भी धन दिया जायगा उसका एक एक पैसा उचित रूप से खर्च किया जायेगा । मुझे आशा है कि मौलाना साहेब के शिक्षा मंत्री होते हुये वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय की ज़रूरतों पर कुछ और अधिक ध्यान देगी ।

श्री जाटव-वीर : अध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा के बजट पर मैं अपने कटौती प्रस्ताव ४५८ के द्वारा जो मैं ने आप के समक्ष प्रस्तुत किया है, थोड़ा सा प्रकाश इस भवन में डालना चाहता हूं । इस कट मोशन को रखते हुये मैं अपने शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि भारतवर्ष की आबादी ३५ करोड़ से ऊपर है, और उस में परिगणित जाति के लोगों की संख्या छः करोड़ से ऊपर है, जिन को लोग दलित, शूद्र परिगणित कहते हैं और यही नहीं उन्हें चांडाल तक कहते हैं, उन की शिक्षा को लेते हुय, आज इस पार्लियामेंट हाउस में मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

मैं अपने विचार प्रकट करने से पहले यह कहने से अपने को नहीं रोक सकता हूं कि आज देश में जो इस जाति को हृदय से लगाने वाला समान अधिकार दिलाने वाला था वह अब नहीं है । आज जिस की याद इस हाउस में आ रही है वह था देश प्रवर्त्तक, महात्मा गांधी, जिन्होंने दीन दलितों अछूतों को दिल से लगाया ।

आगे चल कर मैं यह बताना चाहता हूं कि केवल विद्या के न होने से इस जाति के अनक घृणित नाम रखे गये । परिगणित जाति की अस्पृश्यता का मुख्य कारण जो है वह केवल अशिक्षा ही है । अगर उन में शिक्षा हो और वह आदमी सरकार के अन्दर आयें चाहे वह सरकारी आफीसर हों, नौकर हों या और कहीं हों उन के शिक्षित होने

[श्री जाटव वीर]

उन की अस्पृश्यता दूर हो जाती है। शिक्षा न होने से नाना प्रकार की छूतछात होने लगती है। इसीलिये सब से पहले मैं अपने माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों की कला शिक्षा के लिये यानी (विदेशी शिक्षा के लिये) सन् १९४५ में पहला कदम उठाया और उस स्कीम के अनुसार विदेशों में टैकनिकल शिक्षा के लिये परिगणित जाति के लोगों को भेजा गया। दुर्भाग्य से कुछ ही विद्यार्थी उत्तीर्ण हुये। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुये कहा कि शिक्षा में उन की उन्नति न होने से वह वज़ीफे बन्द कर दिये गये। इस को सुन कर मुझे ही दुःख नहीं हुआ, बल्कि जो भी परिगणित जाति के सदस्य रिज़र्व सीट्स से आये हैं मैं समझता हूं कि सब को ज़रूर दुःख होगा।

आज मनु का ज़माना नहीं है, आज वह प्राचीन काल नहीं है जब कि स्त्रीशूद्रौ नाधीयाताम् का नारा लगाया और उन के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। अब वह ज़माना चला गया है। अब तो पंडित नेहरू की सरकार है, लोकप्रिय शासन होते हुये कांग्रेस के राज्य में हमारा उच्च शिक्षा का दरवाजा बन्द कर दिया जाना हमारे दुर्भाग्य की बात है। हम लोग अभागे हैं। महानुभाव, मैं आप के द्वारा यह बताना चाहता हूं कि हाई कमिश्नर ने इन लोगों के लिये यह कह दिया कि वैदेशिक शिक्षा के बजाय इन्हें भारतीय यूनिवर्सिटियों में ही शिक्षा दी जाय, कितना संकुचित विचार है। मैं कहना चाहता हूं कि सन् १९४७ में जब कि कांग्रेस गवर्नमेंट यहां बनी थी तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक लड़का परिगणित जाति का लिया और उस को विदेश भेजा, वह लड़का सौभाग्य से वैदेशिक कला शिक्षा को सीख कर उत्तीर्ण हो कर आया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि इन लोगों को वैदेशिक कला शिक्षा के लिये भेजा जाय तो यह अवश्य पास हो कर आयेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने अछूतों के लिये वैदेशिक कला शिक्षा का दरवाज़ा ही बन्द कर दिया। अन्त में मैं आप के ज़रिये से संसद् को बताना चाहता हूं कि उस स्कीम में ही परिवर्तन कर दिया गया। वह स्कीम अब इस प्रकार से चलेगी कि जो लोग गजेटिड आफिसर विशेषज्ञ हैं, इंजीनियरिंग इत्यादि कला शिक्षा सम्बन्धी बड़े बड़े पदों पर हैं उन्हीं में से लोगों को छांट कर वैदेशिक शिक्षा के लिये भेजा जायगा। मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इन परिगणित जातियों में शिक्षा का अभाव है और इन में से ऊंचे पदों पर यानी गजटेड पदों पर लोग नहीं हैं। आप ने जो स्कीम अब बनाई है उस के अनुसार उन्हीं को छांट कर भेजा जायगा जो कि बड़े पदों पर हैं। यह लोग वंचित रह जायेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि अछूतों को उठाने का काम जो महात्मा गांधी का रचनात्मक कार्य है वह अधूरा रह गया है इसे आप को ऊंचा उठाना चाहिये। आप को इस स्कीम में परिवर्तन करना चाहिये। और जो परिगणित जाति के अव्वल दरजे के और अच्छी क़ाबलियत वाले लड़के हों उन को विलायत भेजिये। यह स्कीम आप को बदलनी पड़ेगी।

अब मैं आप को सन् १९४९ के बजट की ओर ले जाना चाहता हूं। सन् १९४९ में इन परिगणित जातियों के लिये दस लाख रुपये रखे गये थे। उस में से दो लाख शिड्यूल्ड ट्राइब्स (अनुसूचित जनजातियों) के लिये थे। इस तरह सन् १९४९ के बजट

में शिड्यूल्ड कास्ट्स के वज़ीफे के लिये आठ लाख रुपया रखा गया । सन् १९५०-५१ में १५ लाख रखा गया जिसमें से आठ लाख परिगणित जाति के लिये और पच्चीस फ़ी सदी शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये और २५ फ़ी सदी बैकवर्ड क्लासेज़ (पिछड़े वर्गों) के लिये ।

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : १७ लाख ।

श्री **जाटव-वीर** : अछूतों के लिये जो कुछ सन् ४९ में दिया गया उस से सन् १९५० में कुछ नहीं बढ़ाया गया । अब मैं आप को सन् १९५१-५२ के आंकड़ों की तरफ़ ले जाता हूं । सन् १९५१-५२ में १७ लाख रुपया रखा गया । लेकिन इस में भी बैकवर्ड क्लासेज़ को सम्मिलित किया गया । मैं अपने शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि शेड्यूल्ड कास्ट्स को क्या मिला । मुझे शिक्षा मंत्री जी क्षमा करेंगे अगर मैं अपनी देहाती भाषा में यह कहूं कि हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और । माननीय महोदय मैं आप को बताना चाहता हूं कि जो आप ने १७ लाख रुपया दिखाया है उस में सिर्फ़ ५० फ़ी सदी शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिये और २० फ़ी सदी शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये और बाकी बैकवर्ड क्लासेज के लिये यानी ३० फ़ी सदी । आज तो ब्राह्मण भी अपने को बैकवर्ड क्लासेज बतलाते हैं । और जो रुपया परिगणित जातियों के लिये रखा जाता है उस को बैकवर्ड क्लासेज के नाम से वह लोग ले लेते हैं । जिन में शिक्षा काफी है और जिन में गज़टेड आफिसर्स भी हैं । नाम किसी का और काम किसी का और दाम किसी को । मैं आप को बताना चाहता हूं कि यह हंसने की बात नहीं है यह तो रोने की बात है । जो ८ लाख ७५ हजार रुपया सन् ४९ में दिया गया था वही सन् १९५२-५३ में दिया गया है । आप हिसाब लगा लीजिये शिड्यूल्ड कास्ट्स को तो उतना ही मिलता है जो पहले था यानी ८ लाख ७५ हजार शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिये है, तीन लाख पचास हजार शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये है और ५ लाख ७५ हजार बैकवर्ड क्लासेज के लिये है । देखने को तो १७ लाख दिया है । यह बजट के मामले हैं । इस को तो बिरला ही जान सकता है जो कि फाइनेन्शियर (पूंजीपति) है । वह क्या जान सकते हैं ? हम लोगों में १·१५ फी सदी शिक्षा है । सौ में ९९ अशिक्षित हैं । बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं । मैं तो शिक्षा मंत्री जी से आप के जरिये प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर वह वास्तव में हृदय से दस वर्ष में जिन जातियों को अपने बराबर लाना चाहते हैं तो पचास लाख रुपया परिगणित जातियों के लिये रखें । तब तो उन्नति हो सकती है वरना मैं कह सकता हूं कि कुछ भी उन्नति नहीं हो सकती

अब मैं आप के द्वारा शिक्षा मंत्री का ध्यान उस कमेटी की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि इस काम के लिये बनी है । उस की बात सुनिये । मैं आप के सामने उस को भी खोले देता हूं । जहां उस कमेटी में पचास फी सदी परिगणित जाति के सदस्य होने चाहियें वहां उस में केवल एक सदस्य लिया है मद्रास से और एक ले लिया बंगाल से । आठ मेम्बर रख गये हैं । लेकिन उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से और पंजाब से किसी को नहीं लिया गया । जहां यह जाति बहुसंख्या में है । इस में इन के सेफगार्ड (सुरक्षण) के लिये पचास फी सदी से अधिक परिगणित जाति के सदस्य होने चाहियें । लेकिन आप ने सिर्फ दो सदस्य रख दिये हैं । वे भी कभी कमेटी में आते होंगे और

(श्री जाटव-वीर)

कभी नहीं आते हैं। आप को देखना चाहिये था कि इस काम में कौन दिलचस्पी लेते हैं। ऐसे सदस्य आप को देख कर रखने चाहिये थे। मैं यह बात कोई जातीय भेद भाव की वजह से नहीं कह रहा हूं। मैं तो यह बात इसलिये कह रहा हूं कि हमारी राजनैतिक संस्थाओं में भी स्वयं जातिगत भेदभाव आ जाता है। इसलिये यह कहना पड़ता है। आप ने क्यों नहीं ५० फी सदी परिगणित जाति के सदस्य रखे जो कि उन के हितों की रक्षा करते।

मैं एक बात आप के सामने और रखना चाहता हूं जिस से हमारे विद्यार्थियों को तकलीफ होती है। अब इन्स्टीट्यूशन्स (विद्यालयों) के पास यह आदेश भेज दिया गया है यदि कोई छात्र त्रिमासिक परीक्षा में कोई अपनी उन्नति न करे तो उस का स्कालरशिप बन्द कर दिया जाय। उन छात्रों से कहा जाता है कि भाई तुम को सरकार पांच सौ रुपया स्कालरशिप देती है तुम ढाई सौ नाना प्रकार के फण्ड, पुअर फंड (निर्धन फंड) में दो। इस तरह उन से यह रुपया ले लिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय एक बात और कहूंगा। एक बिल्डिंग फण्ड और होता है। जिन विद्यार्थियों को स्कालरशिप मिलता है उन से कहा जाता है कि इस फण्ड में रुपया दो। एक विद्यार्थी ने जब यह देने से इन्कार कर दिया तो त्रिमासिक परीक्षा में उसे दो नम्बर से गिरा दिया और यह रिपोर्ट दे दी कि इस ने त्रिमासिक परीक्षा में कोई उन्नति नहीं की है इसलिये स्कालरशिप बन्द कर दिया जाय। मैं ने ऐसी बातों के लिये लिखा पढ़ी की पर कौन सुनता है। इस प्रकार २५ फी सदी छात्रवृत्तियां बन्द कर दी जाती हैं। स्पीकर महोदय मुझे बहुत कुछ कहना था पर मैं आप की आज्ञा का पालन करूंगा।

अध्यक्ष महोदय: आप ही की तरह और सदस्यों को भी अपनी बात कहनी है। आप एक मिनट और ले सकते हैं।

श्री जाटव-वीर: मैं चाहता हूं कि मेरा जो कट मोशन (कटौती प्रस्ताव) नम्बर ४५८ है उस की ओर ध्यान दिया जाय और अगर और कुछ नहीं हो सकता है तो पचास लाख रुपया परिगणित जातियों के लिये दिया जाय। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप की बड़ी कृपा होगी। आज तो मुझे इतना ही कहना है। मुझे जब फिर मौका मिलेगा तो मिनिस्ट्री कामर्स इन्डस्ट्रीज़ (वाणिज्य तथा उद्योग) में वास्तविक जो दशा है और कथा है उसे सुनाऊंगा।

श्री बी० ऐस० मूर्ति (एलूरू): श्री जाटव-वीर के भाषण के बाद यह कहने की बहुत कम आवश्यकता है कि हरिजनों को कितनी कम शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें दी जा रही हैं। शासकीय पक्ष से सम्बन्ध रखने वाले एक माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार की ओर से जो साहित्य प्रकाशित होता है हम उसे भली भान्ति नहीं पढ़ते हैं। वास्तव में ऐसा कहना गलत है। विरोधी पक्षों के सदस्य प्रत्येक चीज़ को देखने व पढ़ने के लिये उत्सुक होते हैं।

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है इसकी बुरी तरह उपेक्षा की जा रही है। श्री चंदा ने अपने भाषण में कहा कि शिक्षा आदि बातों की अपेक्षा देश की सुरक्षा अधिक आवश्यक है। हम भी इस बात से सहमत हैं। किन्तु उन्हें ज्ञात होना चाहिये कि घरेलू मोर्चे पर सुरक्षा उतनी ही आवश्यक है जितनी कि यह युद्ध के मोर्चे पर है।

यह बात गत महा युद्ध तथा उस से पहले के युद्ध में सिद्ध हुई है। यदि हमारा घर का मोर्चा पिछड़ा हुआ हो, अशिक्षित हो तथा अज्ञानपूर्ण हो तो हमारा युद्ध मोर्चा कैसे शक्तिशाली तथा विजयी रह सकता है ?

भारत में केवल १२ अथवा १४ प्रतिशत लोग शिक्षित हैं। यह सचमुच शोचनीय दशा है। यह ठीक है कि राष्ट्र निर्माण कार्यों के लिये हमारे पास साधन नहीं। किन्तु यदि हम दूसरे दृष्टिकोण से इस समस्या पर विचार करेंगे तो हमें देखना होगा कि उन असंख्यक क्षात्रों तथा छात्राओं का क्या बनता है जो प्राइमरी स्कूलों में एक दो वर्ष बिताने के बाद ही विद्याभ्यास छोड़ते हैं। ५० प्रतिशत विद्यार्थी एक या दो वर्ष के बाद ही स्कूल छोड़ जाते हैं। केवल दस अथवा पन्द्रह प्रतिशत पांचवीं पास कर जाते हैं। इन में से कितने छात्र उच्च शिक्षा के लिये जाते हैं, यह आप स्वयं ही बता सकते हैं। क्या हम इन असंख्य छात्रों का जीवन अंधकारमय रखने की स्थिति में हैं ? हमारा संविधान न केवल सुविधाओं की बात करता है अपितु समान अवसरों की भी गारंटी देता है। हमें इस बात पर ध्यान देना है। कि भारत का प्रति व्यक्ति साक्षर हो।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली की कई बार निन्दा की जा चुकी है। इस का उद्देश्य भारतीयों को ईस्ट इंडिया कम्पनी की मुन्शीगिरी के लिये तैयार करना था। हमें देखना है कि क्या वह प्रणाली वर्तमान परिस्थिति में लाभदायक हो सकती है। शिक्षा का उद्देश्य इन्द्रियों का संयम करना, प्रतिभा को प्रखर बनाना तथा भावुक्ता को कम करना है जिस से कि कोई व्यक्ति विशेष ज्ञान प्राप्ति के पश्चात् एक कुशल जीवन बिता सके तथा उसे प्रगति की ओर ले सके। शिक्षा का उद्देश्य हमारी शारीरिक वृद्धि, मानसिक दक्षता तथा हृदय का प्रेमपूर्ण होना है। गाँधी जी भी चाहते थे कि भारतीय मानसिक तथा शारीरिक रूप से मजबूत हों। उन्हों ने बुनियादी शिक्षा प्रणाली प्रस्तुत की। यह ठीक है कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सभी प्राइमरी स्कूल बुनियादी शिक्षा के स्कूलों में परिवर्तित किये जायेंगे परन्तु देखना यह है कि सरकार ने इन पांच वर्षों में क्या कुछ किया है ?

हमारे शिक्षा मंत्री मौलाना साहेब न केवल एक महान पंडित हैं अपितु एक बहादुर सिपाही भी हैं। देश ने उन्हें अधिकांश रूप से एक सिपाही के रूप में ही देखा है। जब उन्होंने शिक्षा मंत्रालय का कार्य भार संभाला तो हम ने आशा की थी कि वह इस कार्य में वैसा ही उत्साह उत्पन्न करेंगे जैसे कि उन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन में उत्पन्न किया था तथा दिखाया था। हमें आशा थी कि वह देश के बच्चों को नव-स्वतंत्रता का लाभ पहुंचायेंगे। परन्तु दिखाई देता है कि वित्त मंत्रालय ने मुट्ठी बंद कर दी है। हमें संसार को न केवल यह बताना है कि हम स्वतंत्र हो गये हैं अपितु उन्हें यह दिखाना भी है कि हम जानते हैं कि स्वतंत्रता क्या है। इस उद्देश्य के लिये मैं चाहता हूं कि बुनयादी शिक्षा प्रणाली को सब से पहिला स्थान दिया जाय।

अनुसूचित जातियों की शिक्षा के सम्बन्ध में सरकार बहुत ही तंग-दिल है। कई राज्यों ने विशेषकर मद्रास सरकार ने इस सम्बन्ध बे बड़े महत्वपूर्ण पग उठाये हैं। केन्द्रीय सरकार कुछ संकोच तथा झिझक से काम ले रही है। मैं सदन को बता देना चाहता हूं कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भी हरिजन आज अछूत माने जाते हैं। मद्रास के कई स्कूलों में भेदभाव की नीति अब भी बरती जा रही

[श्री वी० ऐस० मूर्ति]

है । हम शिकायत करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका, मलाया तथा लंका में भारतीयों से अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है । परन्तु हमें ऐसा कहने का अधिकार क्या है जब तक कि हम छूत छात को समाप्त नहीं करते हैं । यदि केन्द्रीय सरकार के पास धन नहीं तो वह कम से कम साहस से काम ले कर राज्य सरकारों को निदेश दे । मद्रास में कुछ समय मेरे मित्र श्री अविनाश लिंगम चेट्टियार शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने इस सम्बन्ध में जो कुछ किया है, हम उसके लिये उनके कृतज्ञ हैं । प्रश्न यह है कि आप ७ करोड़ हरिजनों को कैसे अनुभव करा सकते हैं कि उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं हो रहा है ? हम महसूस करते हैं कि सरकार इस विषय में अपने कर्तव्य को नहीं निभा रही है । आप पूछेंगे कि हरिजनों को क्यों इतना दिया जाय । इस के बदले में पूछता हूं कि शरणार्थियों पर इतने करोड़ रुपये क्यों खर्च किये जा रहे हैं ? यह परिस्थिति का प्रश्न है । मैं यह नहीं चाहता हूं कि शरणार्थियों पर धन खर्च न किया जाय । इसके उलट मैं चाहता हूं कि इन अभागे भाइयों की अधिक से अधिक सहायता की जानी चाहिये । परिस्थिति के कारण उन्हें यहां शरण लेनी पड़ी और परिस्थितियों के कारण ही हमें सैकड़ों वर्षों से कष्ट उठाना पड़ रहा है । हमारी पीड़ा के लिये सवर्ण जातियां जिम्मेदार हैं । हम नहीं चाहते हैं कि उनके पाप आगामी संततियों तक जारी रहें तथा उनके दुष्परिणाम निकलते रहें ।

मैं मौलाना साहेब से फिर एक बार आग्रह करता हूं कि विदेशों में उच्च-शिक्षा के लिये छात्रों को भेजते समय योग्य हरिजन छात्रों को भी ध्यान में रखा जाय । उन्हें भी प्रोत्साहन दिया जाय । जहां तक हमें ज्ञात है कई राज्यों की सरकारें बहाने बना कर हरिजन छात्रों को सुविधाओं से वंचित रखती हैं ।

श्री बीरबल सिंह (ज़िला जौनपुर-पूर्व) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यहां पर शिक्षा के आयव्यय पर विचार हो रहा है । हमारे शिक्षा मंत्री मौलाना साहब बड़े विद्वान हैं और उन के ही हाथ में मंत्रालय का भार है । इस कारण हम को पूरी आशा है कि हमारी शिक्षा ठीक तरह से चलेगी । इन वर्षों में मौलाना साहब ने शिक्षा के सम्बन्ध में जो कार्य किये हैं वह बहुत कुछ हमारी उन्नति के लिये किये गये हैं । लेकिन जैसा हम लोग चाहते थे और जितनी आशायें हम लोगों ने मौलाना साहब से लगाई थीं उतनी उन्नति शिक्षा का नहीं हो रही है । हम लोग इतनी उन्नति से संतुष्ट नहीं हैं । शिक्षा के सम्बन्ध में जितना व्यय होना चाहिये उतना नहीं हो रहा है । अगर दूसरे देशों को देखा जाय, जैसा कि अभी हमारे मित्र ने बतलाया कि इंगलैंड में शिक्षा के ऊपर कितना व्यय किया जाता है, रूस में शिक्षा के ऊपर ३५ प्रतिशत व्यय किया जाता है जब कि वह अपने देश के डिफ़ेन्स के ऊपर केवल २० प्रतिशत ही व्यय करता है ।

यद्यपि हमारे देश में शिक्षा राज्यों का विषय है लेकिन सब कुछ मिला कर अगर देखा जाय तो शिक्षा के ऊपर बहुत कम व्यय हो रहा है । शिक्षा ऐसी चीज़ है जिस पर सब कुछ निर्भर करता है । हमारा जो लोकतंत्र क़ायम हुआ है उस की सफलता शिक्षा के ऊपर ही निर्भर करती है । हम को अपने देशवासियों को शिक्षित करना है और इस के साथ ही साथ हम को अपने देश के हर क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, उद्योग-धन्धों के क्षेत्र में नेता पैदा

करने हैं। इन सब बातों के लिये हम को ध्यान देना है। हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम अपनी शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा ज़ोर दें। इस के साथ ही साथ हम को अपने विश्वविद्यालयों पर भी अधिक ज़ोर देने की आवश्यकता है।

विश्वविद्यालयों की इस समय जो हालत है माननीय अध्यक्षजी, वह आप को अच्छी तरह से विदित है। सारे देश में जो विश्वविद्यालय हैं उन की पैसे की कमी के कारण बड़ी खराब हालत है। हमारे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ऊपर २५ लाख रुपये का कर्जा है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के ऊपर भी इसी तरह क़र्ज़ा है और देश में जितने विश्वविद्यालय हैं उन की भी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। इस के लिये हमारी केन्द्रीय गवर्नमेंट का कुछ सहायता करना आवश्यक है। बजट को देखने से मालूम होता है कि एक करोड़ २१ लाख रुपया यूनीवर्सिटी की शिक्षा पर इस साल के बजट में रखा गया है। केन्द्र के हाथ में चार यूनिवर्सिटियां हैं। हिन्दू विश्वविद्यालय को गत वर्ष जहां पर कि ३२ लाख रुपये दिये गये थे, इस बजट में केवल २५ लाख रुपये ही रखे गये हैं। अभी दो तीन दिन समाचार पत्रों में यह समाचार निकला है कि वहां पर बी० ऐस० सी० पास करने के बाद ऐम० ऐस० सी० में जो विद्यार्थी जायेंगे उन के लिये स्थान नहीं है और इस समय साइन्स की शिक्षा की हमें कितनी आवश्यकता है इस को आप को बतलाने की ज़रूरत नहीं है। विज्ञान की तरफ़ लोगों की रुचि भी है, लेकिन पढ़ाई के लिये स्थान बहुत कम हैं। जो विद्यार्थी विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, उन के लिये स्थान नहीं होता है। सारे देश में हज़ारों विद्यार्थी जो कि विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, उन के लिये यूनिवर्सिटीज़ में स्थान नहीं मिलता। आज कल यह हालत है। इसलिये मैं आशा करूंगा कि हमारे मौलाना साहब इन बातों पर विचार करेंगे और यद्यपि युनिवर्सिटियों को राज्य सरकारों से भी रुपया मिलता है, लेकिन राज्य सरकारों के पास इतना पैसा नहीं है कि वह यूनिवर्सिटीज़ को अधिक सहायता दे सकें। जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं उन को तो केन्द्रीय सरकार को सहायता देना आवश्यक है ही, और जितनी सहायता मिल रही है उतनी पर्याप्त नहीं है और इससे अधिक मिलनी चाहिये। लेकिन इस के अलावा जो राज्यों की यूनिवर्सिटीज़ हैं उन को भी केन्द्रीय सरकार को अधिक सहायता देनी चाहिये। एक करोड़ २१ लाख रुपये जो विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिये रखे गये हैं वह पर्याप्त नहीं हैं। इस को काफ़ी ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। केन्द्रीय गवर्नमेंट को मेरा यह सुझाव है कि उस को यूनीवर्सिटी शिक्षा और बुनियादी शिक्षा इन दोनों पर ही ज्यादा ज़ोर देना चाहिये। यूनीवर्सिटी की शिक्षा के लिये जितना पैसा रखा गया है उस को और अधिक बढ़ाना चाहिये। बुनियादी शिक्षा के लिये भी जो पैसा रखा गया है वह बहुत कम है। मैं देखता हूं कि पंच वर्षीय योजना में केवल ४ करोड़ रुपये पांच वर्ष के लिये रखे गये हैं, यह पर्याप्त नहीं हैं। हमारे जो अध्यापक हैं, हमारी जो जनता है, वह बहुत ही अशिक्षित है। सारे देश में मुश्किल से १५ फ़ीसदी भी पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। और देश में इस सम्बन्ध में हमें बहुत काम करना है। हम तो यह आशा करते हैं कि इस सम्बन्ध में इस तरह से काम किया जायगा कि जल्द से जल्द पांच वर्ष के अन्दर ऐसा प्रबन्ध हो कि कोई बिना पढ़ा लिखा न रह जाय। तो इस तरफ़ भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिये।

[श्री बीरबल सिंह]

एक बात की तरफ़ मैं और शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे विधान में, यह रखा गया है कि १५ वर्ष के अन्दर हिन्दी के द्वारा सारा काम होगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : विधान में यह भी रखा गया है कि १० वर्ष के अन्दर प्राइमरी शिक्षा जो तेरह वर्ष तक की उमर तक लाज़मी हो जाय, इस का भी आप ध्यान रखें।

श्री बीरबल सिंह : जैसा मेरे मित्र भार्गव जी ने बताया विधान में यह भी है कि १० वर्ष के अन्दर सारे देश में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य हो जानी चाहिये। तो दस वर्ष में से विधान को बने हुए दो वर्ष से अधिक हो गये और हम को स्वतंत्र हुये भी पांच वर्ष हो गये। अब पांच वर्ष के बजाय दो वर्ष का ही हिसाब लगायें तो भी आठ वर्ष और हैं जिस में अनिवार्य शिक्षा हम को सारे देश में करनी है। तो इस की ओर तेज़ी के साथ हमें अपना क़दम उठाना पड़ेगा।

दूसरी चीज़ जिस की तरफ़ मैं हाउस का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह हिन्दी के सम्बन्ध में है। हिन्दी के सम्बन्ध में हमारे विधान में रखा हुआ है कि १५ वर्ष के अन्दर सारे देश का कार्य हिन्दी में होने लगेगा। तो इस के लिये हमें बहुत तेज़ी से काम करना है। हिन्दी के सम्बन्ध में मंत्री मंडल के शिक्षा मंत्रालय में एक अलग विभाग खोला गया है और उस के लिये एक समिति भी बनी है। तो जो अहिन्दी प्रान्त हैं उन में हिन्दी की पढ़ाई का अधिक प्रबन्ध होना चाहिये। जहां तक हिन्दी का सम्बन्ध हमारे इस हाउस से है मैं देखता हूं कि यहां पर ज्यादातर भाषण अंग्रेज़ी में होते हैं। हमारे विरोधी पक्ष के जो मित्र हैं वह हिन्दी के भाषण को, खास तौर से मंत्रियों के हिन्दी के भाषण को, सुनना भी नहीं पसन्द करते। अभी हमारा जो एक डैलीगेशन (शिष्ट मंडल) चीन गया था उस ने बताया कि वहां पर वह सज्जन जब बात करते थे तो अंग्रेज़ी में यह लोग कहते थे, उस का चीनी भाषा में अनुवाद होता था और फिर वह चीनी भाषा में जवाब देते थे और फिर उस जवाब का अंग्रेज़ी में अनुवाद होता था।

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कुष्टगी) : श्रीमान औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मैम्बर ने यह बताया कि विरोधी दल हिन्दी सुनने के लिये तैयार नहीं है, यह मैं ठीक नहीं समझता। यह कहना कि तमाम विरोधी दल हिन्दी सुनने के लिये तैयार नहीं हैं ग़लत है। चन्द लोगों को छोड़ कर तमाम विरोधी लोग हिन्दी सुनने को तैयार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को तर्क वितर्क में न जाकर औचित्य का प्रश्न बता देना चाहिये।

माननीय सदस्य को यह न कहना चाहिये कि जो अंग्रेज़ी में भाषण पसन्द करते हैं वह विरोधी दल में हैं। यहां कोई शत्रु नहीं।

श्री बीरबल सिंह : मेरा मतलब है कि, जैसा मेरे मित्र ने कहा, विरोधी दल के सब लोग नहीं, बल्कि थोड़े से लोग हैं जो हिन्दी नहीं सुनना चाहते।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी भी माननीय सदस्य पर आक्षेप नहीं किया जाना चाहिये केवल सुझाव दीजिये।

श्री बीरबल सिंह : तो हिन्दी के सम्बन्ध में ज्यादा काम होना चाहिये। जैसा कि मैं बतला रहा था, वहां पर चीन में एक अध्यापक थे। जब उन से पूछा गया कि आप का क्या विषय है तो उन्होंने बतलाया कि उन

का विषय अंग्रेज़ी था । अंग्रेज़ी के अध्यापक होते हुए भी वह उस मीटिंग में, जो कि बिलकुल इनफ़ारमल (अनौपचारिक) थी, अंग्रेज़ी में बात नहीं करते थे, बल्कि अपनी भाषा में बात करते थे । लेकिन हमारे इस हाउस में सारी बातें अंग्रेज़ी में होती हैं और अंग्रेज़ी में ही सब भाषण होते हैं और हिन्दी के भाषण को लोग सुनना भी पसन्द नहीं करते । इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि इस सम्बन्ध में ज्यादा तेज़ी से काम होना चाहिये जिस से जल्दी से जल्दी हिन्दी भाषा में सारा काम होने लगे ।

एक बात की तरफ़ मैं और ध्यान दिलाना चाहता हूं । जिस समय सन् १९२१ में असहयोग आन्दोलन शुरू हुआ था उस समय बहुत से राष्ट्रीय विद्यालय खुले थे । उन में से अब केवल दो रह गये हैं, एक तो दिल्ली में जामिया मिल्लिया और दूसरा बनारस में काशी विद्यापीठ । जामिया मिल्लिया के ऊपर तो हमारी गवर्नमेंट की कृपा है, इस का मुझे संतोष है और प्रसन्नता है । लेकिन काशी विद्यापीठ को अभी तक गवर्नमेंट की तरफ़ से कोई सहायता नहीं मिली है ।

मौलाना आज़ाद : मिली है ।

श्री बीरबल सिंह : पंद्रह हज़ार रुपये की एक एड हाक ग्रांट (तदर्थ अनुदान) इस सम्बन्ध में मिली है लेकिन वह पर्याप्त नहीं है । इस बजट में भी शायद १० हज़ार रुपये रखे गये हैं । तो मैं प्रार्थना करूंगा मंत्री महोदय से कि काशी विद्यापीठ की ओर भी ध्यान दें । काशी विद्यापीठ ने स्वतंत्रता के आन्दोलन में काफ़ी काम किया है और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में । हर एक आन्दोलन में वह केन्द्र रहा है । इस समय भी पार्लियामेंट में वहां के १८ शास्त्री सदस्य हैं और स्वतंत्रता के आन्दोलन में काशी विद्यापीठ ने जो काम किया है वह सारे देश में विदित है । तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद साहब से प्रार्थना करूंगा कि काशी विद्यापीठ की तरफ़ भी वे ध्यान दें और उस की भी सहायता करें ।

श्री एन० बी० चौधरी : मैं उन सभी कटौती प्रस्तावों का समर्थन करता हूं जो कि यहां प्रस्तुत किये गये हैं । माननीय प्रधान मंत्री ने कल उन सभी बुराइयों का ज़िक्र किया जो कि वर्तमान सरकार ने ब्रिटिश सरकार से उत्तराधिकार में ली हैं । निस्सन्देह शिक्षा सम्बन्धी वर्तमान नीति भी एक ऐसी चीज़ है जो उन्होंने उन से उत्तराधिकार में ली है । जब मैं इस देश के कुल आयव्ययक में शिक्षा के लिये निश्चित की गई धन राशि देखता हूं तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि वर्तमान सरकार शिक्षा को उस से अधिक महत्व नहीं देती है जितना कि ब्रिटिश सरकार दिया करती थी । यह ठीक है कि हम ने इस उद्देश्य के लिए छै करोड़ रुपया अथवा ऐसी कोई राशि निश्चित की है, परन्तु प्रश्न यह है कि यहां की जनसाधारण की व्यापक निरक्षरता के निवारण के लिये हम ने क्या कुछ किया है अथवा करने की प्रस्थापना करते हैं ? यह पुराने साम्राज्य वादियों का जैसा वक्तव्य है । १८१३ में भी चार्टर एक्ट में यह कहा गया था कि रक्षा, व्यवसाय आदि बातों पर खर्च करने के बाद जो कुछ बच जायगा वह शिक्षा पर व्यय किया जायगा । आज भी भारत की तथा-कथित स्वतंत्र सरकार उसी नीति का अनुसरण कर रही है ।

भारत में शिक्षा का क्या हाल है ? १५ प्रतिशत से अधिक लोग साक्षर नहीं यद्यपि कुछ क्षेत्रों में नये स्कूल तथा कालिज खोले जा रहे हैं, कुछेक को बंद भी किया जा रहा है, पश्चिमी बंगाल में ईश्वर चन्द्र विद्यासागर कालिज को केवल इस लिये बंद कर दिया गया कि इस में आठ या नौ हज़ार

[श्री एन० बी० चौधरी]

रुपया वार्षिक घाटा हो रहा था । यह बात १९४७ के बाद हुई ।

हम देखते हैं कि सरकार उन सिद्धान्तों पर भी नहीं चल रही जो उस ने माने हैं । संविधान के अनुच्छेद ४५ के अन्तर्गत वैदेशिक सिद्धान्तों में कहा गया है कि संविधान के लागू होने के समय से दस वर्ष में लोगों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रबन्ध किया जायगा । यह ठीक है कि प्राथमिक शिक्षा का विषय राज्यों के क्षेत्र में आ जाता है केन्द्र के क्षेत्र में नहीं । फिर भी राज्यों को केन्द्र से इस काम के लिये सहायता मिलनी चाहिये ।

सरकार प्राय: कहती है कि लोगों को राष्ट्र निर्माण कार्यों में सरकार के साथ सहयोग करना चाहिये । परन्तु वह सहयोग कैसे दे सकते हैं जब कि वह शिक्षा अभाव के कारण इन बातों को कम समझते हैं । पंचवर्षीय योजना में भी शिक्षा के लिये केवल १२३ करोड़ रुपया रखा गया है— ९१ करोड़ रुपये राज्यों द्वारा तथा ३२ करोड़ केन्द्र द्वारा । इसका अर्थ यह होगा कि पांच वर्ष के काल में प्रति व्यक्ति की शिक्षा पर केवल लगभग चार रुपये व्यय किये जायेंगे । पिछड़ी हुई जातियों की शिक्षा के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ कहा जा चुका है । यदि उन्हें इसी दशा में रखा गया तो यह किसी भी सभ्य सरकार के लिए एक भारी कलंक होगा ।

गत वर्ष एक विशिष्ट भाषा के प्रचार के लिए एक लाख रुपया दिया गया था । यदि यह किसी प्रादेशिक भाषा के विकास के लिये दे दिया गया था तो अन्य प्रादेशिक भाषाओं की क्यों उपेक्षा की गई । यदि यह राष्ट्र भाषा के प्रचार के लिये दे दिया गया था तो यह धन राशि अहिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों में व्यय की जानी चाहिये न कि हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों में, इस में भी स्थिति ऐसी ही कुछ है ।

हम देखते हैं पढ़ाई की फीस बढ़ा दी गई है । कहीं कहीं यह शत प्रति शत बढ़ा दी गई है । पुस्तकों की कीमतें भी बढ़ गई हैं । लोग इतना खर्चा उठाने में असमर्थ हो रहे हैं । इसके विपरीत अध्यापकों के वेतन कम हैं । कहीं कहीं कालिजों के अध्यापक १०० रुपये का वेतन पाते हैं और प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक २५ रुपये ।

छात्रवृत्तियों के विनिमय के लिये कई लाख रुपयों का उपबन्ध रखा गया है । हम कहते हैं कि हमारी नीति तटस्थ रहना है । परन्तु शिक्षा के सम्बन्ध में हमारी नीति ऐसी नहीं दीख पड़ती है । चेकस्लोवाकिया जैसे औद्योगिक देश होते हुए भी हमें वहां जाने नहीं दिया जाता । क्योंकि सरकार को भय है कि यदि छात्र वहां प्रशिक्षण के लिये जायेंगे तो वह कम्युनिस्ट बन के वापिस आ जायेंगे ।

फिर मैं 'स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास' के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । यह इतिहास लिखने में सरकार का हाथ है, अत: यह कभी निष्पक्ष नहीं हो सकता है । १९५१-५२ के वित्तीय वर्ष में इसके लिए लगभग एक लाख रुपया दे दिया गया था । हमें मालूम नहीं कि यह काम कहां तक पहुंच गया है । हम इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री से एक प्रतिवेदन चाहते हैं ।

अमरीका तथा ब्रिटेन में हम अपने छात्रों की देख भाल पर लाखों रुपये व्यय कर रहे हैं । इसी तरह हम अमरीका से हज़ारों पुस्तकें खरीद रहे हैं यद्यपि टैकनीकल शिक्षा के सम्बन्ध में अन्य देशों से भी किताबें

मिल सकती हैं। ऐसी दशा में हम कह सकते हैं कि यहां न ही विचार स्वतंत्रता है और न ही शिक्षा स्वतंत्रता।

जहां तक हमारी राष्ट्रीय प्रयोगशाला का सम्बन्ध है यह वह कार्य नहीं करती है जो इसे करना चाहिये था। हमारे पास विशेषज्ञ विज्ञान वेत्ता होने चाहियें। अमरीकी सहायता जिस पर कि हम इतना आश्रित हैं हमें समय पर नहीं मिलती। हमें गन्धक की आवश्यकता थी परन्तु अमेरिका ने यह समय पर न दिया। हम सोनामक्खी से गंधक निकाल सकते थे, परन्तु हमारी प्रयोगशालाएं इसे प्रयोग में नहीं ला रही हैं।

जनता कालिज के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि यह शर्म की बात है कि हमें हर मामूली बात के लिये अमेरिका के पास दौड़ना पड़ता है। कम से कम ग्राम-सुधार के कार्यों मे हमें अपनी टांगों पर खड़ा होना चाहिये।

जहां तक आर्थिक प्रश्न का सम्बन्ध है, यह तब तक सुलझ नहीं सकता है जब तक कि हम अपने विचार नहीं बदलते हैं। हमारे देश के आर्थिक क्षेत्र में विदेशी शक्तियों का अभी भी प्रभुत्व है। ऐसी दशा में पैसा आ कहां से सकता है।

जूट मिलों, चाय बागानों तथा खानों के अभी भी हम मालिक नहीं हैं। जब तक कि हम देश के विकास के लिये राष्ट्र-धन को प्रयोग में नहीं लाते हैं तब तक हम देश में शिक्षा प्रसार नहीं कर सकते हैं।

श्री मेघनाद साहा : अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने से मेरा आशय यह है कि सदन का ध्यान विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिशों की ओर दिलाऊं। यह आयोग हमारे वर्तमान उप-राष्ट्रपति डा० राधा कृष्णन की अध्यक्षता में १९४८ में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इस आयोग ने बहुत ही उपयोगी सिफारिशें की हैं, परन्तु तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी भारत सरकार ने उन पर कोई कार्यवाही नहीं की है। इन में से कुछेक सिफारिशें यह हैं :—

(१) विश्वविद्यालय शिक्षा का विषय एक राज्य विषय न रख कर समवर्ती सूची में रखा जाये। राज्य विषय होने के कारण विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर गिर गया है।

(२) राष्ट्रपति को भारत के सभी विश्वविद्यालयों का दर्शक (विजीटर) होना चाहिये।

(३) केन्द्रीय सरकार को विश्वविद्यालयों के विकास के लिये काफी धन का प्रबन्ध करना चाहिये।

(४) यह धन एक स्वायत्त निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा व्यय किया जाना चाहिये।

विश्वविद्यालय आयोग ने भारत के सभी विश्वविद्यालयों तथा प्रमुख शिक्षा संस्थाओं का निरीक्षण किया, प्रमुख शिक्षा विशेषज्ञों, नेताओं, मंत्रियों तथा प्रोफेसरों से बात-चीत की। सभी इस बात पर सहमत दिखाई दिये कि शिक्षा का विषय राज्य विषय न हो कर समवर्ती सूची का विषय होना चाहिये। इस का कारण यह है कि विभिन्न विश्वविद्यालय भिन्न भिन्न नीतियों को अपना रहे हैं। यहां तक कि कुछेक की नीति प्रान्तीयता से भरी पड़ी है जो कि राष्ट्रीय एकता के लिये हानिकारक है, कुछेक विश्वविद्यालय राजनीति के गढ़ बन रहे हैं। विश्वविद्यालय की शिक्षा इन चीजों से मुक्त रहनी चाहिये।

हमारे विश्वविद्यालय धनाभाव के कारण संकट का सामना कर रहे हैं। देश के विकास के लिये हमें डाक्टरों, इंजीनियरों, प्रोफैसरों

[श्री मेघनाद साह]

आदि लोगों की आवश्यकता है । आखिर यह प्रशिक्षित लोग आयेंगे कहां से जब तक कि हमारे विश्वविद्यालय सुसज्जित तथा सुसंगठित न हों ? प्रशिक्षित कर्मचारियों के अभाव में देश के विकास की बात केवल सपना ही सपना है । रूस में भी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये विशेष व्यवस्था की गई थी। आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि उच्च शिक्षा के लिये राज्य अकेले ही खर्चा उठाने में असमर्थ हैं । इस लिये एक प्रकार का हल यह दिया गया था कि बी० ए० तथा बी० एस० सी० तक का सारा व्यय राज्य स्वयं उठायेंगे । उस के बाद की उच्च शिक्षा व प्रशिक्षा की व्यवस्था पर जो व्यय होगा, उस का आधा भार केन्द्र को उठाना चाहिये तथा आधा राज्य सरकार को जिस से कि राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी रहे तथा केन्द्र से भी सहायता मिलती रहे ।

अधिकांश विश्वविद्यालयों को अब भी उतना ही अनुदान मिलता है जितना कि उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध से पहले मिलता था । मूल्य स्तर को ध्यान में रखते हुए रुपये की कीमत अब केवल चार आने रह गई है अर्थात् विश्वविद्यालयों को पहले की अपेक्षा केवल २५ प्रतिशत ही अनुदान मिलता है । यह तो बड़ी गम्भीर स्थिति है । न अध्यापकों को वाजबी वेतन मिलता है और न ही प्रयोगशालाओं में सामान उपलब्ध किया जाता है । चारों तरफ असन्तोष तथा निराशा की भावना फैली हुई है । कई विश्वविद्यालयों में —जैसे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय—में जांच समितियां जांच का कार्य कर रही हैं, कारण उन्होंने निश्चित धन राशि से अधिक धन व्यय किया है। उन्होंने सद्विचारों से प्रेरित हो कर ऐसा किया था किन्तु भाग्य का चक्र देखिये उन्हें दण्ड देने की सोची जा रही है ।

यह स्थिति केवल यहां ही नहीं अपितु इंगलैंड में भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न हुई थी । वहां की सरकार ने वहां के विश्वविद्यालयों के युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिये ३ करोड़ पौंड का अनुदान दिया । परिणामस्वरूप आक्सफोर्ड तथा कैम्ब्रिज जैसे बड़े विश्वविद्यालय जो युद्ध से पहले एक धेला भी सरकार से सहायता के रूप में नहीं लेते थे, अब अपनी आय का ५० से ६० प्रतिशत भाग सरकार से ग्रहण कर रहे हैं ।

रूस में युद्ध से जो तबाही हुई वह सभी को मालूम है । इस के एक करोड़ चालीस लाख लोग मारे गये । धन, जन और सम्पत्ति का नाश हुआ । किन्तु फिर भी उन्होंने विश्वविद्यालयों के नव निर्माण का कार्य हाथ में लिया है । केवल मास्को विश्वविद्यालयों के भवनों तथा क्वार्टरों पर लगभग १०० करोड़ रुपया व्यय किया गया है । इसी तरह अन्य विश्वविद्यालयों का पुनर्निर्माण हुआ है । इस के उल्ट हमारे विश्वविद्यालय खाक में मिल रहे हैं ।

आयोग के विचार से हमारे विश्वविद्यालयों की बिगड़ी दशा केवल केन्द्र की सहायता से ही सुधर सकती थी। खेर समिति ने भी १९४८ में सिफारिश की थी कि केन्द्र को अपने बजट का दस प्रतिशत भाग शिक्षा पर व्यय करना चाहिये । अर्थात् वर्तमान बजट को ध्यान में रखते हुए हमें शिक्षा पर लगभग ४० करोड़ रुपये व्यय करना चाहिये था जब कि हम केवल पांच या ६ करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिश थी कि विश्वविद्यालय शिक्षा की उन्नति के लिये केन्द्र सरकार को शुरू शुरू में साढ़े चार करोड़ रुपये की एक अतिरिक्त राशि अनुदान के रूप में दे देनी चाहिये । तथा इसे बांटने का काम एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को, जो

एक स्वायत्त निकाय होगा तथा केन्द्रीय लोक सेवा आयोग का सा दर्जा रखेगा, सुपुर्द किया जाना चाहिये । यह आयोग ब्रिटेन के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नमूने पर स्थापित होना चाहिये । यह आयोग विश्वविद्यालयों का सामयिक निरीक्षण करता है तथा जहां यह देखता है कि सहायता की आवश्यकता है सहायता देता है, और इस बात की देख भाल करता है कि क्या वह धन-राशि उचित रूप से व्यय की जाती है, अथवा नहीं । यही आयोग यह भी देखता है कि क्या किसी विश्वविद्यालय में किसी नये विभाग के खोलने की भी आवश्यकता है या नहीं । यह सारी सिफारिशें सरकार के सामने हैं किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की जाती ।

शिक्षा मंत्रालय के बुलेटिन में कहा गया है कि एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति स्थापित की जायेगी । यह इस उद्देश्य से स्थापित की जा रही है :

"पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आगामी पांच वर्षों में उच्च शिक्षा तथा अनुसन्धान कार्य के लिए ४.८ करोड़ रुपये की एक राशि आवंटित की गई है तथा आशा की जाती है कि इस अनुदान में से १.२ करोड़ रुपये विकास योजनाओं के लिये उपलब्ध होगा जब कि शेष टेक्निकल शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान पर व्यय किया जायेगा ।"

सन् १९५२-५३ के बजट में ३४·२ लाख रुपये का उपबन्ध रखा गया है । हम ने कार्य के शुरू में ही साढ़े चार करोड़ रुपये की सिफारिश की थी किन्तु हमें केवल ३४ लाख रुपये दिए गए । परन्तु इस से भी बढ़ कर मुसीबत वह अभिकरण है जो इस उद्देश्य के लिये बनाया जाने वाला है । पहले भी एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति थी जो शिक्षा मंत्रालय के अधीन थी । उस का अन्त हुआ किन्तु हम उसे अब पुनर्जीवित करने का प्रयत्न कर रहे हैं । हम ऐसा करते हुए केवल अंग्रेजों की नकल कर रहे हैं । ब्रिटेन की विश्वविद्यालय अनुदान समिति शिक्षा मंत्रालय के अधीन नहीं । वहां विश्वविद्यालयों को अनुदान देने में शिक्षा मंत्रालय का कोई हाथ नहीं रहता है । वरण यही समिति जांच कर के निरीक्षण कर के अपनी विचार शक्ति से काम ले के अनुदान वितरित करती है । मैं चाहता हूं कि हमारी विश्वविद्यालय अनुदान समिति भी एक स्वायत्त संस्था हो जिसे सरकार से सीधे धन प्राप्त हो, तथा जो जांच तथा निरीक्षण के बाद अपनी विचार शक्ति से काम ले कर विभिन्न विश्वविद्यालयों में अनुदान वितरित करे । निस्सन्देह हमारी सरकार ने कई अच्छे काम भी किये हैं । उदाहरण के लिये राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को ले लीजिये । इन्हें स्थापित करने में हमारे प्रधान मंत्री का बड़ा हाथ है । इन प्रयोगशालाओं तथा विश्वविद्यालयों का आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध है । इन का भविष्य भी विश्वविद्यालयों की सफलता पर ही निर्भर है । इस सम्बन्ध में शिक्षा मंत्रालय के सचिव डा० भटनागर, जो कि इन प्रयोगशालाओं के प्रमुख निर्माता हैं, कई बार बहुत कुछ कह चुके हैं । मुझे आशा है कि डा० भटनागर जिन पर कि अब विश्वविद्यालय शिक्षा तथा अनुसन्धान कार्य को पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारी है अपने शब्दों को भूल न जायेंगे ।

शिक्षा तथा अध्यापन के क्षेत्र में मेरा काफी लम्बा अनुभव है । मैं ने ब्रिटेन, अमेरीका, रूस तथा अन्य यूरोपीय देशों के विश्वविद्यालयों, वहां के छात्रों तथा अध्यापकों को देखा है । मेरी धारणा है कि हमारे युवक किसी से कम नहीं हैं । उन में कार्य करने का उत्साह है तथा ज्ञान के लिये पिपासा है । परन्तु हम ने उन के लिये क्या कर रखा है । जब वे प्रयोगशालाओं में आते हैं हम उन की सहायता नहीं कर सकते हैं । वह निराश होते

[श्री मेघनाद शाहा]

हैं। आप ने जो राष्ट्रीय प्रयोगशालायें खोल ली हैं उन से हमारी आवश्यकतायें पूर्ण नहीं होंगी। यदि आप देश में नया जीवन डालना चाहते हैं तथा देश के पुनर्निर्माण के लिये कार्यकर्त्ताओं के एक दल को तैयार करना चाहते हैं तो कृपया इस निरपेक्ष भाव को तिलांजलि दीजिये। विश्वविद्यालयों की सहायता के लिये कहीं न कहीं से पैसा निकालिये। प्रथम विश्व-युद्ध के बाद भारतीय विज्ञान वेत्ताओं ने अल्प साधनों के बावजूद विज्ञान के क्षेत्र में अपना नाम पैदा किया है। हम चाहते हैं कि आने वाली सन्ततियां उन से बड़े विज्ञान वेत्ताओं को संसार में लायें। तथा हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम उन्हें सुविधा दें,—प्रयोग-शालाओं के रूप में, पुस्तकालयों के रूप में तथा अन्य बातों के रूप में।

अन्त में मैं शिक्षा मंत्री से अपील करूंगा कि वह शीघ्र ही ऊपर उल्लिखित चार सिफारिशों को क्रियान्वित करें। मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति स्थापित की जायेगी। जो मंत्रिमंडल की एक समिति होगी। इसे काफी धन कम से कम पांच करोड़ रुपये उपलब्ध किया जाये ताकि हम विश्वविद्यालयों के पुनर्निर्माण का महान कार्य अपने हाथ में ले सकें।

श्री बलवन्त सिन्हा महता (उदयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, प्रकृति ने हमारी भारत माता को काफी प्राकृतिक साधन दिये हैं। हमारी भारत माता सुजलां सफलां शस्य श्यामला और रत्न गर्भा मानी गई है। आज भी इस प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि हमारे प्राकृतिक साधनों का विज्ञान के द्वारा अन्वेषण कर के उन का पूरा पूरा उपयोग किया जाये। आज हम को यह कहने पर बड़ा हर्ष होता है कि हमारी सरकार ने इस ओर काफी अच्छा कदम उठाया है। उस ने ऐसे नाजुक समय में भी हमारे यहां बड़ी बड़ी वैधशालायें, लैबोरेटरीज (प्रयोग-शालायें) अनुसन्धान शालायें खोली हैं। देखने से पता लगेगा कि विज्ञान की कोई भी ऐसी शाखा बाकी नहीं रही है जिस में यहां पर अनुसन्धान नहीं किया जा सकता हो। इस समय हमारे देश के कई बड़े विद्वान उन में कार्य कर रहे हैं। सिवाय मैसूर राज्य के जो कि भाग ख में के राज्यों में आता है, जितनी भी अभी तक लैबोरेटरीज खोली गई हैं वे सब भाग क में के राज्यों में खोली गई हैं। यह वास्तव में एक खटकने वाली चीज है। मैं आप का ध्यान इस ओर विशेषकर दिलाना चाहता हूं कि भविष्य में भाग ख और भाग ग में के राज्यों का भी ऐसी लैबोरेटरीज के खोलने में ध्यान रखा जाये।

मैं आप का ध्यान कुछ ऐसे प्राकृतिक साधनों की ओर दिलाना चाहता हूं जिस से कि आपको महसूस होगा कि हमारे यहाँ पर कितने बहुमूल्य खनिज पदार्थ हैं और ऐसी कई चीज उपलब्ध है जो सामरिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से और उपयोग की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमारे यहां राजस्थान में कई ऐसे बहुमूल्य खनिज पदार्थ हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने पर भी आसानी से उपलब्ध हैं। मसलन बैरिलियम राजस्थान में पाया जाता है और ऐटौमिक इनर्जी (अणु शक्ति) में काम आता है। इसी तरह से टंगस्टन यह भारतवर्ष में सिवाय राजस्थान के और कहीं नहीं पाया जाता। इस का भाव ३० हजार रूपया प्रति टन था। आज कल इस का क्या भाव है यह नहीं कहा जा सकता है। मगर उम्मीद यही की जाती है कि आज कल इस के भाव और भी ऊंचे हो गये होंगे। इसी तरह से लैड (सीसा), जिंक (जस्ता), सिलवर (चांदी),

सोप-स्टोन, माइका (अभ्रक), मैंग्गनीज, लिगनाइट, जिप्सम और ऐसबैस्टस वगैरह खनिज पदार्थ राजस्थान में निकाले जा रहे हैं। यही नहीं, इन के सिवाय तांबा, लोहा, पाईराईट्स और भी कई प्रकार की धातुयें हैं जो कि राजस्थान में प्रचुर मात्रा में आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं। यह सब पदार्थ जो राजस्थान में होते हैं बाहर के देशों में भेजे जाते हैं। यह बड़े दुःख की बात है कि जो हमारे राष्ट्र का धन है वह सब विदेशों को जा रहा है और उस को हमारे यहां कुछ भी उपयोग नहीं किया जा रहा है। आशा है कि हम इन पदार्थों का अपने यहां उद्योग धन्धों में भविष्य में उपयोग करेंगे। मैं आप को यह भी बतलाना चाहता हूं कि हमारे प्रान्त से काफी मात्रा में जिस तरह के खनिज पदार्थ बाहर के देशों को भेजे जा रहे हैं अगर हम इन पदार्थों का उपयोग अपने यहां करें तो इस में हजारों आदमी काम में लग सकते हैं। इस समय हमारे देश में जो कई हजारों की संख्या में नौजवान पढ़े लिखे हैं और बेकार बैठे हुए हैं वे भी इन कार्यों पर लग सकते हैं। मुझे यह भी मालूम है कि हमारे बहुत से नौ जवान वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त कर के बेकार बैठे हुए हैं। हम इन बेकार शिक्षित नौजवानों को भी इस में लगा सकेंगे। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि राजस्थान में और देश के कई भागों में इस प्रकार की बहुमूल्य चीजें उपलब्ध हैं मगर अभी तक हमारी सरकार की ओर से उन के बारे में पूरी सर्वे (परिमाप) भी नहीं हुई है। सरकार को चाहिये कि सारे देश में मिनरल सर्वे (खनिज परिमाप) करे। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां पर ऐसी बहुमूल्य चीजें उपलब्ध हों वहां जल्दी से जल्दी अनुसन्धान कार्य आरम्भ किया जाना चाहिये।

राजस्थान में जो जस्ता और सीसा की खानें हैं वह संसार की बहुत प्राचीन खानों में से हैं। किन्तु अब तक भी सरकार को पता नहीं है कि उस में कितना रिज़र्व है। इस का जल्दी से जल्दी पता लगाया जाना चाहिये। अभी तक इन का डिटेल्ड मैपिंग (विस्तृत मान चित्र बनाना) भी नहीं हो पाया है। यह बड़े ही दुःख की बात है। राजस्थान का जस्ता और सीसा बड़े महत्व की चीज़ें हैं। आज भी हजारों टन उपलब्ध होता है। मैं समझता हूं कि इस का पूरा पता मिल जाने पर हमारे सारे भारतवर्ष की आवश्यकता को पूरी कर सकेगा।

इसी जस्ते के साथ जो कुछ भी डैटा (विवरण) उपलब्ध है, उस से मालूम होता है कि २० या २५ हज़ार टन सल्फ्यूरिक एसिड (गंधक का तेज़ाब) निकल सकता है, जो कि हमारी बेसिक इंडस्ट्री (मूल उद्योग) है और जिस के आधार पर बहुत से उद्योग धंधे चल सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि यह बहुत आवश्यक है कि इस का जल्दी से जल्दी अनुसन्धान हो कर के इस का उपयोग होना चाहिये। अभी हाल में यह मालूम हुआ है कि जस्ता और सीसा की तरफ़ जब कि राजस्थान सरकार ने भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया तो उस ने एक कमेटी इस के लिये बिठा दी है कि वह इस का अनुसन्धान करे कि इस की—जिंक स्मेल्टिंग इण्डस्ट्री कहां लगे। कितने दुःख की बात है कि जिस प्रदेश में, जिस प्रान्त में जो खनिज पदार्थ उत्पन्न हो उस की इंडस्ट्री दूसरे प्रान्त में बैठाई जाय। जो नीति अंग्रेजों ने बरती थी उसी को यदि दुहराया गया तो मैं समझता हूं कि यह देश के लिये बहुत हानिकर होगा। मैं आप को मिसाल देना चाहता हूं कि जो सिंदरी फैक्टरी है, जिस में कि फ़र्टीलाइज़र्स (कृषिसार) बनते हैं उस में जो जिप्सम (खरिया) आता है वह

[श्री बलवन्त सिन्हा महता]

राजस्थान से आता है । अब आप देखिये कि कहां राजस्थान और कहां है वह सिंदरी फ़ैक्टरी । ऐसा मालूम होता है कि रोज़ एक हज़ार टन ज़िप्सम वहां जाता है तो आप सोचें कि इस के ट्रांसपोर्टेशन (परिवहन) में कितना खर्च पड़ता है .और वह वहां जा कर कितना महंगा पड़ता है ? तो जो चीज़ जहां हो वहीं उस की इंडस्ट्री खोली जानी चाहिये । मैं नही समझता कि इस के लिये कोई कमेटी बिठाने की आवश्यकता थी, आवश्यकता यह देखने की थी कि किस तरह से चीज़ों को जुटाया जाय जिस से इंडस्ट्री वहां उसी स्थान पर लग सके और क्या बाई प्रोडक्ट्स हों जिन से अन्य उद्योग धन्धों व व्यापार को मदद मिले । मुझे यह सुन कर ताज्जुब हुआ कि उस कमेटी के चेयरमैन ऐसे रखे गये हैं जो किसी फ़र्म से कनेकटिड (सम्बद्ध) हैं । वे अपने ही यहां या आसपास के स्थान के सिवा दूसरा स्थान क्यों पसन्द करेंगे । इसलिये मैं चाहता हूं कि जहां ऐसा मामला आये तो उस में इन्डस्ट्री कामर्स विभाग के साथ अन्य विभागों का, कोआर्डिनेशन (सहयोजन) हो कर यह देखना चाहिये कि इंडस्ट्री वहां कैसे लगायी जा सकती है ।

अभी हाल में हमारे देश के बहुत बड़े विद्वान सर विश्वेशरय्या ने अपने भाषण में कहा था कि प्रत्येक प्रान्त में कम से कम तीन इंडस्ट्री (आधारभूत) लगनी चाहिये । अगर हम किसी प्रान्त की उन्नति करना चाहते हैं तो यह ज़रूरी है कि वहां कुछ बेसिक इंडस्ट्री लगे । इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार का ध्यान इस तरफ़ भी जाना चाहिये और जहां जहां खनिज आदि पदार्थ मिलें वहां वहां उसी की इंडस्ट्री लगाई जानी चाहिये ।

राजस्थान में पैट्रोलियम की भी बहुत सम्भावना मानी जाती है । लेकिन इस की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया गया है । अगर इस की खोज की जायेगी तो मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में हमारी कमी पूरी हो सकती है ।

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि केमिकल फैक्टरी (रासायनिक द्रव फैक्टरी) के लिये बहुत स्कोप (क्षेत्र) है । राजस्थान में सोडियम सल्फेट की एक ही इंडस्ट्री है जो मैं समझता हूं कि अन्यत्र कहीं नहीं है और अगर उस के उत्पादन का ठीक प्रबन्ध किया जाय तो मैं समझता हूं कि वह भारत की आवश्यकताओं के अलावा विदेशों की आवश्यकता को भी पूरा कर सकती है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इंडस्ट्री के साथ यह नहीं देखा जाता कि उन की क्या कठिनाइयां हैं । उन के मार्ग में बहुत सारी कठिनाइयां आ रही हैं ।

इसी तरह से राजस्थान में सब से ज्यादा नमक सांभर में होता है । यहां करोड़ों टन बिट्नर्स जो कि साल्ट बनाने के बाद बचा रहता है पड़े हुये हैं इस से बहुत से बाई प्राडक्ट्स बनाये जा सकते हैं । जिन का कि उपयोग केमिकल इंडस्ट्री में होता है । इस तरह से हमारे यहां बहुत सी इंडस्ट्रीज़ चलाई जा सकती है जिन से कि भारत की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है ।

दूसरे मैं एक खास ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जो वर्तमान मिनरल कनसेशन रूल्स (खनिज पदार्थों की खोज सम्बन्धी नियम) हैं उन में तात्कालिक परिवर्तन होना ज़रूरी है । इसमें डेड रेंट और रायल्टी के सम्बन्ध में काफी लोगों

को शिकायतें हैं और एक खास बात यह है कि मामूली व्यक्ति को कोई मौका नहीं है। जिस के पास पैसा है वही काम कर सकता है। पैसा ही धन माना गया है लेकिन मैं समझता हूं कि यह खयाल ग़लत है। पैसा ही धन नहीं है, श्रम भी धन है। जिसके पास श्रम है वह भी एक धन रखता है। परन्तु बहुत से मज़दूर सामूहिक रूप से खानों में अपने श्रम की पूंजी से काम करना चाहते हैं फिर भी न उन को और न आम जनता को ही मौक़ा मिलता। अगर पूंजीपतियों के पास पैसा है तो मज़दूर के पास भी श्रम कैपिटल है। मुझे मालूम हुआ है कि प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस (खान खोज अनुज्ञापत्र) देने के लिये बैंक बैलेंस (बैंक हिसाब) पूछा जाता है लेकिन आम तौर से वह झूठा ही बताया जाता है। जहां बड़े बड़े बैंक बैलेंस बताये गये हैं वहां आज भी मज़दूर रो रहे हैं; लेकिन जहां जहां श्रमिकों को मौक़ा दिया गया है, वहां बराबर मज़दूरों को अच्छा भुगतान मिला है। इस के अलावा मिनरल कनसेशन रूल्स में बड़ी बड़ी खानों को, यानी १० एकड़ वर्ग मील से ज्यादा देने का उल्लेख नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि आज भी पूंजीपतियों के पास खास कर राजस्थान में हज़ारों एकड़ ही नहीं हज़ारों वर्ग मील भूमि पड़ी हुई है और उस में बहुत से खनिज पदार्थ हैं लेकिन वे उन पर काम नहीं करते। मेरा कहना है कि सरकार को चाहिये कि इन की मनोपलियां (एकाधिकार) खतम कर के मिनरल कनसेशन रूल्स के माफिक़ उन के पास काम करने के लिये उपयुक्त हिस्सा रहने दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य ने काफी समय लिया है, कृपया अब समाप्त कीजिये।

श्री बलवन्त सिन्हा महता : अब मैं एक मिनट में ही खतम कर दूंगा।

तो आप से सिर्फ़ अर्ज़ यह है कि मिनरल कनसेशन रूल्स को जल्द से जल्द बदला जाये।

इस के साथ साथ मेरा कहना यह भी है कि माइनिंग के लिये राजस्थान में बहुत बड़ा क्षेत्र है और जब कभी माइनिंग यूनिवर्सिटी का प्रश्न आये तो राजस्थान को न भूला जाय यही मेरी प्रार्थना है।

अन्त में मैं आप का और विशेषकर विज्ञानवेत्ताओं का ध्यान इस तरफ़ आकर्षित करना चाहता हूं कि महात्मा गांधी की बहुत इच्छा थी कि एक ऐसा चर्खा निर्मित हो जो बहुत सरल हो और जिस में आसानी से ज्यादा से ज्यादा सूत निकल सके। बड़े दुःख की बात है कि हमारे देश में बड़े बड़े विज्ञानवेत्ताओं के होते हुये भी वे इस बात को अभी तक पूरा नहीं कर सके हैं।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह बनस्पति घी के बारे में है जिस के लिये सारा भारत एक स्वर से कह रहा है कि इस को रंग दे दिया जाय। इस की तरफ भी विज्ञान-वेत्ताओं का ध्यान कम गया है। मैं खास तौर से कहना चाहता हूं कि हमारे विज्ञान-वेत्ता इस तरफ़ ध्यान दे कर इस काम को पूरा करें। इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री विश्वनाथ रेड्डी (चित्तूर) : प्राकृतिक संसाधन तथा वज्ञानिक अनुसंधान के विषय के सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति यह कहने को तैयार नहीं है कि हमें इस पर व्यय कम करना चाहिये वरन् इस बात पर सब सहमत हैं कि देश के प्राकृतिक साधनों का यथासम्भव अधिक से अधिक तथा शीघ्र से शीघ्र विकास होना चाहिये। हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तथा पृथ्वी पर भार बढ़ रहा है। इस भार को हलका करने के लिये हमें जन साधारण के लिये नये नये

[श्री विश्वनाथ रेड्डी]

कार्य क्षेत्र तथा पेशे ढूंढने होंगे । कई देशों के आर्थिक इतिहास में हम ने देखा है कि किसी बांध के बनने से किसी खान के खुलने से अथवा किसी नहर के खोदने से उन के आर्थिक जीवन में भारी परिवर्तन हुआ है । स्वयं इंगलैंड के इतिहास को देखिये किस तरह कुछेक उद्योगों की खोज ने वहां के लोगों का जीवन ही बदल दिया है । यह एक कृषि प्रधान देश से एक औद्योगिक देश में परिवर्तित हुआ । हमें भी इसी प्रकार के साधन ढूंढने होंगे जिस से कि हम एक ऐसी अवस्था को प्राप्त कर सकें कि उद्योग तथा कृषि देश की भलाई के लिये एक दूसरे के सहायक तथा समर्थक बन जायें ।

हमें इस बात का सन्तोष है कि इस सरकार ने पिछले कुछेक वर्षों में देश में ग्यारह राष्ट्रीय प्रयोगशालायें स्थापित कीं । गत वर्ष यह प्रयोगशालायें ८२ वैज्ञानिक विषयों में अनुसन्धान कर सकी हैं । कुछ वैज्ञानिक तथ्यों का अन्वेषण कर सकी हैं जिस से न केवल देश का अपितु सारे जगत का फायदा होगा, इसके अलावा हम ने कई बहुसूत्रीय नदी घाटी योजनाओं का श्रीगणेश किया जिन से केवल सिंचाई व्यवस्था का विकास होगा अपितु विद्युत शक्ति तथा अन्य सुविधायें भी प्राप्त होंगी । हमें इस बात का सन्तोष है कि सरकार ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों को अपने हाथ में ले रही है ।

भूतत्वीय परिमाप के सम्बन्ध में भी कई क्रान्तिकारी पग उठाये गये हैं । न केवल धातु खानों का पता लगाने के लिये अपितु भूमिगत जलाशयों का पता लगाने के लिये भी सारे देश को प्रदेशों में बांटा गया है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भूतत्वीय प्रदेश प्रादेशिक आधार पर नहीं निर्धारण किये जाने चाहिये । अपितु परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उन क्षेत्रों का निर्धारण होना चाहिये । जिस क्षेत्र में खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों उसके लिये एक अलग मंडल (सर्कल) बनाया जाय । देश में तेल के कुओं का पता लगाने के लिये भी पग उठाये गये हैं । भूतत्वीय परिमाप तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिये गत वर्ष की अपेक्षा दुगना धन दिया गया है । गत वर्ष व्यय डेढ़ करोड़ रुपये था इस वर्ष मांग ढाई करोड़ रुपये की है । देश के विकास के लिये यह भी एक शुभ लक्षण है ।

यहां मैं धातु सम्बन्धी रियायतें देन सम्बन्धी नियमों में कुछ थोड़े से परिवर्तन का सुझाव देता हूं । प्रायः रियायतें उन लोगों को दी जाती हैं जिन्हें खानकनी के तरीकों का कोई ज्ञान नहीं होता है, मेरा सुझाव यह है कि रियायतें देने का काम पूर्ण रूप से धातु सम्बन्धी विभाग (मिनरल व्यूरो) के अथवा एक अलग भूतत्वीय विभाग के हाथ सोंपा जाना चाहिये जैसे कि मैसूर राज्य में किया जाता है । वहां के भूतत्व विभाग में बड़े योग्य तथा टकनीकल व्यक्ति काम करते हैं ।

धातुओं को निर्यात करने के सम्बन्ध में हमारी नीति अनुदार रहनी चाहिये । हमारी यह कोशिश रहनी चाहिये कि यहां के खनिज पदार्थ यहां ही प्रयोग में लाये जायं ।

रायलासीमा आज अकालपीड़ित है और हम सब की आंखें उन सब की ओर लगी हुई हैं यद्यपि इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का अभाव है, फिर भी यह खनिज पदार्थों से परिपूर्ण है । भारत के किसी भी विभाग में जो भी खनिज पदार्थ आप को मिलेंगे वह सब आप को इस क्षेत्र में उपलब्ध होंगे ।

यदि इस क्षेत्र का विकास किया जाये तथा खानों पर काम शुरू किया जाय तो न केवल इस इलाके की भूख तथा दरिद्रता सदैव के लिये समाप्त होगी अपितु यहां से प्राप्त खनिज पदार्थों से देश को भी भारी लाभ पहुंचेगा, रंगसाज़ी के उद्योग में जितने भी कच्चे माल की आप को आवश्यकता होगी वह यहां से ही प्राप्त होगा। इसी तरह विश्व का सब से उत्तम दर्जे का एस्बस्टस आप को यहां मिलेगा। इस उद्योग में अभी वहां एक ही संयंत्र काम कर रहा है। सरकार ने अभी तक इसकी न कोई सहायता की है और न ही इसे कोई प्रोत्साहन दिया है।

रायलासीमा में लोहा पिघलाने का कारखाना बड़ी आसानी से खोला जा सकता है। वहां आपको उत्तम प्रकार का कच्चा लोहा मिलेगा। इसी प्रकार से वहां मेग़नीज़ भी उपलब्ध है। तुंगभद्रा परियोजना के पूर्ण हो जाने पर आप को यह कारखाना चलाने के लिये काफी विद्युत शक्ति भी उपलब्ध हो सकती है। वहां सीमेंट बनाने के पदार्थ भी उपलब्ध हैं इसलिये वहां सीमेंट का कारखाना भी खोला जा सकता है।

कई राज्यों ने कृतिम वर्षा करने के प्रयोग किये थे किन्तु वह असफल हुए हैं, वास्तव में केन्द्रीय सरकार नें भी इस मामले में इन की काफी सहायता नहीं की थी। जब अमेरिका तथा रूस आदि देशों में वर्षा बनाने का प्रयोग सफल रहा है तो यहाँ इस के असफल रहने का कोई कारण नहीं। मेरा अनुरोध है कि सरकार इस मामले पर पूरा ध्यान दे तथा इस कार्य में अपनी वायु सेना से भी सहायता ले। यह प्रयोग यदि सफल होता तो रायलासीमा राजस्थान जैसे इलाकों को नया जीवन दे सकता है।

श्रीमती जयश्री (बम्बई–उपनगर): शिक्षा मंत्रालय को बधाई देने के लिये आप ने मुझे जो अवसर दिया है उसके लिये मैं आप को धन्यवाद देती हूं। अभी शिकायत की गई है कि सरकार ने विश्वविद्यालय आयोग की सिपारिशों को क्रियान्वित करने के लिये कोई पग नहीं उठाया है। मेरे विचार में ऐसा कहना ठीक नहीं। संसद ने पिछले ही सत्र में काशी विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में विधान पारित करके आयोग की सिपारिशों को सक्रिय रूप दिया है। इसी तरह सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की शिक्षा के लिये गत वर्ष की अपेक्षा अधिक धन राशि अर्थात् १७·५ लाख रुपये दिये हैं।

जहां तक निरक्षरता निवारण का प्रश्न है, इसके लिये प्रशिक्षत अध्यापकों की आवश्यकता है। सरकार ने समाज शिक्षा तथा बुनियादी शिक्षा में प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया है। जनता कालिज भी नव युवकों को प्रशिक्षित करके ग्राम-सुधार में सहायक हो सकता है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री से प्रार्थना करती हूं कि महिलाओं को भी इस में प्रशिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाय, महिलाओं की शिक्षा देश की प्रगति का मूल मंत्र है।

सरकार ने देश में कुछेक महिला कालिजों को जो सहायता दी है उस के लिये मैं उन्हें बधाई देती हूं। किन्तु मैं निवेदन करना चाहती हूं कि यह सहायता अपर्याप्त है तथा इसे बढ़ा दिया जाना चाहिये। बम्बई का नाथीबाई थाकर से विश्वविद्यालय केवल ऐसा विश्वविद्यालय है जो मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करता है। यह अब एक नर्सिंग कालिज भी खोलने की प्रस्थापना

[श्रीमती जयश्री]

कर रहा है । अतः मुझे आशा है कि सरकार इसे और अधिक सहायता देगी ।

सामाजिक कार्यकर्ताओं की शिक्षा पर ध्यान देते हुये मुझे आशा है कि माननीय मंत्री भारतीय समाज-दर्शन तथा भारतीय इतिहास के पढ़ाने पर ज़ोर देंगे क्योंकि विश्व-विद्यालयों में इनके पढ़ाने पर अधिक ज़ोर नहीं दिया जाता है ।

देहरादून में अन्धों के लिये जो प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया है उस से काफी लोग पुनः स्थापित होंगे । मैं निवेदन करती हूं कि ऐसे ही केन्द्र गूंगे तथा बहरे बच्चों के लिये भी खोले जायें ।

कई नई योजनाओं को चालू करते हुये हम अमेरिका जैसे धनवान देश की नक़ल कर रहे हैं । मेरा निवेदन है कि हम इस तरह धन नष्ट न कर के अपने साधनों को अनिवार्य शिक्षा तथा गूंगे तथा बहरे बच्चों की शिक्षा पर लगाना चाहिये । अनिवार्य शिक्षा को लागू करते समय भी हमें यह देखना चाहिये कि बच्चों का भरण पोषण ठीक ढंग से हो । सरकार को इसके लिये भी उपबन्ध करना चाहिये । शारीरिक शिक्षा तथा व्यायाम सम्बन्धी गतिविधियां आवश्यक हैं । परन्तु यहां भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि बच्चों का भरण पोषण ठीक ढंग से होता है ।

विदेशों में छात्रों को शिक्षा प्राप्ति के लिये भेजते समय हमें यह देखना चाहिये कि वापसी पर इन्हें अच्छा काम मिलता है तथा वह बेकार नहीं रह जाते हैं । इस सम्बन्ध में उचित आयोजन से काम होना चाहिये । टैक्निकल शिक्षा के लिये पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय हमें महिलाओं के लिये उपयुक्त शिक्षा के विषय पर भी ध्यान देना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री को उनके मंत्रालय के काम के लिये बधाई देती हूं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (पटना-पूर्व): श्रीमान्, देश के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाने के लिये शिक्षा प्रसार अनिवार्य है । किन्तु हमारे देश में शिक्षा सम्बन्धी सुविधायों की जितनी अ-पर्याप्तता है वह सर्वविदित है । किसी हद तक यह ठीक है कि देश का आर्थिक रूप से पिछड़ा होना दोषपूर्ण तथा अपर्याप्त शिक्षा प्रणाली के लिये ज़िम्मेदार है । परन्तु अब समय आ चुका है कि इस प्रणाली का आमूल चूल परिवर्तन किया जाय । सन् १९११ में सर्व श्री गोखले ने देश में अनिवार्य शिक्षा लागू करने के लिये एक विधेयक केन्द्रीय धारा सभा में प्रस्तुत किया था जो उस समय की सरकार के विरोध करने पर अस्वीकृत हुआ था । मैं चाहती हूं कि कम से कम अब उस प्रस्थापना को सक्रिय रूप दिया जाय ।

शिक्षा के सम्बन्ध में हमें इस समय तीन बातों की ओर ध्यान देना है । एक यह कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली जिसे 'पेशावर' शिक्षा का नाम भी दिया जा सकता है, बेकारी को जन्म देती है । दूसरे यह कि बच्चों तथा महिलाओं की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये और तीसरे यह कि अपाहिजों की शिक्षा का प्रबन्ध किया जाना चाहिये ।

मुझे मालूम है कि शिक्षा एक प्रान्तीय विषय है तथा केन्द्र का इस में बहुत कम हाथ तथा ज़िम्मेदारी है । परन्तु इस नीति का परिणाम यह निकल रहा है कि विभिन्न राज्यों में शिक्षा सम्बन्धी नीति के मूल सिद्धान्तों में कोई समन्वय नहीं । इसलिये यदि केन्द्रीय सरकार नीति तथा भारी समस्याओं के सम्बन्ध में राज्यों को निदेश

देने का काम अपने ऊपर ले लेगी तो इस का नतीजा अच्छा ही निकलेगा । बुरा नहीं ।

मैं चाहती हूं कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को स्कूलों तथा कालिजों की परीक्षाओं में अनिवार्य समाज कल्याण कार्य प्रस्तुत करने का परामर्श दे । इस कार्य में प्रारम्भिक चिकित्सा का कार्य, स्वच्छता का कार्य तथा निरक्षरों को साक्षर बनाने का कार्य शामिल होना चाहिये । इस से न केवल लोगों का जीवन स्तर बढ़ने में सहायता मिलेगी अपितु इस पर कुछ ज्यादा व्यय भी नहीं होगा ।

शिशु तथा महिला शिक्षा के सम्बन्ध में हमारे देश में सुविधाओं की बहुत बड़ी कमी है । अन्य देशों में महिला शिक्षा की प्रतिशतता पुरुष-शिक्षा की प्रतिशतता के समान ही रहती है । हमारे बच्चों तथा उनके बच्चों में भी ज़मीन आसमान का फर्क़ है । यह ठीक है कि कुछ वर्षों से हमारे देश में शिशु कल्याण का एक आन्दोलन चल रहा है, परन्तु इस में उचित संघटन का अभाव है, परिणाम यह है कि हमारे बच्चे उस समय स्कूलों में सड़ रहे हैं, बच्चों की पुस्तकों का भी कोई प्रबन्ध नहीं । बाज़ार में यदि बच्चों के लिये पुस्तकें ढूंढी जायं तो आपको विदेशी प्रकाशकों की पुस्तकों पर ही सन्तोष करना पड़ेगा । देशी प्रकाशक इन्हें छापने का साहस भी नहीं करते, । उन्हें भय रहता है कि उन्हें घाटा उठाना पड़ेगा । कुछेक प्रकाशक तो यहां तक कहने लगे कि सरकार यह छापने के लिये या हमें कुछ अनुदान दे या यह पुस्तकें छप जाने के बाद भारी संख्या में इसका क्रय करे । मेरा निवेदन यह है कि यह सरकार का परम धर्म है कि वह विशेष प्रकार की शिशु शिक्षा पुस्तकों का प्रबन्ध करे तथा इन्हें बच्चों में मुफ्त बांटे ।

देश में शिशु-शिक्षणालयों की भी कमी है । वैसे तो बड़े बड़े नगरों में कहीं कहीं इस प्रकार के शिक्षणालय पाये जाते हैं किन्तु वहां केवल अमीर लोग ही अपने बच्चे भेज सकते हैं । सर्वसाधारण के लिये कोई व्यवस्था नहीं । इसी बात को देखते हुये मैं निवेदन करती हूं कि राज्य सरकारों को शिक्षा के लिये पर्याप्त अनुदान दिये जायं जिस से कि वह इस प्रकार के शिक्षणालय खोल सकें तथा कम से कम आने वाली सन्तति को यह सुविधायें दे सकें ।

देश में इस समय ६ वर्ष से लेकर चौदह वर्ष तक के अन्धे बच्चों की संख्या चार लाख से अधिक है । इसी तरह गूंगे तथा बहरे बच्चों की संख्या २,२०,००० है । मुझे मालूम नहीं कि अपंगु वयस्कों की संख्या क्या है ? अब प्रश्न यह है कि इनका हम क्या कुछ करने जा रहे हैं । क्या इनका जीवन ऐसे ही बीत जायगा जैसे कि यह बीत रहा है अथवा इनका किसी न किसी तरह उद्धार किया जाय । मैं निवेदन करती हूं कि सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये जिस से कि न केवल इनका अपना कल्याण होगा अपितु यह देश का भार भी न बन कर रहेंगे ।

डा० रामसुभग सिंह (शाहबाद-दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है लेकिन इस पर गवर्नमैंट की तरफ से बहुत कम ध्यान दिया जाता है । यह देखने पर कि इस पर किस तरह से सरकार अपना रुपया खर्च करती है आप को आश्चर्य होगा । अभी श्रीमती सिन्हा ने कहा कि जितने छात्र हैं उन में बेकारी बढ़ती जाती है । मैं इस ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सरकार को कोशिश करनी चाहिये कि ऐसी व्यवस्था करे कि जो छात्र विश्वविद्यालयों से निकल

[डा० राम सुभग सिंह]

हैं उन में उतनी ज्यादा बेकारी न रहे। आज जो शिक्षा का प्रबन्ध है उस में हर तरह की गड़बड़ी होती है। एक ओर प्राइमरी और मिडिल स्कूल हैं इन दोनों तरह के स्कूलों का प्रबन्ध म्युनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के ज़िम्मे है।

उपाध्यक्ष महोदय : ज़रा धीरे बोलिये। माननीय सदस्य कृपया सुनें। काफी शोर हो रहा है।

डा० राम सुभग सिंह : तो इन के ज़िम्मे-प्राइमरी और मिडिल स्कूलों का काम दिया गया है। लेकिन वहां बहुत गड़बड़ी होती है और वहां लोग प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को अपने चुनाव के लिये प्रयोग में लाते हैं।

श्री आर० बी० शाह (छिंदवाड़ा) : माननीय सदस्य धीरे बोलें तो हम लोग भी समझ सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: ज़रा आहिस्ता आहिस्ता बोलिये।

डा० राम सुभग सिंह: इसी तरह से सैंकिडरी स्कूलों की व्यवस्था है। जो मैंने-ज़िग कमेटी बनती है उस में बहुत से ऐसे मंत्री भी मुझे देखने को मिले हैं जिन को केवल अपने हस्ताक्षर करने भर का ही बोध है। और वे ही लोग स्कूलों के स्तर को ज्यादा से ज्यादा नीचे गिराने की कोशिश करते हैं।

यूनिवर्सिटियों की भी यही हालत है। ऐसे ऐसे भी हमारे विश्वविद्यालय हैं जिन का प्रबन्ध बहुत अच्छा है। किन्तु कुछ ऐसे भी विश्वविद्यालय हैं जिन का प्रबन्ध खराब होने के कारण केन्द्रीय सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है। लेकिन जो केन्द्रीय सरकार का रवैया है यानी जिस तरह से उस का कार्य होता है उस को देखते हुये मैं नहीं कह सकता कि केन्द्रीय सरकार को हर मामले में हस्तक्षेप करना चाहिये।

कल प्रधान मंत्री जी ने इस बात की ओर संकेत किया कि तीन वर्ष पहिले झण्डे के बारे में जो आदेश दिया गया था उस को सरकारी अफसरों ने उलटा ही समझा और पार्लियामेंट भवन के ऊपर ब्रिटिश झण्डा लगाने की ग़लती की। इस प्रकार की ग़लतियां विश्वविद्यालयों और स्कूलों के प्रबन्ध के बारे में भी सरकार कर सकती है। एतदर्थ सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। इन सब बातों को देखते हुये यह कहा जा सकता है कि हमारे यहां शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं है। यह कहा जाता है...

श्री एच० जी० वैष्णव (अम्बड़) : हम समझने नहीं पाते। माननीय सदस्य मंत्रोच्चारण जैसे कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्र बड़े प्रभावशाली होते हैं, मैं माननीय सदस्य को उतना ही समय दूंगा जितना कि वह चाहते हैं। वह कुछ धीरे धीरे बोलें।

माननीय सदस्य: तथा ज़ोर से भी।

डा० राम सुभग सिंह : ऐसा कहा जाता है कि जितने हमारे स्कूल हैं, कालिज हैं, उन सब का प्रबन्ध हम अच्छी तरह से करें। केन्द्रीय सरकार के उपर यह दायित्व है कि उन स्कूलों को ज्यादा से ज्यादा विकसित करें। लेकिन केन्द्रीय सरकार की ओर से कहा जाता है कि यह दायित्व प्रान्तीय सरकार का है और प्रान्तीय सरकार अपने दायित्व को दूसरे पर छोड़ती है और इस वजह से गड़बड़ी बढ़ती जा रही है।

माननीय सदस्य : जोर से बोलिये।

उपाध्यक्ष महोदय: सुनने के दो तरीके हैं। वक्ता कुछ जोर से बोलें तथा अन्य सदस्य भी आपस में काना फूसी अथवा बातें न करें।

श्री एच० जी० वैष्णव: माननीय सदस्य जरा जोर से बोलें।

उपाध्यक्ष महोदय : दोनों बातें की जायेंगी।

डा० राम सुभग सिंह: हमारी शिक्षा की व्यवस्था में इस वक्त तीन प्रकार की गड़बड़ी हो रही है। पहली गड़बड़ी यह है कि शिक्षकों को उचित तनख्वाह नहीं दी जाती। उन की तनख्वाह और सरकारी कर्मचारियों के मुकाबले में बहुत कम होती है। सरकारी विभागों के किसी भी सेक्रेटरी को यहां पर तीन हजार तनख्वाह दी जाती है लेकिन कितना ही अच्छा शिक्षक हो, कितना ही अच्छा प्रोफेसर हो उसे केवल एक हजार या उस से कुछ अधिक तनख्वाह दी जाती है। प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को उतनी तनख्वाह नहीं मिलती जितनी कि सरकार के और विभागों में काम करने वाले निम्नतर श्रेणी के कर्मचारियों को मिलती है। इसी वजह से गड़बड़ी ज्यादा-तर स्कूलों में होती है।

प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को इतनी कम तनख्वाह दी जाती है कि उस के बारे में यहां पर कहा नहीं जा सकता है। हमारे जो मिनिस्टरों के चपरासी हैं और जो फाइलों को इधर से उधर लाते ले जाते हैं उन को इन प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों से ज्यादा तनख्वाह मिलती है गोकि इन फाइलों का वज़न बहुत कम होता है। यह ज़रूरी नहीं है कि वह फ़ाइलों को उठा कर सरकारी बेन्चेज़ में लावें और उन को दें। मेरे कहने का मतलब यह है कि प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों की तनख्वाह कम से कम इतनी होनी चाहिये जितने में वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। यदि उन को उचित तनख्वाह नहीं दी गई तो वह छोटे छोटे लड़कों का दायित्व किस तरह से उठा सकेंगे और किस तरह से उन्हें विक-सित करेंगे। उन के बौद्धिक ज्ञान को किस तरह से बढ़ा सकेंगे। इसलिये यह निहायत ज़रूरी है कि उन को उचित तनख्वाह दी जाय।

इसी प्रकार सेकेण्डरी स्कूलों के शिक्षकों की भी तनख्वाह बढ़नी चाहिये जिस से कि वह अपने में और सरकारी विभागों में जो कर्मचारी काम करते हैं भेद मालूम न कर सकें। तीसरा प्रोफेसरों की तनख्वाह में भी उचित परिवर्तन होना चाहिये। इस बारे में मैं उपर कह चुका हूं।

इन तीनों श्रेणी के शिक्षकों को यदि उचित तनख्वाह नहीं देंगे तो हमारी शिक्षा में बहुत भारी धक्का लगेगा। अगर इन लोगों को अपने परिवारों को खिलाने के लिये उचित प्रबन्ध नहीं होगा तो वह किस तरह से शिक्षा की ओर उचित ध्यान दे सकेंगे। यदि उन को अच्छा वेतन दिया जायेगा तो वह ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करेंगे और लड़कों को अच्छी तरह से पढ़ान की कोशिश करेंगे।

इतना ही नहीं हमारे शिक्षा के क्षेत्र का जो काम है उस के लिये सरकार ने अभी तक कोई नीति निर्धारित नहीं की कि देश की शिक्षा को किस तरह विकसित किया जाय। सरकार चाहती है कि जिस तरह से पुरानी सरकार की नीति रही है उसी तरह से वह भी चलती रहे। यानी ब्रिटिश सरकार की जो नीति थी उसी नीति पर वह चलने की कोशिश कर रही है। इस का उदाहरण शिक्षा की नीति से मालूम हो जाता है क्योंकि उस ने अभी तक इस

[डा० राम सुभग सिंह]

नीति को निर्धारित करने में कोई भी कार्यवाही नहीं की ।

आज हमारे पास इतनी ताक़त नहीं है कि हम अपने बच्चों को शिक्षा के लिये स्कूल भेज सकें और उन की शिक्षा का प्रबन्ध कर सकें । सरकार अपनी नीति बनाने में कुछ भी कोशिश नहीं कर रही है । यही कारण है कि हमारी शिक्षा का ह्रास हो रहा है । आज ज़रूरत इस बात की है कि हम को एक ठोस योजना पर कार्य करना चाहिये जिस से हम हिन्दुस्तान में शिक्षा के नक़शे को ही बदल दें । अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इस से हमारा देश तरक्की नहीं कर सकेगा और देश बरबाद हो जायेगा । लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से कोई कोशिश नहीं की जाती है । दूसरे देशों में शिक्षा के लिये विशेष ध्यान दिया जाता है और उन के वहां अलग अलग कोर्स (पाठ्यक्रम) होते हैं । वहां पर हज़ारों आदमियों का पालन पोषण इस शिक्षा से होता है । लेकिन हमारे यहां केवल एक ही कोर्स की शिक्षा दी जाती है । दूसरे मुल्कों में कई यूनिवर्सिटियां होती हैं जहां पर कई तरह की शिक्षा दी जाती है । इन सब चीज़ों के लिये हमारे देश में भी इसी तरह का प्रबन्ध होना चाहिये ताकि हमारे बच्चों को भी शिक्षा में हर प्रकार की सहूलियत मिल सके ।

हमारे यहां इंजीनियरों की ज़रूरत है, टैकनिशियनों (प्रविधिविज्ञों) की जरूरत है । शिक्षा विभाग की ओर से बहुत से डेलीगेशन (शिष्टमण्डल) भेजे जाते हैं, जैसे कलचरल डेलीगशन (सांस्कृतिक शिष्टमण्डल) और दूसरी तरह के डेलीगेशन भेजे जाते हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि हम लाखों रुपया क्यों इस तरह के डेलीगेशन भेजने में व्यर्थ खर्च करते हैं । इस तरह के कलचरल (सांस्कृतिक) फण्डामेंटल (आधारभूत) बेसिक (मूलभूत) डेलीगेशन भेजने से हमारे देश की उन्नति नहीं हो सकती ।

सरकार ने सोशियल एजूकेशन (सामाजिक शिक्षा) के लिये एक कमेटी बनाई थी मगर वह क्या काम कर रही है इस के बारे में कुछ पता नहीं सरकार भी उस ओर ध्यान नहीं दे रही है । और इस काम के लिये काफ़ी रुपया भी मंजूर किया गया है । हरिजनों को छात्रवृत्ति देने में झगड़ा होता है । उन को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिये आदि विषयों के सम्बन्ध में यहां पर सवाल पूछे जाते हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि हरिजनों को और उन दबाये हुये लोगों को छात्रवृत्ति लेने का अधिकार है और यह सरकार का कर्तव्य है कि वह उन को छात्रवृत्ति दे और उन को हर तरह से पढ़ने की सुविधा दे ।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार विदेशों के लिये भी स्कालरशिप दे जिस से वह लोग अधिक पढ़ सकें और उन को पढ़ने के लिये प्रोत्साहन मिल सके । लेकिन हमारी सरकार इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं कर रही है । यह हमारे देश के लिये बहुत दुःख और शर्म की बात है कि पिछले जनरल इलैक्शन (सामान्य चुनाव) में बहुत से ऐसे आदमी चुनाव के लिये उम्मेदवार थे जो अपने दस्तखत तक नहीं कर सकते थे । सरकार ने एडल्ट एजुकेशन (प्रौढ़ शिक्षा) के लिये प्रबन्ध किया और बहुत सा लिटरेचर (साहित्य) सारे देश में बांटा । अखबारों द्वारा उस का प्रचार किया गया मगर उस का नैट रिजल्ट (शुद्ध परिणाम) यह निकला

कि हमारे इलेक्शन में लोग अपने दस्तखत भी नहीं कर पाये। यहां पर और प्रान्तीय असेम्बली में अक्सर मेम्बर ऐसे होंगे जो कि अपने दस्तखत करने भी नहीं जानते। मैं उन की आलोचना नहीं करता। आलोचना तो कांग्रेस सरकार की करता हूं जिस ने सन् १९३७ ई० से इस देश का शासन प्रबन्ध हाथ में लिया है और जिस को अभी पांच साल शासन प्रबन्ध करते यहां भी हुये मगर उस ने शिक्षा की ओर कोई विशेष कार्यवाही नहीं की। देश को पांच साल के अन्दर शिक्षित करने के लिये उस ने कोई ठोस क़दम नहीं उठाये।

इस लिये मैं कहता हूं कि सरकार को इस सम्बन्ध में हिम्मत से और ताकत से काम लेना चाहिये। चाहे कोलम्बो प्लान (योजना) हो, चाहे फाइव ईयर प्लान (पंचवर्षीय योजना) हो, चाहे सिक्स ईयर प्लान (षटवर्षीय योजना) हो, या चाहे टेकनिकल कोआपरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन लागू किया जाय या चाहे जो हो, लेकिन यह सब आप चालू किस पर करेंगे। कौन समझता है कि टेकनिकल कोआपरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। हिन्दुस्तान में कौन समझता है कि कोलम्बो प्लान क्या है मैं मानता हूं कि इन प्लानों में ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें हैं और यह बड़े बड़े प्लान हैं और इस में बहुत काफ़ी रुपया खर्च कर रहे हैं। लाखों रुपया खर्च कर के आप अमरीकन इंजीनियरों को बुला रहे हैं और अमरीकनों से कर्ज़ ले कर और मदद ले कर काम करते हैं। मुझे दुःख होता है कि कहा जाता है कि बाहर से रुपया लेने में स्वतन्त्रता को धक्का नहीं पहुंचेगा लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी साबित कर दे कि जो अमरीका से रुपया लिया जा रहा है उस का हमारी स्वतन्त्रता पर असर नहीं पड़ेगा और उस में बाधा नहीं पड़ेगी। मेरा कहना यह है कि हिन्दुस्तान की जो जनता है वह यह नहीं जानती कि जो हमारे भाग्य के रक्षक हैं, हमारे ठेकेदार हैं वे हमें किस मार्ग पर लिये जा रहे हैं। इसलिये ज़रूरत है कि अपढ़ जनता को यह बतलाया जाय कि आप यह कर रहे हैं। उस को शिक्षित करें और उस को यह बतला दें कि आप किस रास्ते पर जा रहे हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं। आज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान (समुदाय विकास योजनाओं) में तीन तीन और चार चार हज़ार के कर्मचारियों को रखा जाता है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि···

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य इस सदन में प्रस्तुत किसी भी विषय पर निरन्तर रूप से बोल सकते हैं। मेरे कहने पर भी उन्होंने अपना भाषण समाप्त नहीं किया। उन्होंने निस्सन्देह दिलचस्प बातें कही हैं। परन्तु समय के अभाव को दृष्टि में रखते हुये माननीय सदस्यों को चाहिये कि वह कुछेक बातों को चुन कर उन्हें सदन के समक्ष रखें।

डा० राम सुभग सिंह: यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं कुछेक मिनटों में ही समाप्त कर दूंगा।

इस लिये आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी जनता को पहले कम से कम शिक्षित कर लें, उस को कम से कम दस्तखत करना बता दें और तभी हम इस शिक्षा विभाग को क़ायम रखना उचित समझेंगे और इस डिमांड (मांग) को उचित समझेंगे। कम से कम अगले चुनाव में हिन्दुस्तान की जनता यह समझ ले कि सब को दस्तखत करना आता है और उस को लिखने पढ़ने का भी थोड़ा ज्ञान हो गया है। दूसरे देशों में जहां एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं है वहां की सारी जनता शिक्षित है। जैसे अमरीका का उदारहण लें, जहां से हम को कर्ज मिल

[डा० राम सुभग सिंह]

रहा है । वहां सब जानते हैं कि किस तरह से ट्रैक्टर चलता है और क्या क्या चीजें दुनिया में हैं लेकिन यहां का गरीब किसान कुछ नहीं जानता। भारत में लगभग २५ करोड़ व्यक्ति अपनी जीविका के लिये कृषि पर निर्भर करता है, पर यहां केवल २१ ही कृषि कालिज हैं और उन से लगभग १००० छात्र प्रति वर्ष ग्रेजुएट हो कर निकलते हैं । पर अमेरीका में जहां लगभग चार करोड़ ही व्यक्ति कृषि पर निर्भर करते हैं ७० कृषि कालेज और विश्वविद्यालय हैं और वहां १० लाख छात्र कृषि की शिक्षा पाते हैं और एक्सटेन्शन विभाग तथा फोर 'एच' क्लब के जरिये उस का देश भर में प्रचार करते हैं । इसलिये मैं कहता हूं कि एजुकेशन को, कृषि शिक्षा को तरजीह दी जाय । इसी तरह से रेडियो इंजीनियरिंग की जितनी चीजें हैं और दूसरी टेकनिकल शिक्षायें हैं उन में अगर हम ज्यादा से ज्यादा जनता को शिक्षित कर सकें तो हिन्दुस्तान की जनता को सुखी और समृद्धशाली बना सकेंगे । जब हम हिन्दुस्तान से निरक्षरता का निवारण कर लेंगे तभी हम को अधिकार है कि हम किसी भी विकास योजना को आगे बढ़ायें ।

सरदार लालसिंह (फीरोज़पुर-लुधियाना): मैं आर्टस तथा साइँस पाठ्य चर्या के मुकाबिले में व्यवसायिक शिक्षा का समर्थन करना चाहता हूं तथा हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अभिनवीकरण पर ज़ोर देना चाहता हूं ।

जहां तक प्राथमिक शिक्षा का सम्बन्ध है यह देश तथा लोकतंत्र के लिये आवश्यक है । निरक्षरता का निवारण किसी भी कीमत पर करना होगा । शिक्षा ही लोक-तंत्र की आधार शिला है । परन्तु इसके प्रसार का काम केवल सरकार द्वारा ही नहीं हो सकता है । इस काम में प्रत्येक अभिकरण को सुसज्जित किया जाना चाहिये जिस से कि यह सरकार का हाथ बटा सके । प्रत्येक मन्दिर, मस्जिद तथा गुरुद्वारे में यह काम होना चाहिये जैसे कि पुराने ज़माने में होता था । इसके अलावा सभी लोगों को इकट्ठे होकर व्यस्क शिक्षा में भाग लेना चाहिये जिस से कि अल्पकाल ही में निरक्षरता का निवारण हो सके ।

पहले हम कहा करते थे कि अंग्रेज़ों ने हमारे स्कूलों तथा कालिजों का पाठ्य-क्रम ऐसा रखा है कि उन्हें समय समय पर अपनी प्रशासकीय व्यवस्था में काम करने के लिये 'बाबू' लोग मिलते रहें । परन्तु यह खेद की बात है कि अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद भी हमारी शिक्षा प्रणाली जैसी की वैसी है । इस में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है । हम ने इस दिशा में अपनी अयोग्यता तथा निस्सहायता का प्रदर्शन किया है। हम ने किसी प्रगतिशील दृष्टि कोण का प्रमाण नहीं दिया है । आज हम देखते हैं कि यद्यपि देश में साक्षरता २० प्रतिशत से अधिक नहीं फिर भी सैंकड़ों और हज़ारों पढ़े लिखे लोग बेकार फिर रहे हैं । आप ने समाचार-पत्रों में पढ़ा होगा कि किस प्रकार एक ग्रेजुएट ने एक चपरासी की जगह के लिए प्रार्थना पत्र दिया । ऐसे ही और भी कई उदाहरण हैं । हमारे नवयुवकों में आत्म-अभिमान तथा आत्म-विश्वास की भावना ही लुप्त हो रही है । इन बातों को देखते हुए मैं अनुरोध करता हूं कि यह हर जगह आर्टस तथा साइँस कालिज खोलने की प्रवृत्ति रोक दी जाय । तथा इन पर जो धन व्यय होता है उसे निरक्षरता निवारण तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण पर लगाया जाय । अथवा यदि ऐसा नहीं हो सकता है तो आर्टस तथ साइँस कालिजों में प्रचलित

वर्तमान शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन तथा अभिनवीकरण किया जाय जिस से कि हमारी शिक्षा हमारे देश की आवश्यकताओं को पूरा कर सके ।

जहां तक व्यवसायिक शिक्षा का सम्बन्ध है, अमेरिका जैसा धनवान देश भी उच्च-शिक्षा की आर्थिक उपयोगिता की उपेक्षा नहीं करता है । १९४६ में वहां के राष्ट्रपति ने इस सम्बन्ध में रिपोर्ट पेश करने के लिए एक आयोग स्थापित किया था । इस आयोग ने १९४७ में अपनी रिपोर्ट पेश की । इस में कहा गया था कि कालिजों में न केवल युवकों को शिक्षा मिलनी चाहिये अपितु यह व्यस्क शिक्षा के भी केन्द्र होने चाहियें । आयोग ने सिपारिश की थी कि शिक्षा के अन्तिम कार्य क्रम में न केवल साधारण अपितु व्यवसायिक प्रशिक्षण भी सम्मिलित होना चाहिये । यह उन नवयुवकों के लिये भी होना चाहिये जो साधारण शिक्षा ग्रहण करना चाहते हों तथा उनके लिये भी होना चाहिये जो किसी व्यवसाय के योग्य अपने आपको बनाना चाहते हों । यह भी कहा गया था कि यदि यह शिक्षा न दी गई तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली अमेरिका क. अर्थ-व्यवस्था की मांगों के अनुकल न होगी । वह महसूस करते हैं कि वह शिक्षा बिल्कुल अपूर्ण शिक्षा है जो छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ किसी न किसी प्रकार के व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिये अवसर उपलब्ध न करेगी । यही कारण है कि अमेरिका में कालिजों में पढ़ने वाले छात्र पूर्णरूप से अथवा आंशिक रूप से अपने खर्च के सम्बन्ध में आत्म-निर्भर होते हैं । इस चीज़ की इस से भी अधिक आवश्यकता भारत को है, क्योंकि वह एक निर्धन देश है । इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि पुरानी लकीर को पीटते न चले जाना चाहिये अपितु शिक्षा प्रणाली में इस प्रकार का परिवर्तन किया जाना चाहिये कि कोई नवयुवक कम से कम ग्रजुएट हो जाने पर अपनी रोज़ी कमा सके ।

हमारी टैक्निकल शिक्षा भी एक मज़ाक बन रही है क्योंकि अभ्यास तथा व्यवहार की अपेक्षा सिद्धान्त पर अधिकाधिक ज़ोर दिया जा रहा है । स्थिति सब में एक जैसी है चाहे यह टैक्नीकल हो, कृषि-सम्बन्धी हो अथवा उद्योग सम्बन्धी । अपने अनुभव से मैं कहता हूं कि छात्रों के पास जब कभी सिद्धान्त का प्रश्न आता है तो वह अच्छे परिणाम दिखाते हैं, किन्तु जब अभ्यास का प्रश्न आता है तो वह उस विषय पर अपना अज्ञान ही प्रकट करते हैं । यद्यपि हमें ने इतने कृषि-कालिज तथा कृषि-संस्थाएं स्थापित कीं, फिर भी वह उस उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर रही हैं जिसके लिए वह खोली गई हैं । यदि शिक्षा मंत्रालय अथवा कृषि मंत्रालय इस मामले की छानबीन करेगा तो उन्हें ध्यान देने योग्य बहुत सी बातें मिलेंगी ।

केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली में एक कृषि कालिज खोला है, किन्तु इस से अधिक अच्छा यह होता कि वह एक ऐसी कृषि संस्था स्थापित करती जिस में किताबी प्रशिक्षण की अपेक्षा अभ्यास अथवा व्यवहारिक प्रशिक्षण पर ज़ोर दिया जाता, तथा जिस में मुर्गीखाना, दुग्धशाला जैसी आत्म-निर्भर इकाइयां होतीं । यदि उनको अर्धव्यवसायिक आधार पर चलाया जाता तो लोगों के दिलों में उस बात का प्रभाव बैठ जाता ।

भारी धन खर्च करने के बाद हम ने राष्ट्रीय प्रयोग शालाएं स्थापित की हैं । इन से हमें बहुत कुछ मिलने की आशा है । किन्तु देखना यह है कि सचिवालय का इन प्रयोगशालाओं पर अधिक नियंत्रण न रहे क्योंकि इस से खराबी होती है । जितना कम नियंत्रण होगा उतना अच्छा परिणाम यह दिखा सकेंगी ।

श्री बी० एल० कुरील (ज़िला बांदा व ज़िला फतहपुर—रक्षित-अनुसूचित जातियां) पुरानी केन्द्रीय धारा सभा का सदस्य होने के कारण मैं इस सदन में कई बार बोल चुका हूं। किन्तु मैं आज अपने आप को पार्टी अनुशासन के चंगुल में पाता हूं। कई बार मैं ने बोलने की इच्छा प्रकट की, किन्तु हर बार सचेतक ने अवसर न दिया। मैं निवेदन करता हूं कि कम से कम अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों पर इतनी कड़ी पाबन्दी नहीं रखनी चाहिये। उन्हें बोलने के अधिकाधिक अवसर दिए जाने चाहियें। क्योंकि वह ऐसे लोगों का प्रतिनिधि है जो सामाजिक निर्योगिताओं का शिकार बने हुए है। जिनके साथ अब तक पशुओं का जैसा व्यवहार होता आया है। यदि अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों के वचन कटु भी हों तो भी बाकी भाइयों को वह सुनने के लिए धीरज होना चाहिये। अनुसूचित जातियों से सम्बन्ध रखने वाले अधिकांश सदस्यों को कोई अनुभव प्राप्त नहीं है उन्हें संसद-प्रक्रिया में प्रशिक्षित किया जाना चाहिये तथा उन्हें वाद-विवाद में भाग लेने का अधिक अवसर दिया जाना चाहिये।

डा० अम्बेडकर ने मंत्रि-मंडल से त्यागपत्र देकर अनुसूचित जातियों का एक प्रकार से हाथ छोड़ा है। उस पर हमें खेद है। साथ ही इस बात पर भी खेद है कि वह जमींदारी उन्मूलन का विरोध करते थे, यद्यपि इसका सुखकर प्रभाव अधिकतर हरिजनों पर ही पड़ता है।

संविधान के अनुच्छेद ३३८ के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति आयुक्त को अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट पेश करनी थी। हमें खेद है कि हमें इस रिपोर्ट की प्रतियां उपलब्ध नहीं की गई है। मुझे इस बात पर प्रसन्नता है कि सरकार ने अनुसूचित जातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां दी हैं। इतने से ही काम नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि स्कूलों तथा कालिजों में उचित वातावरण पैदा किया जाय जिस से कि अनुसूचित जातियों के छात्र यह महसूस न करने पायं कि उन से भेद भाव रखा जा रहा है। इस सम्बन्ध में मैं एक घटना का उल्लेख कर रहा हूं। सरकारी हायर सैकेंड्री स्कूल, उन्नाव के सरकारी छात्रावास में कुछ हरिजन छात्र भी रहने लगे। परन्तु उस छात्रावास के रसोइया ने उनके लिए रोटी पकाने तथा उनके बर्तन साफ करने से इन्कार कर दिया। यह मामला प्रिन्सिपल तथा उच्च-अधिकारियों तक पहुंचा। परिणामस्वरूप उन हरिजन छात्रों के लिये एक अलग रसोई की व्यवस्था करनी पड़ी। इस तरह से मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का सामाजिक निर्योगिता निवारण अधिनियम एक बेकार चीज़ रह गई है। इस का परिणाम यह होगा कि जातीय भेदभाव बढ़ जायगा जो कि सारे देश के लिए एक भारी खराबी है।

मुझे पता चला है कि सरकार हरिजन छात्रों को विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिये जो छात्र वृत्तियां देती थी वह अब बन्द कर दी गई हैं तथा इसका कारण यह बताया गया है कि हरिजन उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं। वास्तव में बात यह है कि अधिकांश हरिजनों को यह मालूम भी नहीं कि सरकार इस प्रकार की छात्रवृत्तियां देती है। इस बात को विज्ञापित नहीं किया जाता है अथवा पर्याप्त रूप में विज्ञापित नहीं किया जाता है, मैं शिक्षा मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह हरिजन छात्रों को विदेशों में शिक्षा प्राप्ति के लिये छात्रवृत्तियां देने की योजना को पुनः चालू करें। शुरू शुरू में अवश्य ही कुछ कठिनाइयां उत्पन्न होंगी किन्तु समय के बीतने पर हरिजन लोग भी योग्यता के उसी स्तर को प्राप्त करेंगे जो कि बाक़ी

लोग रखते हैं । हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिये कि हरिजन छात्र बड़े ही असंतोषजनक वातावरण में पलते है । उनके साथी सम्बन्धी अधिकांश रूप से अशिक्षित होते हैं । उन का जीवन दरिद्रता में बीतता है ।

१७ लाख रुपये अनुसूचित जातियों जन जातियों तथा पिछड़ी हुई जातियों के लिये दिया गया है, किन्तु इसका बहुत ही कम भाग अनुसूचित जातियों पर खर्च किया जाता है । मेरा अनुरोध यह है कि अनुसूचित जातियों की शिक्षा के लिये और अधिक धन दिया जाना चाहिये ।

मैं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण बात की ओर दिलाना चाहता हूं । खतिक जाति जो पहले अनुसूचित जातियों में शामिल थी अब अनुसूचित जातियों की सूची से निकाल दी गई है । वास्तव में उनकी निर्योगिताए वही कुछ है जो कि अन्य अनुसूचित जातियों की हैं । उत्तर प्रदेश में इन्हें हरिजनों की सभी सुविधाएं प्राप्त हैं । मैं भारत सरकार से प्रार्थना करता हूं कि कम से कम शिक्षा के सम्बन्ध में इन लोगों को वह सुविधायें प्राप्त हों जो अन्य अनुसूचित जातियों को प्राप्त हैं । अनुसूचित जातियों को यह सुविधाएं केवल दस वर्ष तक मिलती रहेंगी । यदि खतिक तथा कोडी जातियों को भी इस अल्पकाल के लिये यह सुविधायें दी जायं तो कोई बुराई नहीं होगी ।

श्रीमती चन्द्रशेखर (तिरुवल्लूर--रक्षित अनुसूचित जातियां) : मैं माननीय शिक्षा मंत्री को हमें एक स्पष्ट प्रतिवेदन देने के लिए बधाई देती हूं । शिक्षा मंत्रालय के लिये बजट में जो कुछ भी थोड़ा बहुत रुपया रखा गया है उसे उन्हों ने बहुत ही महत्वपूर्ण मदों पर व्यय करने की प्रस्थापना की है ।

स्वतंत्र भारत में शिक्षा का स्थान महत्वपूर्ण है । इसे फैलाना न केवल राज्यों का काम है अपितु इसकी जिम्मेदारी केन्द्र पर भी है । यह प्रसन्नता की बात है कि राज्य सरकारें ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक प्राइमरी स्कूल खोल रही है । पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत उन्होंने प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए अपनी परियोजनायें भी तैयार रखी हैं । इस सम्बन्ध में मेरा अनुरोध है कि प्रार्थमिक शिक्षा का काम महिलांओं के हाथ सौंपा जाना चाहिये ।

सन् १९५२-५३ के कार्यक्रम में लेडी इर्विन कालिज, नई दिल्ली में गृह-विज्ञान के विषय में बी० एस० सी० डिग्री की कक्षाएं खोलने के लिये २,१९,००० रुपये की एक राशि रखी गई है । मैं चाहती हूं कि इस कालिज में लगभग उसी ढंग पर शिक्षा दी जानी चाहिये जैसे कि ब्रिटेन में दी जाती है । ब्रिटेन में ऐसे कालिजों में जो महिलायें शिक्षा प्राप्त करती हैं उन्हें सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भरती किया जाता है, ऐसा प्रशिक्षण महिलाओं के व्यवाहारिक जीवन के लिए उपयोगी भी है । इसलिये मैं निवेदन करती हूं कि अन्य राज्यों में भी ऐसे ही कालिज खोलने की योजनाएं बनाई जायं ।

जहां हमें इस बात पर प्रसन्नता है कि प्रविधिक शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिये कई संस्थाओं को अनुदान तथा आर्थिक सहायता दी गई है, वहां हम यह भी चाहते हैं कि मद्रास इन्स्टीटयूट आफ टेकनालोजी को और भी अधिक सहायता दी जानी चाहिये क्योंकि यह संस्था इस क्षेत्र में बड़ा उपयोगी काम कर रही है ।

अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों की शिक्षा के लिये यद्यपि गत वर्ष की अपेक्षा २·१ लाख रुपये अधिक दिए गए है, फिर भी

[श्रीमती चन्द्रशेखर]

उनकी जन संख्या को देखते हुये यह बहुत ही अपर्याप्त है। इसके साथ ही मैं निवेदन करती हूं कि छात्रवृत्तियों को बढ़ाने की भी व्यवस्था की जानी चाहिये। अनुसूचित जातियों को प्रोत्साहन दिये बिना यह सम्भव नहीं कि वह दस वर्षों में ही समुचित स्तर पर पहुंच जायं।

मौलाना आजाद : सुबह जो वक्त का बटवारा यहां तय पाया था वह यह था कि सवा बारह बजे मुझे मौका दिया जायेगा ताकि मैं ४५ मिनट में ज़रूरी बातों को बयान करूं। इसके बाद मैं ने यह भी मंजूर कर लिया कि अगर आप मुझे आध घंटे का वक्त दें तो भी काफी होगा। लेकिन अब तो एक बज रहा है, सिर्फ पांच मिनट बाक़ी है। ऐसी हालत में मुझे मालूम होना चाहिये कि मैं कितनी देर में अपनी तक़रीर (भाषण) खत्म करूं? पांच मिनट के अन्दर तो मैं जवाब नहीं दे सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री सोमवार को अपना भाषण जारी रखेंगे।

इस के पश्चात् सदन की बैठक सोमवार १६ जून १९५२ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।